खण्ड-184, अंक-4
बुधवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1879
(24 जुलाई, 1957 ई0)

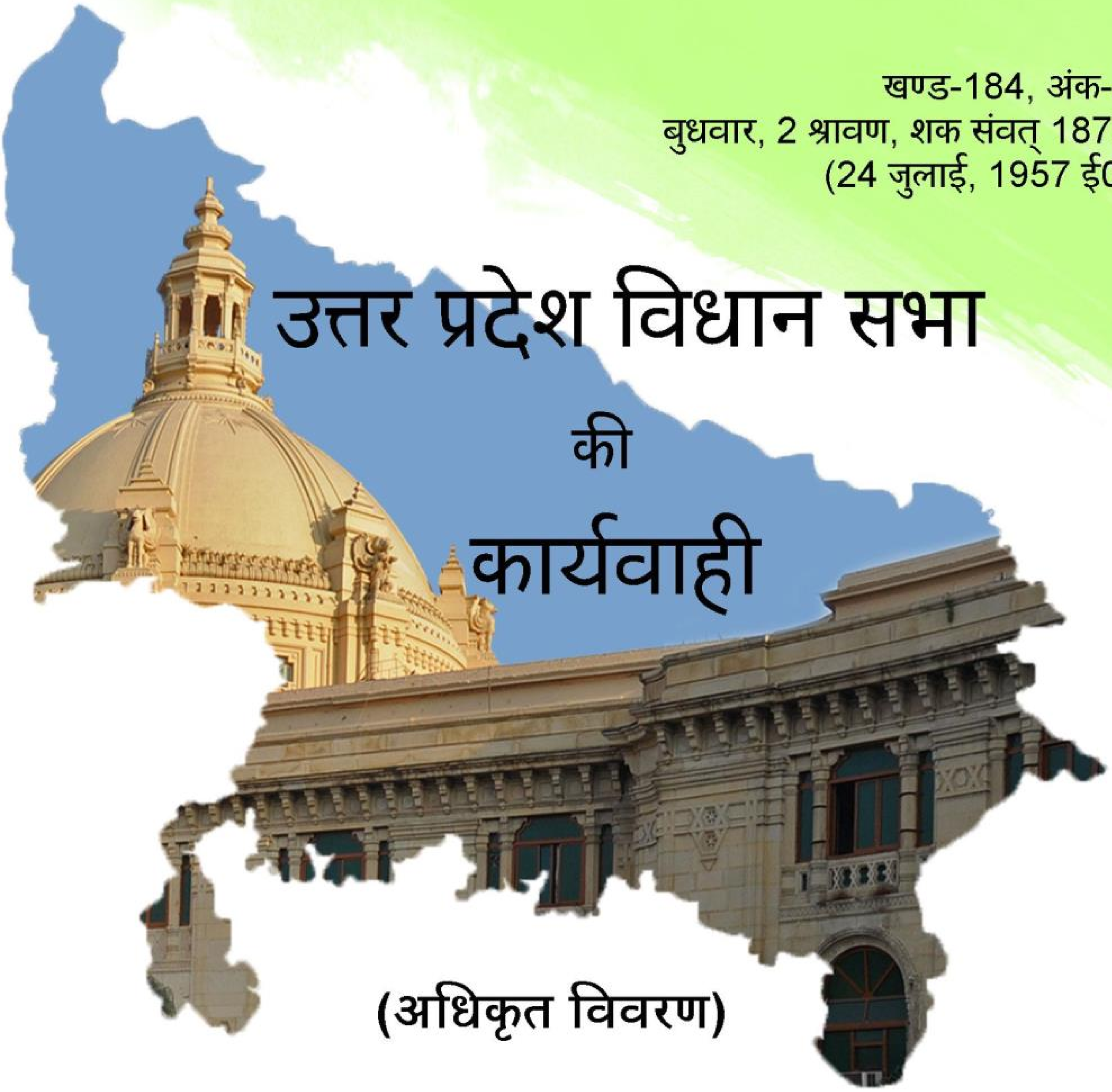

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ जुलाई, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३५१)

अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदत्त पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

विधान सभा

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--श्री परमात्मानन्दसिंह, माल उप-मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ जुलाई, १९५७ ई०

तारांकित प्रश्न

*१--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--[२५ जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम बन्दगीपुर, थाना कोठी, जिला बाराबंकी के रामेश्वर कुर्मी का हत्या

*२--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २० मार्च, १९५७ को बन्दगीपुर, थाना कोठी, जिला बाराबंकी में एक कत्ल हुआ था?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--२० मार्च, १९५७ को नहीं, बल्कि ३० मार्च, १९५७ को जब श्रीराम का पिता, रामेश्वर कुर्मी, घर के बाहर सो रहा था उसी ३०-३१ की रात को कुछ आदमियों के द्वारा हमला होने से वह थोड़ी देर के बाद मर गया।

*३--श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)--उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सवा महीने तक जांच होती रही पर असली अभियुक्त का पता न लगने पर अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

खुर्जा, जिला बुलन्दशहर निवासी श्री बालकृष्ण बजाज की हत्या

*४--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के निवासी श्री बालकृष्णजी बजाज की दिनांक १७-३-५७ को हत्या की गई थी और उनकी लाश दिनांक १९-३-५७ को एक कुआं में बोरे में बन्द मिली?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मृतक के भाई ने दिनांक १८-३-५७ को थाने पर रिपोर्ट की कि श्री बालकृष्ण दिनांक १७-३-५७ से लापता हैं। इसकी जाँच की गई और दिनांक १९-३-५७ को उनकी लाश कुएं में एक बन्द बोरे में मिली।

*५--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार इस हत्या का पता लगाने का कोई विशेष प्रबन्ध कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सी० आई० डी० की मदद से पुलिस ने मामले का पता लगा लिया है।

*६--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस हत्या के सम्बन्ध में खुर्जा नगरपालिका का प्रस्ताव मुख्य मन्त्री के पास आया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभियुक्तों का अभी तक चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चार्जशीट अदालत में भेज दी गई है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग इसके अन्दर अभियुक्त हैं उनको पकड़ा गया था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार किये गये, क्योंकि एक आदमी इसमें फरार है, ऐसा लिखा हुआ है।

राजनीतिक पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्तियां

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रदेश के कितने राजनीतिक पीड़ित छात्रों के कितने आवेदन-पत्र जुलाई, सन् १९५६ से मार्च, १९५७ तक छात्रवृत्ति के लिये आये थे तथा कितने को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--कुल ६,०८५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें ८६६ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक छात्रवृत्तियां जो विद्यार्थियों को दी जाती हैं, क्या सरकार की ओर से उनके देने के लिये कोई योग्यता निर्धारित है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, जो छांट होती है प्रार्थना-पत्रों में से वह नियम के अनुकूल ही होती है। साधारणतया जो विद्यार्थी पास हो जाते हैं और ४५ प्रतिशत से अधिक उनके अंक होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है और एक राजनीतिक पीड़ित के घराने में एक विद्यार्थी को साधारणतया छात्रवृत्ति दी जाती है। जिनके अंक ४५ प्रतिशत से कम होते हैं उनको पुस्तकों इत्यादि के लिये एकमुश्त कुछ सहायता दी जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों में वह भी राजनीतिक पीड़ित शरीक हैं जो आज दूसरे राजनीतिक दलों में सम्मिलित हो चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ८६६ विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी गई है इसमें सरकार का कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का बयान दिया था और प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दिया था कि प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों के लड़कों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या प्रदेश के कार्यालय में भेजी जाय, जिसके अनुसार उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने समझा नहीं आप का मतलब, क्योंकि जो एप्लिकेशंस आई थीं उनमें जिनको छात्रवृत्ति दी गई उनकी संख्या बता दी गई और बहुतों को धन क अभाव में नहीं भी दी जा सकीं और बहुत से ऐसों को नहीं दी जा सकीं जो उन नियमों में नहीं आये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि गत-वर्ष शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार के कोई आदेश जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे हैं कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो राजनीतिक पीड़ितों के लड़के हैं उनकी संख्या प्रदेशीय कार्यालय में भेजी जाय जिससे उनको सहायता प्रदान करने में सरकार समर्थ हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--संभव है, यह कहा हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे राजनीतिक पीड़ित जो स्वतंत्रता संग्राम में शरीक थे लेकिन अब दूसरी पार्टीज़ में सम्मिलित हो गये हैं, उनको भी ये सुविधायें दी जायंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह तो जरूरी नहीं है कि वे कांग्रेस में ही हों। किसी भी दल या पार्टी में वे हों, जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं और उसके लिये जो नियम बने हैं, उनके अनुसार उनके बच्चों को ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

कन्याओं को अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने वाली नगरपालिकाएं

*८--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--उत्तर प्रदेश की कितनी और कौन-कौन नगरपालिकाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में कन्याओं के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश --निम्नलिखित ८ नगरपालिकाओं ने पूरे क्षेत्र में:--

१--लखनऊ, २--इलाहाबाद, ३--मथुरा, ४--हरिद्वार, ५--अलीगढ़, ६--वृन्दावन, ७--चांदपुर, तथा ८--कानपुर।

और निम्नलिखित २ नगरपालिकाओं ने आधे क्षेत्र में :--

(१) टांडा, (२) मिर्जापुर।

बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है।

*९--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार ने कोई समय निश्चित किया है जिसके भीतर सारे प्रदेश की नगरपालिकाओं के लिये अपने-अपने क्षेत्र में कन्याओं के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर देना आवश्यक है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं के लिये अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा करने के लिये सरकार की क्या नीति है और किस तरह से प्रगति करने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नीति तो यह है, इच्छा भी है और उत्सुकता भी है कि प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो जाय लड़कों की और लड़कियों की भी, लेकिन धन की कठिनाई है और वही बाधा होती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है उसमें वह कितना आंशिक धन खर्च करती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जितना खर्च होता है उसका तीन चौथाई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी पूर्ति करने पर ही सरकार यह तीन चौथाई खर्च देती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न पूर्ति का नहीं है। नगरपालिकायें यह प्रार्थना करती हैं कि अपने यहां वे अनिवार्य शिक्षा जारी करना चाहती हैं। उस पर विचार किया जाता है, लेकिन जैसा अभी कहा जा चुका है कठिनाई धन की है इसलिये और अधिक नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा चालू नहीं की जा सकी है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन एक या दो वर्षों में कुछ और नगरपालिकाओं से बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य करने की रिपोर्ट आई है?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, चालू करने की तो रिपोर्ट है ही। इस वर्ष भी विचार था, किन्तु धनाभाव के कारण इस वर्ष चालू नहीं किया गया।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बनारस की नगरपालिका ने अनिवार्य शिक्षा के लिए लिखा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भवतः लिखा है और बहुत सी नगरपालिकाओं ने लिखा है और आपकी आज्ञा से एक बात मैं बता दूं ताकि स्पष्ट हो जाय कि ११० नगर-पालिकाएं हैं जिनमें बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिये--जितनों में हो गयी है उसके अलावा। हिसाब लगाया गया है और यह मालूम हुआ कि पहले वर्ष में ५१ लाख रुपया आवर्त्तक और ७ लाख अनावर्त्तक, दूसरे साल में ६८ लाख आवर्त्तक, २ १/२ लाख अनावर्त्तक और तीसरे साल में ७५ लाख आवर्त्तक और १ लाख अनावर्त्तक ग्रान्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यह धन तो काफी बड़ी रकम है। जब तक इसका प्रबन्ध नहीं हो जाता तब तक धीरे धीरे ही हम इस सम्बन्ध में आगे बढ़ेंगे।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिन नगरपालिकाओं में बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा है उनमें बालिकाओं की एज-लिमिट क्या है, कितनी उम्र की कन्याएं शिक्षा ग्रहण करेंगी?

श्री कैलाशप्रकाश--साधारणतया ६ से ११ साल।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा है वह पिछले कितने दिनों से है?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

कानपुर जिले के अनवरगंज थाने के अन्तर्गत श्री रन्तू की मृत्यु

*१०--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास कानपुर के अनवरगंज थाने की पुलिस द्वारा श्री रन्तू मजदूर की हवालात में ही जान से मार डालने के सम्बन्ध में की गई जुडिशियिल इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं हुई। मैजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच की गई थी। उनकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है।

*११--श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है और इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त रिपोर्ट के अनुसार रन्तू को न तो पुलिस ने मारा ही और न उसको हवालात में ही बन्द किया। वह २५ दिसम्बर सन् १९५५ को अपने घर से कहीं बाहर चला गया था और ३१ दिसम्बर को जब वह घर लौटा तो वह निमोनिया ग्रसित था। उसी हालत में उसके घरवालों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी अतः इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मैजिस्ट्रेट महोदय ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी बतलाया है कि श्री रन्तू घर से बाहर कहां गये थे ? यदि हां, तो बतलाया जाय कि कहां गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, इसका पता नहीं है कि कहां गये थे, लेकिन जिस वक्त उनकी तलाशी ली गयी थी, वह घर से बाहर थे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसकी रिपोर्ट पर और कब से जांच प्रारम्भ की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिपोर्ट तो थी जनरल मैनेजर की, जिनके घर चोरी हुई थी। उसके बाद उसकी तशखीस की गयी, जिसमें उनके घर तलाशी ली गयी। तलाशी २५ तारीख को ली गयी थी, जब कि श्री रन्तू घर पर नहीं थे। ३० तारीख को वापस आये, उस वक्त वह बीमार थे तब उनके घर वालों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हुई और उनकी बीमारी "न्युमोनिक कंसेंट्रेशन आफ़ दि राइट लंग" बतलाई गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिन मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की, उनका नाम क्या था और वह किस श्रेणी के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कानपुर के, जिनका नाम श्री डी० एन० बर्मा है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--जिस समय श्री रन्तू अस्पताल में दाखिल किये गये थे तो उनको अस्पताल पहुंचाने उनके घर वालों के साथ पुलिस अधिकारी भी गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार ने जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की आज्ञा दी तो वह किस रिपोर्ट के आधार पर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिपोर्ट का मुझे पता नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बतला दूंगा कि किस रिपोर्ट पर यह हुआ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--रन्तू की किस तारीख को मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यही पता है कि वह २१ दिसम्बर को घर लौट आये और अस्पताल भेजे गये।

इलाहाबाद जिले में विभिन्न प्रकार की वारदातें

*१२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिला तथा नगर में कितने मुकदमें चोरी, डाके तथा नकबजनी और जुएं के १९५५, १९५६ तथा ८ फरवरी, १९५७ तक दर्ज किये गये और उसमें कितने मुकदमों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूची संलग्न नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१२ पर)

मुरादाबाद जिले के मुकीमपुर ग्राम में गोलीकांड पुलिस तथा जनता में संघर्ष

*१३—श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना है कि ग्राम मुकीमपुर, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में गत जनवरी मास में पुलिस तथा जनता में संघर्ष हो जाने के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये तथा घायल हो गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*१४—श्री बुद्धीसिंह (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार मृत व्यक्तियों के नाम व पते सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१३ पर)

*१५—श्री बुद्धीसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया उक्त मुकीमपुर कांड के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुकीमपुर ग्राम से एक व्यक्ति ने थाने पर यह रिपोर्ट की कि उसे एक साधू और उसके अनुयायियों ने मारा। इस पर पुलिस जांच करने गई। साधू से प्रभावित गांव वालों ने एक दारोगा पुलिस और दो पुलिस कान्स्टेबिलों को मार डाला। दूसरे दिन जो पुलिस की टुकड़ी मृत पुलिस वालों के शव लाने के वास्ते और मामले की जांच करने के लिये घटनास्थल पर गई, उस पर भी गांव वाले टूट पड़े और पुलिस दारोगा और एक बन्दूक के लाइसेन्सदार को मार डाला। इन घटनाओं की सूचना पाकर जिलाधीश और पुलिस कप्तान मुरादाबाद एक पुलिस टुकड़ी को लेकर मुकीमपुर पहुंचे और जब गांव वाले जो सशस्त्र थे समझाने पर न माने और उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस वालों ने भी गोली चलाई जिसके फलस्वरूप कुल ७ स्त्री व पुरुष जिनकी सूची सदन की मेज पर रक्खी है घटना स्थल पर मारे गये। इनके अतिरिक्त एक स्त्री जल कर मरी और एक घायल व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गया। इन घटनाओं के बारे में मुकदमें चल रहे हैं।

काशीपुर, जिला नैनीताल में एक बालक की रहस्यमय मृत्यु

*१६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ मास पूर्व काशीपुर, जिला नैनीताल में एक बालक की नृशंस हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सितम्बर, सन् १९५५ में एक ६ वर्ष की आयु का बालक गायब हो गया था और तीन दिन बाद एक बच्चे की लाश बहुत खाई हुई हालत में एक तलइया के पास से सड़क पर मिली जो खोए हुये बालक की बताई जाती थी। पूरी कोशिश करने पर भी इस मामले का कुछ पता पुलिस को न चल सका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि काशीपुर पुलिस के सामने इस सम्बन्ध में पूरे बयानात और पूरी गवाही देने के बाद भी जो अपराधी वहां थे उनको पकड़ा नहीं गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, ऐसा तो मालूम नहीं होता है और ३०२ में उसकी जांच काफी दिनों तक की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने दुबारा जांच करने का आश्वासन दिया था लेकिन वह जांच शुरू नहीं हुई और सी० आई० डी० से इंक्वायरी नहीं कराई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आश्वासन का तो मुझे पता नहीं है, मैं देख लूंगा, लेकिन इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है ।

मथुरा जिले की छाता तहसील में डकैतियां

*१७--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन महीने (जनवरी, फरवरी व मार्च) १९५७ में मथुरा जिले की तहसील छाता में कितनी डकैतियां कहां-कहां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तीन डकैतियां पड़ीं । एक ग्राम भीकागढ़ी, थाना कोसी में, दूसरी ग्राम बझोड़ा, थाना बरसाना में और तीसरी ग्राम व्रजवाड़ी, थाना बरसाना में ।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में तहसील छाता के पंजाब और राजस्थान के सीमा पर अराजकता होने के कारण वहां पर आगरा की बाह तहसील की सी स्थिति पैदा हो गई है । सरकार ने इस अराजकता को रोकने के लिये क्या किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बात सही है कि मथुरा राजस्थान की सीमा पर है, इससे भरतपुर वगैरा के कुछ डाकुओं के दल कुछ मथुरा के लोगों से मिलकर डकैतियां डालते हैं और ऐसी डकैतियां हुईं और काफी आदमियों के घर लूट गये और गांव वालों ने भी बहुत मदद की । पुलिस की मुठभेड़ भी हुई और उनका मुकाबिला भी किया गया और कई अभियुक्तों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । सरकार स्थिति से बिलकुल सतर्क है और ऐसी आशा करती है कि भविष्य में वह और प्रभावात्मक ढंग से उनका मुकाबिला करने में सफल होगी ।

१९५१-५२ तथा १९५४-५५ में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थी

*१८--**श्री शिवप्रसाद नागर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५१-५२ में कितने प्राइमरी स्कूल थे और उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश में १९५१-५२ में ३२,०२७ प्राइमरी स्कूल थे और उनमें २८,४०,२८३ विद्यार्थी पढ़ते थे ।

*१९--**श्री शिवप्रसाद नागर** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५४-५५ में उत्तर प्रदेश में कितने प्राइमरी स्कूल थे और उनमें कितने विद्यार्थी पढ़ते थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश में १९५४-५५ में ३१,२३२ प्राइमरी स्कूल थे और उनमें २६,६१,४०२ विद्यार्थी पढ़ते थे ।

राज्य की जेलों के कैदी

*२०--**श्री खयालीराम** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९५२ में उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की क्या संख्या थी ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--२९,८१८ ।

*२१--**श्री खयालीराम** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९५६ को उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की क्या संख्या थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--३५, ८८१ ।

*२२--श्री खयालीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि औसतन एक कैदी पर एक मास में सरकार का कितना व्यय होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--२५ रुपया ४५ नये पैसे।

*२३-२४--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२८ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में अपराधों में वृद्धि

*२५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कितनी डकैतियां, चोरियां, राहजनी व बलवे हुये और इससे पूर्व वर्ष के इसी समय में, अर्थात् १ जनवरी सन् १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक उक्त सभी crimes अलग-अलग कितने हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ के मुकाबिले में १९५६ में तिगुने से ज्यादा डकैतियां, दुगने से ज्यादा चोरियां और तिगुने के करीब बलवे हुये, तो इनके क्या-क्या कारण हैं और उनको रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि सन् १९५६ में सन् १९५५ के मुकाबिले में मुजफ्फर नगर में अपराधों में वृद्धि हुई है और सरकार का ध्यान इसकी ओर माननीय सदस्य ने स्वयं आकर्षित किया था और उसकी जांच-पड़ताल भी हो रही है और मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री को ऐसे केसेज का भी ज्ञान है कि जिनको डकैती न लिख कर चोरी लिखा गया और बाद में डाकू पकड़े गये तो उन्होंने डकैतियों को तसलीम किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना तो है नहीं। अगर माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री के कार्यालय में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ३० जून, सन् १९५७ तक, यानी आधे वर्ष में ही करीब १४ डकैतियां वहां पड़ चुकी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

बोर्डों के अध्यापकों को प्राविडेंट फंड मिलने में विलम्ब

*२६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने बोर्डों के अध्यापकों के नौकरी से हट जाने के बाद उनके प्राविडेन्ट फन्ड का सरकारी हिस्सा शीघ्र से शीघ्र दिलाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--बोर्ड के अध्यापकों के प्राविडेन्ट फन्ड का भाग नियमानुकूल बोर्ड ही देता है, सरकार अलहदा से नहीं देती। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि बोर्डों द्वारा अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड का जो हिस्सा दिया जाता है वह वर्षों तक नहीं मिलता है और यदि ज्ञात है तो उसे शीघ्र दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये तो नियम बने हुये हैं और उनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीन वर्ष के अन्दर प्राविडेंट फन्ड का भुगतान हो जाना चाहिये। कोई ऐसी विशेष सूचना सरकार को नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी सूचना सरकार को भेजने की कृपा करेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह तीन वर्ष की लम्बी अवधि क्यों रखी गयी है? क्या उसके लिये अधिक से अधिक तीन महीने काफी नहीं हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह नियम कुछ पहले के बने हुये हैं। प्राविडेंट फंड रेगुलेशन १५ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तीन वर्ष के अन्दर ही लिखा हुआ है कि भुगतान कर देना चाहिये। नगरपालिकाओं के लिये उनके नियमों में इस धन का भुगतान करने के लिये कोई समय निर्धारित है ही नहीं। सरकार अब इस सम्बन्ध में विचार करेगी।

सीमावर्ती स्थान टनकपुर की सुरक्षा

*२७--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि टनकपुर जो उत्तर प्रदेश व नैपाल की सीमा पर है वहां सुरक्षा की बड़ी कमी है? यदि हां, तो सरकार उसका क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय चालू होने के सम्बन्ध में जानकारी

*२८--**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ के मातहत उक्त विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और यह विश्वविद्यालय कब तक खुल जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश--विधेयक की समस्त धाराएं कार्यान्वित कर दी गई हैं। पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिये गये और इसी वर्ष से स्नातकोत्तर श्रेणी की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या यह बात सही है कि अभी तक यूनिवर्सिटी स्टैटचूट्स तैयार नहीं हो पाये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के यह कहने का आधार क्या है कि विधेयक की सभी धारायें लागू कर दी गयी हैं, अगर स्टेट्यूट्स अभी तक नहीं बनाये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--स्टेटचूट्स वाइस-चांसलर के पास उनकी टीका के लिये गये हुये हैं। यूनिवर्सिटी को चालू करने के लिये जो विधेयक की आवश्यक धारायें हैं वे लागू कर दी गयी हैं। जो धारायें स्टेटचूट्स के कारण लागू नहीं हो सकती हैं और काम में बाधा हो रही है उस दिक्कत को ऐक्ट की एक धारा के मुताबिक रेमूव किया गया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि अभी तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में न तो आवश्यक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और न वहां अभी तक स्नातकोत्तर छात्रों की भरती हुई है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जी हां, नियुक्तियां शीघ्र ही होने वाली हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि यूनिवर्सिटी का प्रास्पैक्टस अभी तक नहीं छपा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ स्नातकोत्तर क्लासेज चलने वाले हैं, उनके लिये कुछ व्यवस्था की जाने वाली है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक इस विश्वविद्यालय के ऊपर कितना खर्चा हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री रामायणराय—क्या यह सही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में सारे स्थानों की सेवा के लिये नौकर राज्य से बाहर के आदमी रखे जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तो कोई सूचना मुझे नहीं मिली।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वाइस चांसलर की नियुक्ति के अलावा और कौन-कौन नियुक्तियां इस विश्वविद्यालय में हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक तो ट्रेजरार की नियुक्ति हुई है और एक ओ० एस० डी० की नियुक्ति हुई है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं हो सकी है वह रजिस्ट्रार का काम करेंगे और एक उनके डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गयी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—वाइस चांसलर साहब कब नियुक्त किये गये थे, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख़याल है, कई महीने हो चुके हैं। निश्चित दिन मुझे याद नहीं है।

*२९—**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)—[२१ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में समथर के समीप बस दुर्घटना

*३०—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि १५ फरवरी, १९५७ को समथर (झांसी) के समीप पुलिया तोड़ती हुई एक बस नहर में गिर पड़ी थी ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के कारण कितनी जन, धन व सम्पत्ति की हानि हुई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इस दुर्घटना में ७ व्यक्ति मरे। धन व सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई। मोटर बस का लगभग २,००० रु० का नुकसान हुआ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—श्रीमन् यह घटना सन् १९५७ की है और एजेन्डा में सन् १९५६ छपा है, तो इसको दुरुस्त कर दिया जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसको सन् १९५७ की घटना समझकर ही उत्तर दिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इस घटना के होने का विशेष कारण यह है कि ड्राइवर शराब पिये हुये था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह भी कारण हो सकता है और यह भी कारण है कि उसमें सवारी ३२ होनी चाहिये थी ड्राइवर ने ५० बैठायी थीं और शराब भी पिये हो सकता है और भी अन्य कारण हो सकते हैं। इस मामले का चालान कर दिया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि अधिक इसमें और क्या कहा जा सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सात आदमी मरे इनके परिवार को कम्पेन्सेशन देने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें थर्ड पार्टी इन्श्योर्ड है। उसकी व्यवस्था हुई होगी। सरकार के द्वारा कोई कम्पन्सेशन देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो सात व्यक्ति मरे हैं उनमें ड्राइवर भी हैं या उसको कोई चोट नहीं आई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि ड्राइवर की आयु कुछ प्रबल रही होगी।

फीरोजाबाद थाने के इलाके में कत्लों में वृद्धि

*३१—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन सालों में फीरोजाबाद थाने के इलाके में कितनी चोरियां, डकैतियां, तथा कत्ल हुये और उसमें से कितनों का पुलिस द्वारा पता लगाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१५ पर)

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५४ के मुकाबिले में सन् १९५६ में फीरोजाबाद थाने में क़त्ल क्यों पचगुना हो गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, क़त्ल के मामले में कुछ संख्या बढ़ी है, लेकिन डकैती के मामलों में कमी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क़त्ल के मामलों की जो संख्या बढ़ी है उसके कारणों के बारे में सरकार ने विचार करने का प्रयास किया है? अगर हां, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिम्मेदार लोगों को पकड़कर उन पर मुकद्दमा चलाने की कोशिश की जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—कितनी डकैतियों में बन्दूकों का इस्तेमाल हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नोटिस की आवश्यकता है। डकैती में अक्सर बन्दूकें इस्तेमाल की जाती हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—इन क़त्लों में डकैती के अलावा दूसरे क़त्ल कितने हैं और डकैती के कितने हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास क़त्ल, डकैती और चोरी की अलग-अलग संख्यायें दी हुई हैं, वही मैंने बतलाई हैं।

आजमगढ़ जिले के खिदिरपुरा गांव में कथित डकैती

*३२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि गत ३० मार्च को आजमगढ़ जिले के घोसी थाने के अन्तर्गत खिदिरपुरा गांव में भीषण डकैती हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

*३३—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि सरकार की ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

*३४-३६—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

फीरोजाबाद नगर का विस्फोट

*३७—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १७ मार्च, १७५७ को फिरोजाबाद नगर में जो विस्फोट हुआ था उसका क्या कारण था तथा इस विस्फोट के फलस्वरूप जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके असहाय परिवार को सरकार क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बताया जाता है कि एक दुकानदार गंधक तथा पोटाश को एक पत्थर के टुकड़े पर पीस रहा था जिसके कारण यह बिस्फोट हुआ । क्योंकि यह घटना आकस्मिक थी, इसलिये सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार को पता है कि दूकानदार पुटास का लाइसेन्स्ड विक्रेता था और इसकी दूकान मुख्य बाजार में थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह बात ठीक है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—इस विस्फोट से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरी सूचना के मुताबिक श्री गौरीशंकर दूकानदार उनके पुत्र और बगलवाले दूकानदार की मृत्यु हुई और इन दो दूकानों की क्षति भी हुई । इनमें आग लगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस घटना के बाद इस परिवार का लाइसेंस अब भी है या जब्त कर लिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका पता लगाना होगा ।

खटीमा बिजलीघर के निकट सारदा नहर में कूद कर मजदूर द्वारा आत्महत्या

*३८—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास विगत फरवरी मास में खटीमा बिजली घर के निकट किसी मजदूर के सारदा कैनाल में कूद कर आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में कोई शिकायत पहुंची है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं पहुंची है परन्तु ऐसी एक घटना अवश्य हुई जिसके सम्बन्ध में पुलिस ने शव तलाश कराकर उसका पोस्टमारटिम कराया । क्योंकि मामला आत्महत्या का पाया गया । अतः और कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

*३९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ वर्ष में सार्वजनिक पुस्तकालयों को कितनी ग्रान्ट दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—१,४५,२९० रुपये ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना है कि जो ग्रान्ट इन पुस्तकालयों को मिली उसकी खबर अक्सर पुस्तकालयों को ३० या ३१ मार्च को दी गई, इसलिये वे पैसा नहीं ले सके ? अगर हां तो ऐसा कितना रुपया लैप्स हो गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी कोई सूचना नहीं है । माननीय सदस्य को कोई बात मालूम हो तो वह कृपया इसकी सूचना दे दें ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी ऐसे पुस्तकालय के नाम, जिनको ग्रान्ट दी गई हो, बतायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ?

राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*४०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष सन् १९५६ में कितने राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को कितनी धनराशि पेन्शन के रूप में सरकार द्वारा दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—६०७ व्यक्तियों को १४,५७९ रु० ८ आ० मासिक पेन्शन दी गई है ।

*४१—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन देने के नियमों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नियमों की एक सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१६ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५६ में इस प्रदेश के कितने व्यक्तियों ने पेंशन के लिये प्रार्थना पत्र कार्यालय में दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी संख्या की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह देखता हूं कि माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी को यह पता नहीं रहता कि किसको जवाब देना है, इससे सदन का समय बरबाद होता है । मैं समझता हूं कि वे लोग आइन्दा से इसका खयाल रखेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, पता है लेकिन कभी भ्रान्ति हो जाती हो तो उसके लिये क्षमा चाहता हूं ।

श्री रामायणराय—क्या सरकार को मालूम है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सन् १९४२ में डी० आई० आर० में सजा नहीं हुई बल्कि अन्य दफाओं में हुई इसलिये उनको राजनैतिक पेंशनें पाने में कठिनाई हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुमकिन है ऐसा होता हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐसे राजनीतिक पीड़ित जो सरकारी पार्टी से सहानुभूति नहीं रखते उनकी पेंशनें इसलिये रोकी जा रही हैं कि वे पार्टी से मुआफिकत नहीं रखते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--यह विवाद का प्रश्न है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आक्षेप बिल्कुल गलत है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मुझे प्रसन्नता होगी यदि कोई ऐसा प्रमाण दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस प्रकार के विवाद की इजाजत नहीं देता।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी उन नियमों को पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--अगर थोड़े हों तो आप (गृह मंत्री से) उनको पढ़ दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पूरा एक पेज है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--जो सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहें उनको माननीय मंत्री जी उसकी प्रतियां दे देने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैं दे दूंगा।

श्री गौरीशंकरराय--क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बलिया जिले में पेंशन पाने वालों में ऐसे सज्जन भी हैं जिनको कारागार से साक्षात्कार ही नहीं हुआ और वे उन निश्चित शर्तों में नहीं आते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बड़े खेद की बात है, अगर ऐसा होता है तो, पेंशन तो उस वक्त दी जाती हैं जब कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और कलेक्टर से वैरीफिकेशन मांग ली जाती है।

आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*४२--**श्री इन्द्रभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन इत्यादि के प्रार्थना-पत्र अब भी सरकार के सामने विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१२०।

श्री इन्द भूषण गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सगड़ी में कितने [× × ×] की ऐसी ऐप्लीकेशन्स आयीं जो अब तक सरकार के सामने विचाराधीन हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, इस प्रश्न पर मुझे कुछ आपत्ति है, इसमें कुछ आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष--उनका कहना है कि कुछ प्रार्थना-पत्र ज्यादा दिन से आये हुए हैं, जिन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--हो सकता है किसी में ज्यादा समय लग गया हो, लेकिन इसमें जात बिरादरी का सवाल उठा दिया गया है।

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य को इस तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर किसी माननीय सदस्य को इस तरह की कोई बात मालूम हो तो वे माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करें। मैं उतने अंश को कार्यवाही से निकाल दूंगा।

इलाहाबाद जिले की बारा तहसील के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

*४३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील बारा के थानेदार के बारे में वहां की जनता ने तार तथा पत्र द्वारा बहुत सी शिकायतें लिख कर भेजीं हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। शिकायतों की जांच कराई गई परन्तु वह निराधार पाई गईं। अतः थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इलाहाबाद में बलुआघाट के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

*४४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद मु० बलुआघाट के निवासियों ने वहां के थानेदार के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र भेजे हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि इस सम्बन्ध में एक मुकदमा ३५३ आई० पी० सी० के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन है।

आगरा जिले के सौनीठी ग्राम में कथित डकैती

*४५--**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)--क्या सरकार को सूचना है कि तारीख १४, १५ मार्च को आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सौनीठी ग्राम में भीषण डकैती हुई। यदि हां, तो सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जांच से किसी ऐसी डकैती पड़ने का पता नहीं चला। इस सम्बन्ध में दिनांक १५ मार्च, १९५७ को थाना फतेहपुर सीकरी में एक लिखित रिपोर्ट दी गई थी। पुलिस ने जांच करने के बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जो न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट क्या थी जो पुलिस में आयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ग्राम सौनीठी के निवासी श्री भूरी सिंह ने फतेहपुर सीकरी थाने में यह रिपोर्ट लिखायी कि कल रात को उनके भाई घर के बाहर सो रहे थे तो आधी रात के वक्त कुछ लोग दरवाजे तोड़ कर भीतर घुस आये और पांच सौ रुपये नकद और कपड़े तथा गहने चुरा कर ले गये। उस रिपोर्ट के आधार पर धारा ४५७ आई० पी० सी० का मामला दर्ज किया गया। फिर उसकी जांच थानेदार ने की और उस जांच से यह पता लगा कि गांव की पार्टीबन्दी के कारण यह मामला बनाया गया है। इस लिये उस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आपको इसका पता है कि थानेदार ने दबाव डालकर डकैती के बजाय चोरी की रिपोर्ट लिखायी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है।

*४६-४८---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गंगोत्री, यमनोत्री मार्गों पर पुलिस चौकियों की आवश्यकता

*४९---**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या यह सही है कि गंगोत्री, यमनोत्री यात्रा मार्गों पर जो पुलिस outpost यात्रियों की सुरक्षा हेतु मंजूर किये गये हैं उनमें अभी तक पुलिस नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---टेहरी-गढ़वाल यात्रा मार्गों पर फिलहाल कोई नई चौकी मंजूर नहीं की गई है।

श्री सूरतचन्द रमोला---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां पर कोई चौकी खोलने का अभी भी प्रपोजल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है।

अनिवार्य शिक्षा के लिये स्कूलों को सहायता देने के सम्बन्ध में टांडा म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध शिकायत

*५०---**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि टाण्डा म्यूनिसिपल बोर्ड अनिवार्य शिक्षा की मद से ऐसे स्कूलों को सहायता देती है जो म्यूनिसिपल बोर्ड की सीमा के बाहर स्थित हैं और कुछ ऐसे स्कूलों को सहायता देने से इन्कार करती है जो म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के भीतर हैं और जहां की छात्रायें ११ वर्ष से कम अवस्था की हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

*५१---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

इन्टरमीडियट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने का विचार

*५२---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछला इन्टरमीडिएट एजूकेशन बिल पेश हुआ था उसी के आधार पर यह दूसरा नया बिल पेश किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उस विधेयक के सारे स्वरूप पर सरकार विचार कर रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछला विधेयक जो कई महीने तक हाउस के सामने रहा और जब वह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द भी हो चुका था तब उसे जल्दी से जल्दी क्यों नहीं पेश कर दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--यह तो पुराना प्रश्न है। यह व्यवगत हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे क वे उस विधेयक के किस स्वरूप पर और किन-किन अंगों पर विचार कर रहे हैं और क्यों विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अभी इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। उस बिल के ऊपर पूरा विचार कर लेने के बाद ही फिर कोई सूचना दे सकूंगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य आरम्भिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में जानकारी

*५३--**श्री रामहेतसिंह**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा योजना हो इसमें सरकार की योजना क्या है तथा वे किस-किस जिले में अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा देहाती क्षेत्र ले रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--भारतीय संविधान की निर्दिष्ट धारा ४५ को ध्यान में रखते हुये प्रदेशीय सरकार का यह लक्ष्य है कि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जितनी जल्दी हो सके लागू हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये यथेष्ट चेष्टा की जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शासन ने १,३०० प्राइमरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५,००० नई प्राइमरी पाठशालाएं खोली जा रही हैं। साथ ही विशेष प्रकार के स्कूलों को छोड़ कर अन्य सभी स्कूलों में कक्षा १-५ में निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। किन्तु यह प्रगति होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा को लागू करने के लिये पृष्ठ भूमि अभी पूरी तरह नहीं बन सकी है। संप्रति मुरादाबाद के धनौरा ग्राम क्षेत्र में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रामहेतसिंह--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता के शिक्षा में पीछे होने के कारण मथुरा के जिला बोर्ड ने वहां अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुये सरकार वहां अनिवार्य शिक्षा करने पर पुनः विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जैसा कि मैं उत्तर में निवेदन कर चुका हूं सरकार इसकी ख्वाहिशमन्द है और इसके लिये चेष्टा कर रही है केवल धन की जरूरत है।

श्री रामहेतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने में सरकार का कितना खर्चा होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि बहुत होगा क्योंकि वह रकम कई करोड़ तक पहुंचेगी क्योंकि अब तक जितने स्कूल चलते हैं उनमें केवल एक तिहाई बच्चे पढ़ते हैं।

बदायूं जिले में क़त्ल व डकैतियां

*५४--**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं में सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ में कितनी डकैतियां हुईं और कितने कत्ल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

श्री टीकाराम--क्या सरकार को इल्म है कि इन डकैतियों में नामजद रिपोर्ट की गई फिर भी उन डकैतों को नहीं पकड़ा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य सूचना दें तो इस की जांच अवश्य करा ली जायगी ।

श्री टीकाराम--गटिया, थाना उसैल के मामले की जांच करा लें और उन डाकुओं को पकड़ा जाय ।

बरेली के जंगलों में अमेरिकन शिकार पार्टी द्वारा कथित दुर्घटना

*५५--**श्री वीरसेन** (जिला मेरठ)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले क्रिसमिस के दिनों में बरेली के जंगलों में एक अमेरिकन शिकार पार्टी आयी थी और उन्होंने शिकार खेलते हुये एक व्यक्ति को मार दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला बरेली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

*५६--**श्री वीरसेन**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा अभियोग चलाने के सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरसेन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उन की सूचना का आधार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कलेक्टर की रिपोर्ट ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि बरेली जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो क्या उसके आस पास कहीं ऐसी घटना हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं से भी किसी ऐसी घटना का समाचार नहीं है ।

श्री वीरसेन--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या वास्तव में कोई शिकार पार्टी आई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या ऐसी कोई घटना पूरे प्रदेश में कहीं हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस का उत्तर देना तो कठिन है क्योंकि इसकी कोई सूचना नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसकी खोज करा लूं ।

*५७--**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**--[हटा दिया गया ।]

रायबरेली जिलान्तर्गत दुधवन की प्राइमरी पाठशाला की इमारत का निर्माण

*५८--**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र सरैनी में ग्राम दुधवन के प्राइमरी पाठशाला में इमारत के अभाव के कारण सरकार इस पाठशाला को शीघ्र बनवाने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां ।

*५९--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुधवन के निवासियों ने इस पाठशाला हेतु १,००० रु० जिला बोर्ड को दान दिया है ?

श्री कलाश प्रकाश--जी हां।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस १,००० रुपये को कोर्ट में जमा हुये कितने वर्ष बीत गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुझे तो इसकी सूचना नहीं है किन्तु माननीय सदस्य कदाचित् स्वयं बोर्ड के सदस्य भी हैं, इसलिये उनको शायद इस का पता होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस पाठशाला के विद्यार्थी अब कहां पर बैठ कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जहां भवन नहीं मिलते वहां दूसरा इंतजाम कर लिया जाता है, वहां भी कुछ इंतजाम किया गया होगा, और वहीं पढ़ाई होती होगी।

*६०-६२--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३--श्री सूरतचन्द रमोला--[२१ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

एल० एच० शुगर मिल, पीलीभीत में चोरी व मारपीट की घटनायें

*६५--श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ के अक्तूबर से अब तक एल०एच० शुगर मिल, पीलीभीत में कितनी चोरी और मारपीट के वाकयात हो चुके हैं और उनमें जिलाधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--चोरी की ८ घटनायें और मारपीट की १ घटना की पुलिस में रिपोर्ट की गई। १ चोरी के अपराधों में सजा याब हुआ, १ में जांच नहीं की गई और ६ लापता रहे। मारपीट के अपराध का पता न चल सका।

श्री बिहारीलाल--क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो छः व्यक्ति लापता हैं उनको ढूंढ़ने का कोई प्रयत्न किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रयत्न तो किया ही गया।

विलीन टेहरी राज्य के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक स्कूलों के अध्यापक

*६६--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीन टेहरी राज्य के जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक स्कूलों के अध्यापक क्यों अब तक उत्तर प्रदेश राजकीय सेवाओं में absorb नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के संचालन का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर है। टेहरी में जिला बोर्ड नहीं बना है, उसके बनते ही ये स्कूल बोर्ड को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। लेकिन इस समय भी इनको इस प्रकार अस्थायी रूप से कार्य करते रहने में कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर काशी में विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था पर विचार

*६७--श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (अनुपस्थित)--क्या सरकार राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर काशी में विज्ञान (science) पढ़ाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मामला विचाराधीन है ।

*६८--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)--[२८ अगस्त १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ के चौक थाने में एक वकील को हवालात में बन्द करना

*६९--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २७-४-५७ को लखनऊ के चौक पुलिस थाने में एक वकील साहब को हवालात में इस कारण बन्द कर दिया गया कि उन्होंने अपने मुवक्किलों की जमानत के लिये पुलिस अधिकारी के पास जा कर कहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, एक मकान खाली कराने के सिलसिले में उठे हुये वादविवाद में शांति भंग होने की आशंका से कुछ लोगों को हवालात में बंद करना आवश्यक हुआ और उन लोगों में एक वकील साहब भी थे ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि वह वकील साहब वहां मुलजिम की जमानत कराने गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। जमानत कराने नहीं गये थे बल्कि मोहल्ला बिरहाना, थाना चौक में जो मकान के सम्बन्ध में कुछ आपस में झगड़ा खड़ा हो गया श्री देवीदयाल जी और उनके किरायेदार कृष्णलाल जी से, उसमें देवीदयाल जी के समर्थक बन कर वहां गये थे, उस वक्त झगड़े पर मौजूद थे।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह झगड़े का अन्देशा किस दिन और किस समय पैदा हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२७ अप्रैल, १९५७ को और रात को ११ बजकर १० मिनट पर।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह वकील साहब करीब आठ बजे रात में थाना चौक गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो थाने जरूर गये होंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुलजिम पकड़े गये वह कितने बजे शाम को थाने में दाखिल हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरी सूचना तो यह है कि यह लोग दोनों ओर के ग्यारह आदमी रात को ही हवालात में लाये गये क्योंकि झगड़ा खत्म होते दिखायी नहीं दे रहा था और शान्ति भंग होने की आशंका थी।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े की सूचना थाने में किस समय पहुंची और पुलिस उसके कितनी देर बाद पहुंची ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिनका मकान था उनके लड़के ने पुलिस के उड़न दस्ते को टेलीफोन से खबर दी और रात के ग्यारह बजे वह दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा और एक बजे रात तक वहां रहा ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह वकील साहब किस मोहल्ले के रहने वाले हैं और घटनास्थल से उनका मकान कितने मील के फासले पर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं कि किस मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन देवीदयाल जी के कोई निकट सम्बन्धी है, यह पता है।

आगरे के केन्द्रीय कारागार (सेन्ट्रल प्रिजन) के स्थानान्तरण पर विचार

*७०--**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार आगरे के केन्द्रीय कारागार (सेन्ट्रल प्रिजन) को अपनी जगह से हटा कर दूसरी जगह ले जाने का विचार रखती है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--जी हां।

*७१--**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास केन्द्रीय कारागार के स्थान पर एक बाजार बनाने का प्रस्ताव आया है ? यदि हां, तो सरकार का उसके बारे में क्या निर्णय है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां, किन्तु इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक नया कारागार बन नहीं जाता।

*७२--**श्री लक्ष्मीनारायण बंसल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार को बेंचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*७३--**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)--[२१ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अस्थायी प्रधानाचार्यों को स्थायी करने के सम्बन्ध में जानकारी

*७४--**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)--क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि अभी हाल ही में प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अस्थायी प्रधानाचार्यों को स्थायी करने के लिये विभागीय कमेटी द्वारा इंटरव्यू लिया गया है ? यदि हां, तो उस चुनाव में सम्मिलित होने वाले कितने प्रधानाचार्यों को स्थायी होने के लिये कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार के पास या कमीशन के पास भेजी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, कमेटी की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं और उनके सम्बन्ध में अभी कोई सूचना देना जनहित में नहीं है।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पब्लिक सर्विस कमीशन से बातचीत हो रही है उसका फैसला होते ही फैसला हो जायगा।

गगहा, जिला गोरखपुर के मेले में कथित पुलिस अत्याचार

*७५--**श्री रामसिंह चौहान** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गगहा, जिला गोरखपुर के मेले में जो गोला थाने की पुलिस ने गुन्डों को साथ लेकर १४, १५ अप्रैल, १९५७ को वहां के मेले की लूट, स्त्री-पुरुषों की पिटाई व बेइज्जती की है उसका उन्हें ज्ञान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

*७६--श्री रामसिंह चौहान (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई जांच की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता ।

हायर सेकेंडरी स्कूल कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल के भवन का प्लान

*७७--श्री घनश्याम डिमरी (जिला गढ़वाल)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, कर्णप्रयाग, जिला गढ़वाल के भवन के प्लान व एस्टीमेट सरकार के पास कब स्वीकृति के लिये पहुंचे और कब स्वीकृत किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--२२ दिसम्बर, १९५६ को प्राप्त हुए और अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री घनश्याम डिमरी--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये का एस्टीमेट है और एस्टीमेट और प्लान कब तक विचाराधीन रहेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह प्लान तो करीब ५ लाख का है और सार्वजनिक विभाग से बातचीत हो रही है शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री प्रकाश डालेंगे कि यह कर्णप्रयाग की संस्था सरकारी है अथवा प्राइवेट ?

श्री कैलाशप्रकाश--शासकीय है ।

प्रतापगढ़ जिले में अपराधों की संख्या

*७८--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पहली जनवरी सन् १९५७ से ३० अप्रैल, सन् १९५७ तक कितने डांके पड़े, नकबें लगीं, कत्ल हुये और कितने व्यक्तियों पर धारा १०९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मांगी हुई सूचना निम्न प्रकार है :--

डाके	५
नकब	१०५
कत्ल	७
१०९ धारा के मुकदमें	४०

श्री रामकिंकर--धारा १०९ के अन्तर्गत जो ४० मुकदमें हैं उनमें अधिकांश किस जाति के और कितने लोग थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--४० नहीं, मुकदमें तो ३५ चले हैं । लेकिन इसमें विद्यार्थियों की कोई संख्या तो नहीं दी हुई है । आप चाहें तो मैं पता लगा लूं कि कोई विद्यार्थी भी है ।

सूचना विभाग में अधीक्षकों के पद

*७९--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूचना विभाग में सुपरिंटेंडेंटों के कितने पद हैं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)--सूचना विभाग में, जिसमें सूचना संचालन कार्यालय भी सम्मिलित है, अधीक्षक के तीन पद हैं ।

राज्य में हरिजन पुलिस सब-इन्सपेक्टर

*८०--श्री रामकिंकर--क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हरिजन पुलिस-सब-इंस्पेक्टर हैं और किन-किन जिलों में हैं उनमें कितने S.O. हैं और किन-किन जिलों में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रदेश में ८६ हरिजन सब-इंस्पेक्टर हैं जिनमें से ८ एस० ओ० (S.O) के पद पर हैं । ये सब-इंस्पेक्टर जिन जिलों में हैं उनका सम्पूर्ण विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

श्री रामकिंकर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ८६ हरिजन सब-इंस्पेक्टरों में से केवल ८ ही स्टेशन आफिसर क्यों हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रमोशन तो काम की योग्यता पर निर्भर करता है ।

नैनीताल तहसील के कथित किसान जूनियर हाई स्कूल में पानी का कष्ट

*८१--श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील नैनीताल में किसान जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिये पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, इस नाम का कोई स्कूल नैनीताल तहसील में नहीं है ।

आगरा मेडिकल कालेज के विद्यार्थी द्वारा आत्म-हत्या

*८२--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा मेडिकल कालेज के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी ने २५ अप्रैल, १९५७ को रेल से कट कर आत्म-हत्या कर ली और रेलवे पुलिस अधिकारियों ने बगैर लाश का फोटो लिये हुये या पोस्ट मार्टम कराये लाश को "डिसपोज आफ" कर दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*८३--श्री नेकराम शर्मा--क्या यह सही है कि उस लाश के कपड़े इत्यादि को कब्जे में लेने की कोई कोशिश नहीं की गई ?. यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इसमें संबंधित पुलिस सब-इंस्पेक्टर की लापरवाही पाई गई, जिसके लिये उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

*८४--श्री खयाली राम--[३१ जुलाई, १९५७ के लिये प्रश्न ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला अपराध निरोधक समितियों को अनुदान

*८५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में जो अनुदान जिला अपराध निरोधक समितियों को दिया गया है वह कितना है ?

नोटः--तारांकित प्रश्न ८३ के उपरांत प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार की ओर से सीधे कोई अनुदान जिला अपराध निरोधक समितियों को नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति तथा उसकी जिला शाखायें गैर सरकारी संस्थायें हैं। इस समिति को प्रत्येक वर्ष एक अनुदान दिया जाता है जिसमें जिला शाखाओं की सहायता के लिए एक धनराशि रहती है। सन् ५६–५७ में जिला शाखाओं के लिए ३००० रु० दिये गये थे।

*८६—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अनुदान किन-किन जिला समितियों को कितना-कितना दिया गया है।

श्री मुजफ्फर हसन—जिला शाखाओं में सरकार द्वारा प्राप्त सहायता को बांटने का कार्य समिति के आन्तरिक प्रबन्ध से सम्बन्धित है जिसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है।

जिला बन्दी गृह अलीगढ़ में बंदियों की मृत्यु

*८७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बन्दी गृह अलीगढ़ में अप्रैल सन् १९५६ से अप्रैल, सन् १९५७ तक कितने बन्दियों की मृत्यु हुई है और किन-किन रोगों के कारण ?

श्री मुजफ्फर हसन—छः बन्दियों की मृत्यु निम्नलिखित रोगों द्वारा हुई:—ग्रैस्ट्रिक, इनफ्लुएन्जा, डिसेन्ट्री, पाइरेक्सिया, लोबर निमोनिया, सेरीबरल इनफेक्शन तथा टाईफाइड।

झांसी में चन्द्रशेखर आजाद का स्मारक बनाने की प्रार्थना

*८८—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार चन्द्र शेखर आजाद की स्मृति में झांसी में कोई स्मारक या पार्क बनवाने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, आजाद का स्मारक प्रयाग में बन रहा है।

वर्णा इन्टर कालेज, ललितपुर, जिला झांसी में विज्ञान पढ़ाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*८९—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्णा इन्टर कालेज ललितपुर, जिला झांसी की कार्यकारिणी की ओर से इन्टर में विज्ञान की शिक्षा के लिये मान्यता तथा आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्था को कोई विशेष अनुदान देने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने मान्यता प्रदान नहीं की है अतः विशेष अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालिका हाई स्कूल, आजमगढ़ को इन्टरमीडिएट कालेज बनाने की प्रार्थना

*९०—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगर में स्थित राजकीय बालिका हाई स्कूल को आगामी जुलाई से इन्टरमीडियेट कालेज बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

ग्राम भभौरा, जिला हमीरपुर निवासी सर्वश्री सिराजुद्दीन अहमद व अब्दुल करीम का गायब होना

*९१—**श्री रामगोपाल गुप्त** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम भभौरा, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर में जिला बोर्ड के सदस्य श्री सिराजुद्दीन अहमद गायब कर दिये गये हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री सिराजुद्दीन अहमद ८-१२-५६ से गायब हैं। सी० आई० डी० द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

*९२—**श्री रामगोपाल गुप्त**—क्या सरकार को मालूम है कि अभी हाल में उसी ग्राम में एक दूसरा व्यक्ति भी गायब कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री अब्दुल करीम नाम के एक व्यक्ति १२-४-५७ से गायब हैं, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है अभी तक कोई पता नहीं चल सका।

गाजीपुर जिले में थाना विरनों की नई इमारत

*९३—**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के थाना विरनों की नई इमारत बनवाने का कार्य कब से प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नये भवन का निर्माण कार्य १८ जून, १९५७ से प्रारम्भ हो चुका है।

*९४—**श्री यमुना सिंह**—क्या यह सत्य है कि टेन्डर आज से सालों पहले का हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पहले पहल टेन्डर नवम्बर, १९५५ में मांगे गये थे परन्तु प्लान तथा एस्टीमेट के लिये प्रशासकीय स्वीकृति न दिये जा सकने के कारण कोई टेंडर स्वीकार नहीं किया जा सका। प्लान तथा एस्टीमेंट के लिये स्वीकृति ५ दिसम्बर, १९५६ को दी गई। चूंकि उक्त टेंडर काफी पुराना हो चुका था इसलिये ठेकेदार ने उसी दर से कार्य करने से इनकार कर दिया। इसलिये टेन्डर पुनः मांगे गये और स्वीकार किये जाने पर निर्माण कार्य १८ जून, १९५७ से प्रारम्भ कर दिया गया।

*९५—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—[१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेन्डर

*९६—**श्री जगदीश प्रसाद**—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष सूचना विभाग ने कितने प्रकार के कैलेन्डर छापे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग द्वारा इस वर्ष निम्न तीन प्रकार के कैलेन्डर छपवाये गये:—

(१) ईसवी सन् १९५७ का कैलेन्डर।

(२) शक संवत् १८७९ का कैलेन्डर।

(३) प्लास्टिक टेबुल कैलेन्डर।

हमीरपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*९७--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में अभी तक कुल कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३० को।

*९८--श्री ब्रजनारायण तिवारी--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९९--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--[अस्वीकार किया गया।]

छात्रवृत्ति पाने वाले राजनीतिक पीड़ित छात्र

*१००--श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार सदन की मेज पर ऐसी सूची रखने की कृपा करेगी जिसमें छात्रवृत्ति पाने वाले राजनीतिक पीड़ित छात्रों की संख्या जिलेवार दिखलाई गई हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवेदित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३१९-३२० पर)

अतारांकित प्रश्न

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा १०९ के कैदी

१--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ मार्च, सन् १९५६ ई० को कितने कैदी दफा १०९ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उत्तर प्रदेश की जेलों में थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--४,४८२।

राज्य के पुस्तकालयों व वाचनालयों को सहायता

२--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने नगरों में राज्य सरकार की ओर से पुस्तकालय और वाचनालयों को सहायता दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१३।

३--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर में से ऐसे कितने पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को सहायता दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी को नहीं।

ग़ाज़ीपुर ज़िले में प्राइमरी पाठशालाओं की इमारतें

४--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिल में कितनी ऐसी प्राइमरी पाठशाला है जहां राजकीय भवन नहीं हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गाजीपुर जिले की किसी भी प्राइमरी पाठशाला के लिये राजकीय भवन नहीं है। इस जिले में ३४१ प्राइमरी पाठशालायें जिला परिषद् के भवनों में चल रही हैं। केवल ७२ पाठशालायें ऐसी हैं जिनके लिये भवन का कोई प्रबन्ध नहीं है।

झांसी ज़िले की ललितपुर व महरौनी तहसीलों में क़त्ल व डाके

५—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला झांसी, तहसील ललितपुर व महरौनी में सन् १९५२ से मार्च, १९५७ तक कितनी डकैतियां और कितने कत्ल हुये हैं तथा किन-किन स्थानों पर, कितनी-कितनी सम्पत्ति लूटी गई व कत्ल होने वालों के क्या-क्या नाम हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील महरौनी में १६ डकैतियां तथा १५ कत्ल, व तहसील ललितपुर में २० डकैतियां तथा १४ कत्ल हुए ।

लूटी गई सम्पत्ति तथा कत्ल होने वालों के नाम की सूची संलग्न तालिका में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३२१—३२२ पर)

६—श्री लक्ष्मणराव कदम—[स्थगित किया गया ।

कतिपय विधेयकों के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक जो आज हुई है उसकी सूचना इस प्रकार है —

आज दिनांक २४ जुलाई, १९५७ की कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में निम्नलिखित ४ विधेयकों के सम्बन्ध में समय निर्धारण हुआ जो इस प्रकार है:—

"१—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रात भूमि) विधेयक, १९५७ तीनों पठनों के लिये एक घंटा ।

२—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ—तीनों पठनों के लिये एक घंटा ।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७———— तीनों पठनों के लिये एक घंटा ।

४—उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ———————— तीनों पठनों के लिये उपर्युक्त विधेयकों के उपरान्त उस दिन का शेष समय तथा एक दिन ।"

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्थापित समय निर्धारण से सहमत है:

१—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) विधेयक, १९५७ ।

२—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।

३—उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७ ।

४—उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर विचार यदि यह सदन कल कर ले तो बड़ा अच्छा होगा । मैंने कोशिश की कि एक अध्यादेश निकला है जमींदारी एबालिशन ऐक्ट का अमेंडमेंट, वह लेटेस्ट किताब जो

श्री त्रिलोकी सिंह]

लेजिस्लेचर लाइब्रेरी में हासिल हुई उसमें वह शिड्यूल है ही नहीं। अभी मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मंगाया है। यदि कल इस पर विचार कर लें और हमारा कोई हर्ज नहीं होता है, तो बड़ी कृपा होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह प्रोग्राम तो कल के बाद लागू किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शिव प्रसाद जी, आप को कोई आपत्ति है?

श्री शिवप्रसाद---कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---तो कल इस पर विचार कर लिया जायगा।

कुंअर जगदीश प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों म कुंवर जगदीशप्रसाद के निधन का समाचार छपा है। उसको पढ़कर सभी लोगों को दुख हुआ होगा। उन्होंने गवर्नमेंट की सर्विस भी बड़ी योग्यता के साथ की। मेरा उनका पहले पहल साक्षात्कार उस वक्त हुआ जब मैं पुरानी कौंसिल का सदस्य होकर सन् २६ में यहां आया। उस वक्त वह चीफ सेक्रेटरी थे। बाद को होम मिनिस्टर हुये। फिर सर्विस से अलग होने के बाद वह सार्वजनिक जीवन में आये और उनके विचार उस जमाने के उदार विचारों से मिलते जुलते थे। यद्यपि आजकल अपने स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से वह सक्रिय रूप से सार्वजनिक काम में भाग नहीं ले सकते थे फिर भी उनको हमारे प्रदेश के एल्डर स्टेट्समेन में जरूर ही गिना जा सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सदन की संमवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कुंवर जगदीश प्रसाद जी इस प्रदेश की विभूतियों में से थे। यूं तो आज के ४० वर्ष पूर्व आई० सी०एस० में किसी भारतीय का सफल होना एक आदर की बात मानी जाती थी, लेकिन स्वर्गीय कुंवर साहब यही नहीं कि आई०सी०एस० थे। आई०सी०एस० में भी बहुत कम ऐसे सिविल सर्विस के मेम्बर्स हुये हैं जो ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेटी के पद से कार्य को शुरू करके गवर्नर जनरल की एक्जिक्यूटिव कौंसिल तक पहुंच जायं। कुंवर जगदीश प्रसाद जी बड़े योग्य थे। साधारण तौर पर सर्विसेज के मेम्बर्स वाद-विवाद में असेम्बली या पार्लियामेंट में सफल नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि कुंवर जगदीशप्रसाद जी जब इस उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल के नामिनेटेड सदस्य थे उनका शुमार उस समय के सदस्यों में भाषण देने की दृष्टि से, अपनी बात को पेश करने की दृष्टि से एक उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन्स में किया जाता था। समाज सेवा का भी आई०सी०एस० के रहते हुये उन्हें सदा ज्ञान था। यही कारण था कि वे पेंशन पाने के बाद जैसा कि साधारण तौर पर सिविल सर्विस के लोगों के बारे में देखने में आता है चुप नहीं बैठे। उन्होंने जैसा ६० वर्ष की अवस्था पर प्रान्त के सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करने का प्रयत्न किया, वैसा शायद कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता था।

यूं तो पिछले तीन वर्ष से वे बीमार रहते थे और उनकी अवस्था अच्छी खासी थी, लेकिन यह किसी को गुमान नहीं था कि उनकी बीमारी एक दम से ऐसा रुख लेगी और वे हमारे बीच से चले जायेंगे। उनके न रहने से इस प्रान्त की हानि हुई है और मैं, श्रीमन् के द्वारा, यह निवेदन करूंगा कि इस ओर के बैठने वालों को भी उनके न रहने से जो दुख हुआ है उसकी सूचना उनके परिवार के पास भेजने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर जगदीशप्रसाद जी के स्वर्गवास से हमारे प्रदेश को भारी क्षति पहुंची है। वे प्रदेश के प्रख्यात व प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से थे। मेरा परिचय उनसे सबसे पहले १९२४ में जब मैं उस समय लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य हो कर आया था तब से हुआ और तत्कालीन कौंसिल में मैं सरकारी पक्ष की ओर से उनको अच्छे व कुशल वक्ताओं और विवादकर्ताओं में पाता था। मुख्य सचिव की हैसियत से और दूसरे पदों पर भी उन्होंने प्रशासन के कार्य बड़ी योग्यता व कुशलता के साथ किये। वे अपने विचारों और विश्वासों के भी पक्के थे और अगर उनके विचार व विश्वास लोकमत के प्रतिकूल होते थे तब भी वे साहस के साथ उन पर डटे रहते थे।

उनसे मेरा और भी निकट का संबंध इसलिये था कि आगरे के मशहूर बटेश्वर गांव से उनका सम्बन्ध रहा और वहां उनकी जमींदारी भी थी और वहीं आगरा में जो आगरा कालिज की स्थापना हुई उसमें भी उनके परिवार का हाथ था।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से माननीय सदन के नेता और विरोधी दल के नेता ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे अपने को संबंधित करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब हमारे इस प्रान्त के एक सुयोग्य शासक, सज्जन और धैर्यवान व्यक्ति थे, वयोवृद्ध भी थे। तो आज वास्तव में अपने प्रान्त से एक, जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, एल्डर स्टेट्समैन उठ गया। और माननीय मुख्य मंत्री ने उनके बारे में जो बातें कहीं, माननीय त्रिलोकीसिंह, नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा और माननीय पालीवाल जी ने जो बातें कहीं, उन सारी बातों से मैं अपने को और जन संघ को संबद्ध करता हूं और श्रीमन् से निवेदन है कि हम सब के दुःख और संवेदना को उस संतप्त परिवार के पास भेजने का कष्ट करें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने जिन विभिन्न क्षेत्रों में काम करके सब जगह अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वह अनोखी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हम उनसे वंचित हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतने प्रतिभाशील व्यक्ति के निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस वजह से मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि संतप्त परिवार के प्रति हम लोगों की सहानुभूति आप पहुंचा दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अचानक अखबारों में यह पढ़ कर कि अब कुंवर जगदीश प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं रहे, प्रदेश की जनता को, सभी को दुःख हुआ होगा। कुंवर साहब हमारे प्रदेश के कुछ विशिष्ट पुरुषों में से थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी सुयोग्यता से दिया। उनकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा थी--लोग उससे सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बात निर्विवाद थी कि उनकी प्रतिभा का सभी लोग लोहा मानते थे। आज कुंवर साहब की मृत्यु से प्रदेश में चारों तरफ एक शोक की छाया फैली हुई है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनके संतप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने भी समाचार-पत्रों में कुंवर साहब की मृत्यु का समाचार पढ़ा, उससे काफी दुःख हुआ। मेरा उन से निजी परिचय तो नहीं था, लेकिन देश सेवा और जन सेवा के विभिन्न मार्ग होने पर भी कुंवर साहब जिस रास्ते को सही समझते थे उसके द्वारा उन्होंने सेवा की। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बतलाया कि वह बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन भी थे और सदन के कार्य में उन्होंने काफी हिस्सा लिया। यह क्षति ऐसी है जिसकी सचमुच पूर्ति नहीं हो सकती। वह समय आ गया है कि जब पुराने जन-सेवक और देश सेवक लोग हम लोगों

[श्री उपाध्यक्ष]

में से धीरे-धीरे उठते चले जा रहे हैं और नवयुवकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी कमी पूरी की जाय ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो भावनायें प्रकट कीं उनसे अपनी सहमति प्रकट करता हूं और यह व्यवस्था करूंगा कि उनके संतप्त परिवार तक यह संदेश पहुंचा दिया जाय ।

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दो मिनट तक खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें ।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

१९५७-५८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद--(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--अब बजट पर साधारण वाद-विवाद जारी होगा ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसी भी सरकार का बजट उसकी बुनियादी नीति का दर्पण होता है और वह सरकार अपने राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है और किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहती है इसकी तरफ स्पष्ट संकेत करता है । साथ ही साथ यह भी सही है कि इस बजट के ऊपर बोलते समय विरोधी दल के नेता का जो भाषण होता है उससे भी यही आशा की जाती है कि वह अपने भाषण में उस झलक को दिखायेंगे कि विरोधी दल के नेता राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं । इस बात को मान कर जब मैं नेता विरोधी दल के भाषण को जिसको मैं विभिन्न विरोधी दलों के होने के बावजूद भी एक रिप्रेजेंटेटिव भाषण मानता हूं, सुन कर मुझे मायूसी हुई । सरकार ने अपने बजट में एक शक्ल पेश की, एक रूप-रेखा पेश की, वह अच्छी है या बुरी है, इसके संबंध में दो रायें हो सकती हैं । लेकिन विरोधी दल के नेता अपने तमाम भाषण में कोई तस्वीर पेश नहीं की । सिर्फ इतना कह दिया कि सरकार ने अब तक जो कुछ किया है वह गलत हुआ है, निकम्मा हुआ है और आगे जो कुछ करने जा रही है उससे भी कोई विशेष आशा नहीं है । मैं समझता हूं कि किसी भी प्रजातंत्र राज्य में विरोधी दल के नेता का इतना ही उत्तर-दायित्व नहीं है बल्कि कहीं ज्यादा है ।

सबसे पहले विरोधी दल के नेता ने अपना भाषण शुरू किया कि सरकार की आदत पड़ गई है कि डेफीसिट बजट हमेशा पेश करती है । मैं समझता हूं कि आदत का सवाल नहीं है बल्कि सरकार की मजबूरी का सवाल है । हमारा प्रदेश एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और हम सब यह जानते हैं कि किसी भी राज्य में जहां अनडेवलप्ड या अन्डर डेवेलप्ड ऐग्रीकल्चरल इकोनोमी हो और वहां समाजवाद की व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य स्वीकार किया जाय तो वहां ऐसे बहुत से मौके आयेंगे और आज ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी जब कि सरकार की यह मजबूरी रहेगी कि उसको डेफीसिट बजट पेश करना पड़े ।

एक दिक्कत और भी है वह यह कि हमारे पास जो आर्थिक साधन हैं और रुपया इकट्ठा करने के जो तरीके हैं, वह सीमित हैं । हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, उसके जो टार्गेट हैं उनको हम निश्चित कर चुके हैं और उनमें हम कमी नहीं कर सकते हैं और दूसरी दिक्कत और भी आ गई कि केन्द्रीय सरकार की अब यह नीति है कि राज्य सरकारें बाजार से अपने वास्ते कर्जा न लें, इससे सरकार के और भी हाथ बंध जाते हैं । ऐसी स्थिति में जब हमें अपने टारगेट को पूरा करना है और नया टैक्स लगाया नहीं है तो मैं समझता हूं कि बड़ा कठिन सा हो गया है यह कह देना कि डेफिसिट बजट किसी खास मकसद से लाया गया है ठीक नहीं है बल्कि स्थिति ऐसी है जिसमें हमारी सरकार को मजबूरी है कि आइन्दा भी इसी तरह की चीज सामने लाये ।

यह भी कहा गया कि डेफिसिट बजट से सरकार की बाजार से साख कम हो जाती है और इंफ्लेशन का अंदेशा रहता है। मैं नहीं जानता कि डेफिसिट बजट से ऐसा हो सकता है। लेकिन यह जरूर है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से इस बात का अंदेशा रहता है और यह भी उस समय होता है जबकि सरकार जो पैसा खर्च करती है उसको प्रोडक्टिव ऐंटरप्राइज में खर्च न करें और प्रोडक्शन न बढ़े तो उनका अंदेशा सही हो सकता है। लेकिन जो खर्चा हुआ है और उससे प्रोडक्शन बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि वह सही है। यह बात दूसरी है कि जितना हम आशा करते थे उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा।

साम्यवादी दल के नेता ने यह भी कहा कि इसमें हमें सरकार की कोई नई नीति दिखाई नहीं पड़ी, सही है और मैं समझता हूं कि इससे उनको जो मायूसी हुई वह अपनी जगह पर सही है और शायद उनकी यह मायूसी तीन साल तक और रहने वाली है। इसकी वजह यह है कि सरकार के सामने एक निश्चित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है और जो हमारा आर्थिक ढांचा है उसको इन्हीं योजनाओं के द्वारा हम आगे ले जाने वाले हैं तो पांच साल तक कोई नई बात नहीं आ सकेगी। बल्कि जो चीज तय हो गई है उसी को बार-बार सरकार को भवन के सामने दुहराना पड़ेगा। पांच साल बाद ही तीसरी नई योजना आ सकेगी।

श्रीमन्, कांग्रेसी समाजवाद की भी हंसी बनाने की बड़ी कोशिश की गई। लेकिन मेरे सामने बड़ी दिक्कत यह है कि कोई पी० एस० पी० के सोशलिस्टिक पैटर्न का बजट मेरे सामने नहीं है मैंने बहुत ढूंढ़ने की कोशिश की। एक मौका मिला था ट्रावनकोर-कोचीन में उस पार्टी को सरकार बनाने का मगर बदकिस्मती है कि यहां लायब्रेरी में उसके बजट की कोई कापी मिल नहीं सकी वरना मैं तुलना कर सकता कि इस बजट और उस बजट में क्या फर्क है। फिर भी मैं उस बहस के अन्दर जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर किसी भाई को यह आशा थी कि एक दम से जितनी आर्थिक विषमतायें हैं वे सब दूर हो जायंगी तो उनको मायूसी होना एक स्वाभाविक बात है। अगर किसी को चिढ़ है तो वह यह न कहे कि हमारा यह बजट समाजवादी बजट है मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि यह एक उस ओर कदम है। आप देखेंगे कि इसमें 'ओल्ड एज पेन्शन' की बात कही गयी है। यह सही है कि वह पूरे तौर से वर्क आउट नहीं किया गया है। यह भी नहीं कहा गया कि कितना खर्च होगा। सिर्फ एक आइडिया दिया गया है। फिर भी मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि तमाम हाउस उसका स्वागत करेगा और इसके लिये सरकार और माननीय वित्त मंत्री, सभी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा इसमें छोटे कर्मचारियों को पांच रुपया माह की महंगाई ज्यादा दी गयी है। मैं यह नहीं कहता कि जो महंगाई दी गयी है वह बहुत काफी है और उनकी हर समस्याओं को हल कर दिया गया है। बहरहाल, उन भाइयों को जिनके सामने आर्थिक संकट था अगर पांच रुपये ही दिये गये तो उस दिशा में कुछ तो कदम उठाया गया और उसका स्वागत करना चाहिये था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी छूट दी गयी है, एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेंस स्कीम बढ़ाने की बात है, दर्जा ६ तक फीस माफ की गयी है। यह सही है कि अगर दसवें दर्जे तक माफ होती तो बहुत बढ़िया बात होती। बहरहाल, अगर छठें दर्जे तक भी माफ हुई और नवें दर्जे में फीस आधी कर दी गयी तो भी कुछ तो कदम उधर उठा आप इसको समाजवाद की बात न कहिये। आप इतना ही कहिये कि ये वेलफेयर ऐक्टिविटीज है। वेलफेयर ऐक्टविटीज और समाजवादी कामों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता, सिर्फ एकेडेमिक फर्क ही रहता है।

मेरे भाई झारखंडे राय जी ने एक बात कही और सही बात कही कि 'सोशलाइजेशन' या 'सोशवल ओनरशिप आफ दि मीन्स आफ प्रोडक्शन' होना चाहिये। मैं एक बात महसूस करता हूं कि आमतौर से यह शिकायत की जाती है और सही की जाती है कि हमारे प्रदेश में और देश में नौकरशाही मजबूत होती जा रही है। मान्यवर, जिस डेमोक्रैटिक तरीके से हम समाजवाद को लाना चाहते हैं यह भी दुनिया के सामने एक नया अनुभव है। हम रूस और चीन जो तानाशाह देश है, उनकी बात जानते हैं और उनकी भी यह बात जान करके

[श्री नवलकिशोर]

मुझे बड़ी मायूसी होती है जबकि श्री ख्रुश्चेव तथा श्री माओ यह कहते हैं कि इतने साल की क्रान्ति के बाद भी उनके यहां डिपार्टमेंटलिज्म और ब्यूरोक्रेसी है। हम आज यहां सोशल ओनरशिप कर दें तो मुझे विश्वास है कि जिसको आप राष्ट्रीयकरण कहते हैं वह राष्ट्रीयकरण नहीं होगा बल्कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा मजबूत होगी। लिहाजा इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुये हमें धीरे-धीरे चलना चाहिये।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह भी कहा कि स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि बावजूद इसके कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हमारे प्रदेश में कोई तरक्की नहीं हुई और अनाज की पैदावार फी एकड़ घटती चली जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक किताब जो यहां बटी थी उसमें दिया हुआ है कि सन् १९५३-५४ में गेहूं की फी एकड़ पैदावार ९.१५, चावल की ६.४६, चने की ७.१९ और जौ कि ९.४८ थी और सन् १९५४-५५ में गेहूं की फी एकड़ पैदावार ९.६४, चावल की ६.१२, चने की ७.३६ और जौ की ९.७९ थी। यह जरूर है कि सन् १९५५-५६ में यह पैदावार कुछ घट गई और उसकी वजह यह थी कि हमारे प्रदेश में वर्षा अधिक हुई और बहुत जबर्दस्त बाढ़ आयी जिससे बहुत नुकसान हुआ था। तो केवल उसी साल के कुछ आंकड़े देकर यह बात साबित कर देना कि यहां कुछ उन्नति नहीं हुई मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं थी। हमारे पास गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो आंकड़े हैं वे भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारे प्रदेश की अन्न की पैदावार काफी बढ़ी है।

इसके बाद यह भी कहा गया कि पैसे की बरबादी होती है, इनएफिशियेन्सी बढ़ी है और करेप्शन है। मैं इस बात को मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं भी देखता हूं कि कई डिपार्टमेंट्स में इस तरह से होता है। मैं किसी खास का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे इसका बड़ा क्लेश होता है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वह जनता के पैसे को जिस एहतियात और कसक से खर्च किया जाना चाहिये इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कमी को मैं प्रायः हर एक डिपार्टमेंट में देखता हूं। इसकी ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मगर साथ ही साथ यह भी बात है कि जब हम करेप्शन की बात करते हैं तो समझना चाहिये कि इसका इलाज आसानी से नहीं निकाला जा सकता। यह हमारे राष्ट्र के जीवन में ऐसा रोग लग गया है जो अन्दर तक घुस गया है। उसका हल केवल असेम्बली में या बाहर कह देने से नहीं होगा। दलबन्दी से ऊपर उठ कर और एक नेशनल ईश इसको मान कर राष्ट्रीय ढंग से इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं सरकार की सेवा में केवल एक बात ही कहूंगा कि जब उसके पास कोई शिकायत इस तरह की आवे तो सरकार बिला लिहाज इसके कि भ्रष्टाचार किसने किया है, उसको उस पर ऐक्शन लेना चाहिये। मैंने सुना है कि कुछ बड़े अफसरों के, जिनका सरकार से सम्बन्ध है, बड़े २ मकान बन रहे हैं। उनकी बाबत लोगों के अन्दर एक अजीब तरह की भ्रान्ति फैली हुई है। मैं समझता हूं कि इस बात की इन्क्वायरी की जाय क्योंकि जनता में यदि उच्चाधिकारियों की ईमानदारी के प्रति भी शंका पैदा होगई तब वह किसी भी सरकार के लिये खतरे की बात हो सकती है।

इसके बाद मैंने बजट में यह भी देखा कि उसके अन्दर बचत करने के बहुत से तरीके रखे गये हैं। मिसाल के तौर पर पी० आर० डी० का विभाग खत्म कर दिया गया है। सोशल डाइरेक्टोरेट और हरिजन डाइरेक्टोरेट को एक किया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं मगर आज भी बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनको आप आसानी से लिक्वीडेट कर सकते हैं और कई २, ३ डिपार्टमेंट को एक ही के अन्दर मिला सकते हैं।

मन्त्रियों की तनख्वाहें कम हुईं और मोटर भी उनके लिये छोटी दी जायंगी। मैं इसको अच्छी बात मानता हूं और सब भाई इसका स्वागत करते हैं। मगर इतना ही काफी नहीं है, किन्तु जैसा एक भाई ने कहा था मैं भी उससे सहमत हूं और इस बात के लिये आपके द्वारा सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस बात की सरकार अपील करे कि जितने सरकारी

कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ५०० रुपये से ऊपर है वह खुद अपनी तनख्वाह से १० प्रतिशत का कट करायें। मैं समझता हूं कि वह भी देशभक्त हैं और वह भी चाहते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कामयाब हो। तो मुझे आशा है कि वह भी इसमें अपना सहयोग देंगे।

इकानामी कमेटी की ९ बातें सरकार ने मानी हैं और मुझे उम्मीद है कि इस तरफ सरकार का और भी ध्यान जायगा और वह इस बात की कोशिश करेगी कि उसकी और भी बातें मानी जायं।

मैंने इस बजट के अन्दर बहुत से नये आइटम्स को देखा तो मुझे यह ऐसा लगा कि उनमें काफी ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। मैं उसकी लिस्ट बनाकर माननीय वित्त मन्त्री जी के पास भेजूंगा और मुझे आशा है वह इसके ऊपर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

आपने एस्टीमेट कमेटी का अपने भाषण में रिफरेन्स किया। मेरा भी उस कमेटी से बहुत नजदीक का सम्बन्ध रहा है लिहाजा मैं उस रिफरेन्स का स्वागत करता हूं। पिछले दिनों हमें नाउम्मीदी-सी थी कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। मैंने देखा कि जो इकानामी के लिये आपने कदम उठाये हैं उसकी एस्टीमेट कमेटी के अन्दर सिफारिशें थीं हालांकि आपने उनको उस कमेटी की सिफारिश के तौर पर नहीं माना लेकिन फिर भी मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि जो भविष्य में एस्टीमेट कमेटी बनेगी वह भी इसी तरह से बचत के सुझाव देकर अपना कर्त्तव्य निभायेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक लेखे के सम्बन्ध में जो मैंने पढ़ा, सब से पहले मुझे यह आश्चर्य हुआ कि इस प्रदेश में १० मई से सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया जा रहा था और इस बजट में उससे संबंधित या उससे प्रभावित होकर कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिससे सन्तोष होता या मैं यह समझता कि खैर, सरकार कुछ लोगों के सुझावों को मानने के लिये तैयार है, और सुझाव ही नहीं, वे बातें जिन्हें जनता की पुकार कहना चाहिये, बढ़ती हुई तकलीफों का प्रदर्शन कहना चाहिये और देश में अव्यवस्था का संकेत समझना चाहिये ऐसी तमाम बातों के लिये इस बजट में कोई स्थान नहीं है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि किसी देश और प्रदेश की शासन-व्यवस्था के लिये ४ बातें अपेक्षित हैं। पहली बात यह है कि वहां की जनता में न्याय की भावना जागृत होनी चाहिये। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता में न्याय की भावना बिलकुल दब गई है। जनता महसूस कर रही है कि उसके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एक तो बाहर की जनता और दूसरे शासन में काम करने वाले लोग, दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि न्याय नहीं है, दोनों ही आज न्याय से वंचित हैं। सोशलिस्ट पार्टी की १२ मांगों में से ८ ये हैं। जिनको न्याय की भावना को जागृत करने के लिये मांग की गई थी और विश्वास था कि अगर सरकार सचमुच इस प्रदेश में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहती है तो उन मांगों को स्वीकार करना उसके लिये आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य होगा। दूसरा रास्ता हो नहीं सकता है। बिना मुनाफे वाली खेती से लगान उठाने की बात सोशलिस्ट पार्टी ने कही और यह सरकार भी महसूस करती रही कि उस पर से लगान न उठाना अन्याय है। मैं समय की कमी के कारण तफ़सील में नहीं जाऊंगा लेकिन संक्षेप में मैं उन मांगों को गिना देना चाहता हूं जिनको सोशलिस्ट पार्टी ने इसलिये उठाया था कि इस प्रदेश की जनता में न्याय की भावना जगे और राज्य के प्रति आस्था बढ़े। अगर इन बातों पर विचार नहीं किया गया तो यह निश्चित है कि जनता आतुर होकर और न्याय की भावना को खोकर पता नहीं क्या करने के लिये तैयार हो जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यह जो आप कह रहे हैं क्या यह बजट से संबंधित है?

श्री राम स्वरूप वर्मा--हम तो बिल्कुल बजट पर ही बोल रहे हैं। क्या इस बजट पर ऐसी बातें कही जावेंगी जो बाहर की हों?

श्री उपाध्यक्ष--बजट के साधारण वादविवाद में सरकार की नीति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। माननीय सदस्य नीति की बात कह रहे हैं जो नियमानुकूल है और ऐसा कहने का उनको अधिकार है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बजट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये बातें सुधरें। गल्ले में दामों की लूट बन्द करना, बिना जमीन का बटवारा किये चकबन्दी करना, आमदनी में १ और १० से ज्यादा अनुपात का होना, यानी अधिक अनुपात को कम न करना अर्थात् हजार से अधिक रुपया पाने वालों की आमदनी न घटना, बेकारों को काम न मिलना, काम न मिलने पर खाने का भत्ता न मिलना, आबपाशी का लगान कम न करना, खेतिहर मजदूरों की निम्नतम मजदूरी तय न करना, कम आमदनी वाले लोगों पर से बिक्री-कर और दूसरे पेशों से कर न हटाना, ये बातें इस बात का दिग्दर्शन कराती थीं कि जनता में न्याय की भावना खत्म हो गई है और अब सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसके साथ-साथ दूसरी बात जो बजट में होनी चाहिये जिससे देश में मजबूती आती है वह व्यवस्था का सवाल है। आज अंग्रेजी शासन यहां से हट गया है। हमें देश में एक नई व्यवस्था की आशा है और हम चाहते हैं कि पुरानी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का अन्त हो और स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं और संस्थाओं का विकास हो। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसकी ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया।

चौखंभा राज्य की मांग भी सोशलिस्ट पार्टी की एक मांग थी और यह आशा थी कि अब की बार बजट के समय इस ओर अवश्य ही ध्यान दिया जायगा। हमारी एक खास मांग यह थी कि गांव पंचायतों को बजट का एक चौथाई भाग दे दिया जाय और ऐसी व्यवस्था जो गांवों से ताल्लुक रखती है, या जिले से ताल्लुक रखती है वह गांव पंचायतों और जिला पंचायतों के द्वारा करायी जाय। उसमें सरकार को ज्यादा परेशानी भी न होती और व्यवस्था भी अच्छी होती तथा उसमें कुछ नवीनता भी आती। अभी उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को इतना समय नहीं है कि वह ऐसी छोटी-मोटी बातों पर विचार करे और उनको देखे। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने चौखंभा राज्य की व्यवस्था की होती तो स्वस्थ जनतंत्र का विकास हुआ होता। गांवों के सुपुर्द पुलिस होती। मैं यह नहीं कहता कि सशस्त्र पुलिस को गांवों के सुपुर्द कर दिया जाय बल्कि जो सिपाही उन गांवों से संबंधित हैं उनको जन-प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया होता तो व्यवस्था कुछ अच्छी हुई होती। इसमें डरने की कौन सी बात है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इससे व्यवस्था करना मुश्किल हो जायगा, लेकिन जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो इस प्रकार से सोचने से काम नहीं चल सकता है। यह तो जनतंत्र का प्रयोग है। यद्यपि यह इस देश में नयी बात नहीं है लेकिन नये तरीके से हम काम कर रहे हैं। जब आप प्रान्त में अच्छा शासन कर सकते हैं तो क्या बात है कि गांव और जिले में शासन नहीं हो सकता। मुझे ताज्जुब होता है कि आप क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से चौखंभा राज्य से अनेक लाभ हो सकते हैं जैसे--पैसे का गबन न होना, अपव्यय न होना और इस प्रकार की चीजें गांवों को अधिकार देने से हो सकती हैं। इसके साथ-साथ जनता में सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाना चाहिये। जीवन को सुचारुरूप से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि लोगों में सुरक्षा की भावना हो।

हमारी तीन मुख्य मांगें थीं। आठवीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त हो। सरकार ने उस ओर कदम उठाया है चाहे सत्याग्रह का उस पर असर पड़ा हो, चाहे और कोई कारण हो लेकिन यदि सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वह अच्छा ही है। दूसरी यह कि बिना वारंट के किसी को थाने पर न बुलाया जाय। इसके साथ ही साथ मुकदमों का जल्दी फैसला

किया जाय और न्याय सस्ता और सुलभ हो। तीसरी बात यह कि बाढ़ को रोका जाय और बाढ़ में गिरे हुए मकानों को सरकारी सहायता से बनवाने का प्रबन्ध किया जाय। श्रीमन्, अगर सरकार ने इन तीन बातों को माना होता तो बजट में अवश्य इसकी व्यवस्था होती। मुझे विश्वास है, और इस देश की जनता विश्वास करती है कि सरकार उन लोगों की मांग को नहीं समझती है क्योंकि इस बजट में उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना भी देश की, प्रदेश की जनता में जाग्रत नहीं हुई है जिसका कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सुझाव दिया गया था। अगर ऐसी भावना का अभाव रहा तो इस देश और प्रदेश का उद्धार नहीं हो सकता। वह राष्ट्रीय भावना ही है और उसके प्रतीक में सोशलिस्ट पार्टी ने दो बातों को रक्खा है। एक तो यह कि हिन्दी में ही प्रदेश का सब काम-काज किया जाय। यह उनकी मांग सरकार की घोषित नीति के अनुसार है। यह तथ्य की बात है कि यदि हम अपनी भाषा को छोड़ कर विदेशी बोली में काम-काज करें तो शर्म की बात होने के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना की कमी का द्योतक है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात तो इतनी साधारण सी थी और जो राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थी लेकिन मुझे खेद है कि सरकार ने उस वक्त भी अपनी हठवादिता के कारण उस मांग को ठुकरा दिया जिससे सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह उस वक्त नहीं रुक सका। सत्याग्रह स्थगित होने की जो बात थी उस वक्त, वह यह बात थी कि सार्वजनिक स्थानों से विदेशी शासकों की मूर्तियों या पुतलों का हटाया जाना। इस मांग को भी उस वक्त तो ठुकरा दिया गया और मुझे कहते हुए खेद होता है कि कभी-कभी गवर्नमेंट स्वयं ऐसी बातें, जो देश के लिये बहुत जरूरी है, जिनसे मौलिक नीति की स्थापना होती है उनको सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर पहले तो हटा देती है और बाद में उसे करने के लिये उसे मजबूर होना पड़ता है। ऐसी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कर कोई सरकार अच्छी तरह से नहीं चल सकती है। आपको तो जनता की बातों, जनता के दुख दर्द और तमाम प्रदेश की मुसीबतों को ध्यान में रख कर ही कोई काम चलाना पड़ेगा।

इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, ये चार भावनायें जो हैं, वे किसी राज्य के लिये बहुत आवश्यक हैं। यानी सर्वप्रथम तो न्याय की भावना जाग्रत होना। समाज में प्रदेश के लोगों में न्याय की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि कोई भी जनतन्त्र बिना न्याय भावना के पनप नहीं सकता है। चौखम्भा राज्य स्थापित करने के लिये चाहे प्रशासकीय दृष्टि से देखा जाय, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखा जाय, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखा जाय, चाहे राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आपके द्वारा स्पष्ट बतला देना चाहता हूं कि इस क्रांति भावना के बिना जाग्रत हुए किसी प्रकार भी हम किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा दिवालियापन तो इस बात से साबित होगा कि इस न्याय भावना की कमी के कारण श्रमदान बेकार हो जाता है, मितव्ययिता जो बहुत जरूरी है उसे जबरदस्ती वसूली समझा जाता है। इस भावना की कमी होने से बहुत से प्रदेश के काम रुक सकते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह जनता में न्याय की भावना को जाग्रत करें। प्रशासकीय क्षेत्रों में न्याय की भावना की जो कमी है उसकी तरफ तो मैं बाद को चल कर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जब सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह के लिये आवाज उठायी तो तमाम प्रदेश के लोग सत्याग्रह के लिये तैयार होने लगे और वे मुसीबतें सहने के लिये भी, कष्ट सहने के लिये, यहां तक कि गर्मी के दिनों में जहां एक एक घड़े जल के लिये तरसना पड़ता है, जेल जाने के लिये उतारू हो गये और वे जेल गये भी। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से आप इन सब बातों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे।

एक खास बात मैं यह भी कहूंगा कि जब सोशलिस्ट पार्टी के लोग जेल जाने लगे तो सरकार का यह फर्ज था कि वह धैर्य के साथ यह देखती और महसूस करती कि प्रदेश की कितनी जनता सचमुच इन मांगों से सम्बद्ध है जिससे इस प्रश्न की गम्भीरता और इसके औचित्य पर

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कुछ प्रकाश मिलता। लेकिन मुझे खेद है कि बजाय इसके कि सरकार धैर्यपूर्वक उस आन्दोलन को देखती और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप काम करती रहती, उसने तमाम नेताओं को घर से पकड़-पकड़ कर, जो कि सत्याग्रह नहीं भी कर रहे थे, जेल के अन्दर बन्द कर दिया और कुछ अपने आदमियों को भी जेल में भेज कर उनसे माफी मंगवायी गयी और यह कहा गया कि इतने सत्याग्रहियों ने माफी मांग ली।

मैं सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह नीति जो सरकार ने अपनायी है वह न सरकार के हित में है और न राष्ट्र के हित में है। यह किसी के भी हित में नहीं है। यह तमाम देश के लिये एक कलंक की बात है और मैं समझता हूं कि किसी भी देश में इस तरह से राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं का माफी मांगना, यह उस देश के राष्ट्रीय चरित्र के पतन का द्योतक है और मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर कोई नीच बात नहीं हो सकती है। इस सरकार की हठवादिता की नीति की ओर और जेलों में जो इस बार हमारे साथियों को कष्ट उठाना पड़ा है उसकी ओर मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया है। मैं संक्षेप में कहूंगा कि अबकी बार यहां की जेलों में जो अमानुषिक अत्याचार हुये हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता है और जैसा कि सभी को मालूम है कि किस तहर से उन अत्याचारों के फलस्वरूप श्री कमला राय की मृत्यु हुई है, यह स्वयं ही इस बात को साबित करने के लिये एक बड़ा संकेत है कि किसी तरह से सरकार ने अपनी दमन नीति यहां चलाई है। इस तरह से सरकार हर चीज को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उठते हुये भावों को कुचलने की कोशिश करती है। मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने प्रश्न है और जिनको सोशलिस्ट पार्टी ने जनता के हित के लिये उठाया है और जिसके कारण अब भी हमारे साढ़े ३ हजार आदमी जेलों में हैं और अब भी उनका जेल जाने का तांता रुका नहीं है और बराबर लोग जेलों में भरे जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यहां उन सब बातों पर शान्त हृदय से विचार हो और सदन भलीभांति उन तमाम बातों पर विचार करके अपना निर्णय दे। मैं समझता हूं कि सरकार की इस प्रकार की नीति कोई भी सदन का सदस्य पसन्द नहीं करेगा और न इसको वांछनीय समझेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी नीति के विरुद्ध सभी लोग अपने विचार प्रकट करेंगे।

जब मैंने सरकार की न्याय भावना की बात की तो इसके साथ-साथ प्रशासकीय क्षेत्रों में जो न्याय भावना की कमी आज है और जिसके न होने के कारण बहुत से सरकार के काम रुक जाते हैं और किसी भी प्रकार से सरकार के काम आगे नहीं बढ़ पाते, उसका कारण क्या है? सरकार कभी तो जांच कमेटियां बैठाती है और छोटी-मोटी सख्ती की भी कार्यवाही करती है और यह कोशिश भी करती है कि किसी तरह से काम आगे बढ़े लेकिन जब उसकी मूल नीति ही गलत हो गई है और जब प्रशासकीय क्षेत्रों के लोग न्याय भावना के भाव को ही महसूस नहीं करते तो काम उनके द्वारा कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इन खास बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। असल में किसी भी प्रशासकीय क्षेत्र में यदि अयोग्य आदमियों को पदोन्नति दी जायंगी और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको हटाया जायगा तो काम कैसे आगे बढ़ सकता है, यही यहां हो रहा है कि अयोग्य लोगों को भरा जा रहा है और जो योग्य आदमी हैं उनको पदोन्नति की कोई आशा नहीं है। जिनका काम आंकड़ों से और लेखों से हमेशा अधिक है और अच्छा है और जो हमेशा होशयार और मेहनती साबित हुये हैं उनकी पदोन्नति नहीं होती तो अन्याय की भावना उनके दिमाग में बैठ जाती है और उनमें कोई काम करने का साहस या प्रलोभन नहीं रह जाता। उदाहरण के लिये यदि कृषि विभाग को ही ले लें क्योंकि वह प्रदेश के ५ करोड़ आदमियों से सम्बन्धित विभाग है इस वजह से मैं इसको ही लेता हूं। इस विभाग के खास तौर से बहुत से ऐसे काम हैं कि जिन

का किसी को इल्म नहीं है जैसे हाल ही में मुझे एक योजना वहां की मालूम हुई जिसके अनुसार हरी खाद के बीज लिफाफों में रख कर भेजे गये जबकि सभी किसान हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं और सब जगह सनई वगैरा के बीज मिल जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं दे दूं कि एक जिला अधिकारी हैं कि जो अपने जिले में हजारों मन खाद बांटते हैं उन्होंने केवल अपने जिले में २० हजार मन खली की खाद बांट डाली जब कि बाकी कुल प्रदेश के लिये डाइरेक्टर ने ३० हजार मन खाद खरीदी। २० हजार मन केवल जिला अधिकारी ही ने अपने अकेले जिले में बांटी और ३० हजार मन पूरे प्रदेश में बंट सकी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्त्तव्य विमुख कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? साथ ही साथ एक और फर्क है। सात रुपये एक आना मन जिले के अधिकारी महोदय तो किसान को खेत पर खाद देते हैं और सात रुपये ग्यारह आने मन सीड स्टोर से डाइरेक्टर साहब देते हैं। वह किसान के घर में साढ़े आठ रुपये से कम तो नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ यह जनता का मिशनरी कार्य, और उसके लिये भी ज्यादा दामों पर किसानों को मिले। इसमें तीस हजार रुपये का नुक्सान किसानों को हुआ। इस मामले में भी इस सरकार के अधिकारी ध्यान दें, और ऐसी उपेक्षा करें, उसके लिये मैं क्या कहूं।

एक और सौतेला व्यवहार इस कृषि विभाग के साथ हुआ करता है। कृषि विभाग इस प्रदेश की रीढ़ है। उसके साथ व्यवहार कैसा है कि उसके छोटे-मोटे अफसर जो सीड स्टोर्स पर रहते हैं, उनका कोई अभी तक श्रेणी संगठन नहीं किया कि कौन किस पद के लिये है और उसका क्या काम है। ग्रुप इंस्पेक्टर्स बने हुये हैं, सीड स्टोर इंचार्ज बने हुये हैं। पता नहीं कौन काम किसका है, और क्या काम है। आराम से पहुंच गये, पड़े हैं। उनका काम देखा ही नहीं जाता। इतना बड़ा भारी कार्य जिस पर प्रदेश के अधिकांश आदमियों का जीवन निर्भर है और जिससे प्रदेश की पूरी उन्नति की सम्भावना है उस पर इतना उपेक्षा का भाव। न तो उनके नियम बने, न उनके सम्बन्ध में श्रेणी शृंखलाबद्ध की गयी, न ग्रेडेशन बनाया गया और न रहने का प्रबन्ध।

प्लानिंग की योजना चलती है। उनके लिए हर जगह मकान बन जाते हैं। चाहे जो भी उन पर खर्चा होता हो सरकार प्लानिंग विभाग के लिए मकान बनाने में खर्च करती है। उनके मकान बनते हैं और कृषि विभाग का यह हाल है जितने कृषि विभाग के रहने वाले अधिकारी हैं, सीड स्टोर्स पर, जिनके पास रोज किसान का आना होता है, किसान ऐसा तो है नहीं वक्त देख कर चले, जब उसको फुर्सत होती है तो आ जाता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कृषि अधिकारियों के लिये जरूरी है कि वह २४ घंटे अपने क्वार्टर्स पर रहें। लेकिन कृषि विभाग के मंत्री महोदय ने कभी नहीं सोचा कि उनके लिये जरूरी है, मकान बना दिये जायं ताकि सभी अधिकारी मौके पर रहें और उनके लिये आदेश रहे कि किसान जिस वक्त आये उन्हें उनका काम करना चाहिए। अगर बीज, खाद या जरूरी औजार वगैरा देना है तो फौरन् दें। यही कारण है कि कृषि में इस प्रदेश में कोई तारीफ की बात नहीं हुई है। मैं आगे चल कर बताऊंगा कि तारीफ नहीं है। अगर सही तरीके से आंकड़े इकट्ठे किये जायं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आंकड़े इकट्ठा करने का ढंग बदला जाय जिससे हम लोगों को सही पता चल सके कि कितनी अच्छाई और खराबी हुई है। ऐसे कृषि के आंकड़ों से यह नहीं माना जा सकता है कि कोई अच्छी उन्नति हुई है। मैंने कृषि के सम्बन्ध में एक बात बतायी और यह बताया कि किस प्रकार सौतेला व्यवहार इस विभाग के साथ होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि कृषि के सम्बन्ध में न तो कोई किसानों की आवाज सुनी जाती है, साढ़े तीन हजार किसान जेल में सड़ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। परन्तु लार्ज स्केल इंडस्ट्री की रिपोर्ट आयी और २५ लाख की छूट भी कर दी गयी। बड़े-बड़े कारखानों को बिजली सस्ती दी जाय क्योंकि उन पर गरीबी बहुत है। अगर उनको छूट न दी जायगी तो वे बेचारे काम कैसे करेंगे। लेकिन किसान के पास अक्षय भंडार मौजूद है। उसके लिये छूट का सवाल ही नहीं उठता। आबपाशी, लगान और रजिस्ट्री की फ़ीस बढ़ा दीजिये और जो भी बढ़ाना हो बढ़ा दीजिये। उसके लिये कोई सुनवाई नहीं। सौतेला व्यवहार चल रहा है।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

सिंचाई विभाग का भी यही हाल चल रहा है। जहां से यह रिपोर्ट निकली है मैंने पढ़ी कि इतने एकड़ सिंचाई हो गयी। मैं उसके सम्बन्ध में एक बात तो कह दूं कि सिंचाई के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि जितनी नहरें बढ़ा दी गयीं और ट्यूबवेल्स बढ़ा दिये गये इन सब के बढ़ने के बावजूद औसत सिंचाई घटी है। सिंचाई बढ़ी नहीं है घटी है। और इस वजह से इन आंकड़ों से कोई बड़ी खुशी की बात सरकार को नहीं होना चाहिये, दुख की बात होनी चाहिये कि कहां इसका इंतजाम खराब है जिससे किसानों की उन्नति नहीं हो रही है। सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध बढ़ा नहीं है। कुछ सिंचाई तो बढ़ ही जाती है जब आप करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। लेकिन उसके साथ यह भी देखना है कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं कितनी तरक्की कर रहे हैं। इस विभाग का यह हाल है। एक और रहस्य की बात है। फसल पर किसानों को पानी नहीं मिलता। अगर एक दफा मिल गया तो दूसरी दफ़ा जब कि जरूरत होती है पानी ही नहीं मिलता। मैं कानपुर का हाल बताता हूं कि वहां पिछले तीन साल से बराबर यह रिपोर्ट आ रही है कि मटर सूख जाता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं। आज तक यह सरकार तय नहीं कर पायी है कि किन दिनों में पानी की जरूरत किस-किस फ़सल के लिये पड़ेगी। होता यह है कि जब ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की मर्जी हुई पानी खोल दिया गया और जब मर्जी हुई बन्द पड़ा है। दूसरे जो कुलाबे हैं उसका कोई नक्शा आज तक सरकार के पास मौजूद नहीं है कि कौन कुलाबा कितनी दूरी पर लगा हुआ है और उसकी सतह से ऊंचाई कितनी है? एक और कारण है न्याय की भावना यहां पर भी अधिकारियों में नहीं है अगर कोई अधिकारी किसी मिनिस्टर या सेक्रेटरी के नजदीक आ जाता है तो जितना काम उसके लिये निश्चित है उससे ज्यादा उसको मिल जाता है चाहे वह कर सके या न कर सके। फल यह होता है कि काम की क्षमता खत्म हो जाती है और उससे काम में काफ़ी नुक्सान होता है।

ट्यूबवेल का मुझे व्यक्तिगत हाल मालूम है। ट्यूबवेल सब से ज्यादा डिफ़ेक्टिव हैं, उनसे सिंचाई का औसत बहुत कम है। होता यह है कि जो योग्यता से काम करता है उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सच पूछिये तो हाल यह है कि तनख्वाह जनसेवा की नहीं मिलती बल्कि उच्च अधिकारियों की चापलूसी की तनख्वाह मिलती है।

एक बात और कहनी थी, किसानों के लिये अजीब हाल हो गया है। शिक्षा के सम्बन्ध में किसानों के लिये बेसिक स्कूल खोले जाते हैं जिसमें कुल्लढ़ वगैरह बनाने सिखाये जाते हैं जब कि प्रदेश के अन्दर और जगहों पर इन्टर कालेज जैसे बड़े-बड़े कालेज खुले हैं। इन्टर कालेज जैसे कालेजों के लोग तो यह समझ कर पढ़ते हैं कि उन्हें शासक होना है और बेसिक स्कूल का विद्यार्थी केवल खेती करना ही अपना उद्देश्य समझता है। उसके हृदय में देश का प्रशासक बन कर देशसेवा करने का भाव जाग्रत करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी विभेदपूर्ण शिक्षा का अन्त किया जाय। एक तरफ़ तो बराबरी का दावा किया जाता है लेकिन सुविधायें चन्द बड़े-बड़े आदमियों के लिये दी जाती हैं। वही मसल कि बड़ा पेड़ बड़ा हो जाय तो नीचे वाले को पनपने न दे। तो जब इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निश्चय है कि उनके हृदय में कभी यह भावना नहीं जगेगी कि हम भी जनता की सेवा कर सकते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका १ मिनट ही बाकी रह गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो संक्षेप में अब मैं तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार का जो खुशहाली का दावा है यह बिलकुल गलत है इसलिये कि मैंने हिसाब लगाया कि ४४-४५ की जो पैदावार है उसमें और ५४-५५ की पैदावार में खेतिहर मजदूरों और किसानों का औसत लगायें तो सवा आठ सेर फी व्यक्ति औसत पैदावार कम हो गयी। इससे आप समझ सकते हैं कि खुशहाली का क्या हाल है।

श्री महमूद अली खां (जिला रामपुर)---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब , मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रामपुर का रहने वाला हूं। यह अपना तअर्रुफ़ मैं इसलिये कर रहा हूं कि इससे पहले चूंकि एक भाई मेरे हमनाम सहारनपुर के थे और अब मेरठ से एक और भाई तथा मुरादाबाद से भी एक भाई मेरे हमनाम आगये हैं, अब खुदा के फ़जल से इस नाम के चार हो गये। मैं रामपुर से सुआंरटांडा बिलासपुर से चुनकर आया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---यह वित्त मंत्री जी को तो आप अपना तअर्रुफ़ नहीं करा रहे हैं ?

श्री महमूद अली खां---फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनके आफिस वालों को भी जिन्होंने कि उनका हाथ बटाया। बहुत अच्छा बजट है और मैं उसकी पूरी तरह तारीफ़ करता हूं। कांग्रेस ने जो काम किये हैं वह कोई छिपे-ढके तो हैं नहीं। वह नापे भी जा सकते हैं, तौले भी जा सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट से मतलब है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किये हैं वह नापे भी जा सकते हैं, तौले भी जा सकते हैं, हिन्दुस्तान में चलफिर कर देखे भी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखे जा सकते हैं और अपने अपने हल्कों में भी देखे जा सकते कि क्या काम किये हैं। सड़कों का बनना, आबपाशी का ज्यादा होना, ट्यूबवैल का बनना, तालीम, हैल्थ, पावर-हाउस वगैरह यह सब कोई छिपी हुई बातें नहीं हैं। रुद्रपुर को देख लीजिये। दो सौ मेकनाइज्ड फार्म हो गये हैं। यह सब बातें ऐसी हैं कि जो बिलकुल खुली हुई हैं और यह कोई छिपी ढकी चीज नहीं है। जिसका जी चाहे रुद्रपुर में जाकर देख सकता है कि किस किस्म के काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किये हैं। स्टेटों को खत्म करना , जमींदारी को खत्म करना यह भी काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही किये हैं। आज तीन दिन बजट की बहस को हो गये। अपोजीशन के भाइयों की तरफ से किसी ने भी इसकी तारीफ नहीं की। मगर मेरी हैरत तब खत्म हो गई जब मेरे बुजुर्ग भाई पालिवाल जी ने अपनी स्पीच में बजट की मुखालफत की। किसी वक्त खुद भी वह बजट पेश किया करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या मैं पूछ सकता हूं आपके द्वारा कि उन के बजट को सीने से लगाकर सिर पर रख लिया जाता था। क्या उसकी मुखालफत नहीं की जाती थी। आज जब उन्होंने इस बजट की मुखालिफत की तो मेरी हैरत खत्म हो गई और यह तय कर लिया मैंने कि कोई भी बजट हो उसकी मुखालिफत जरूर की जायगी चाहे वह किसी रूप में पेश किया जाय। (कुछ आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष---अपनी बात आप कहते जायं ।

श्री महमूद अली खां---बजट में हर मिनिस्टर ने अपनी तनख्वाह १०० रुपये कम की और छोटी मोटर में बैठना स्वीकार किया। मगर उसकी भी कुछ तारीफ नहीं की गई। इसको भी कुछ और रूप में अपोजीशन की तरफ से पेश किया जाता है। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप सारी तनख्वाह छोड़ कर और पैदल चलकर देख लें, फिर भी उधर से मुखालिफत की जायगी। ऐसी हालत में मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि आप ठंडे दिल से काम करते चले जायं। कतई परवाह न करें। अपोजीशन तो चाहता है कि अरंडी का पेड़ जिसकी जड़ कमजोर होती है लगा दिया जाय तो जल्दी फल देने लग जाय। कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है कि वह ऐसा फलदार पेड़ लगावे जिस का फल भी अच्छा हो। जाहिर है कि अच्छे आम का पेड़ लगाया जायगा तो ज्यादा दिनों में उसमें फल निकलेगा। और यह फल जिस को खट्टा-खट्टा कहा जाता है वह भी तब मीठा हो जायगा (कुछ आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष---कई बार माननीय सदस्यों ने बीच में टोका। मैं देख रहा हूं कि किसी महत्वपूर्ण बात के लिये ऐसा नहीं किया गया है। पार्लियामेंटरी पद्धति में किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही टोकने की अनुमति है ।

श्री महमूद अली खां--छोटे मुलाजिमों की तनख्वाह भी बढ़ाई गई, छोटे दर्जों की तालीम मुफ्त करदी गई, इस पर भी एतराज है। कहीं तो कहिये कि कोई बात ठीक है। मैं कहता हूं कि आप सारी तालीम मुफ्त कर दीजिये, अपने बराबर मुलाजिमों की तनख्वाह करके देख लीजिये, तब भी एतराज होगा। तो यह मुखालिफत तो हर हालत में होगी।

रामपुर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वहां पहले स्टेट थी उसके हजारों आदमी बेकार होगये। वहां के कारखाने अभी तक बन्द पड़े हैं और फिर वहां एक बोगस बैंक कायम हो गया जो नौ महीने तक चलता रहा। हर शख्स यह सोचता रहा कि यह बैंक चलेगा और रामपुर के ही नहीं लखनऊ तक के लोग वहां गये और अपना रुपया उस में जमा किया। तो मैं निहायत अदब से अपनी गवर्नमेंट से कहूंगा कि रामपुर के कारखाने बन्द पड़े हैं, उनको चालू कराया जाय, और दूसरी जगह कारखाने बनाये जा रहे हैं, मैं कांग्रेस सरकार को उसके लिये मुबारकबाद देता हूं। मेरी दरख्वास्त है कि बोगस बैंक का जल्दी फैसला किया जाय ताकि लोगों की जो रकमें फंसी हुई हैं वे मिल जायं।

आपके द्वारा मैं सेंट्रल गवर्नमेन्ट तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। रामपुर से केसरी, तहसील बिलासपुर होते हुये एक रेल निकाली जा रही थी जो लाल कुंये को मिलाती थी। इससे रामपुर की बेरोजगारी दूर होती, लेकिन बदकिस्मती से उसका सर्वे तो हुआ पर वह रोक दी गई। मैं चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे कि वह रेल जरूर निकाली जाय। इससे रामपुर की बेरोजगारी जरूर दूर होजायगी और वहां एक मंडी कायम होजायगी।

रामपुर में वाटर सप्लाई स्कीम भी चालू की गई है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं इसके लिये अपनी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उसने रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड को रुपया देकर वाटर स्कीम चालू करा दी। वहां का म्यूनिसिपल बोर्ड अब टूट गया है और अब वह गवर्नमेंट के हाथ में है। वहां वाटर टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन रामपुर के लोग इतने गरीब हैं कि वे उस टैक्स को दे नहीं सकते। मैं चाहूंगा कि वह वाटर टैक्स कतई माफ कर दिया जाय।

रामपुर में जमींदारी भी खत्म हुई। लेकिन कुछ जमींदारों ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिट दायर की है। ठीक है वह कानूनी बात है लेकिन जिन्होंने रिट दायर नहीं किये उनके बांड अभी तक नहीं बने हैं। वे अगर बन जायं तो इससे भी वहां पर परेशानी दूर होगी। जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ रिट दायर कर दिये हैं वे जायदाद पर भी कब्जा किये हुये हैं और उनकी वही आमदनी हो रही है, लेकिन जिन्होंने रिट दायर नहीं किये उन की आमदनी खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस गवर्नमेंट उनके बांड्स जल्दी बनवा देगी।

रामपुर ने सबसे पहले अपने आप को हिन्दुस्थान में शामिल कराया और एक मिसाल कायम की। इस मौके पर मैं नवाब रामपुर की तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और दूसरी स्टेट्स को सबक दिया कि ऐसा करना चाहिये। मैं इसके लिये भी नवाब रामपुर को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एलेक्शन में कांग्रेस का साथ दिया।

श्री उपाध्यक्ष--कांग्रेस को शुक्रिया अदा करने की यह जगह नहीं है।

श्री महमूदअली खां--गवर्नमेंट से मेरा मतलब है। मैं आप का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टोक कर सही कर दिया। मेरा मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट से होता है जब मैं कांग्रेस कहता हूं।

रामपुर पर जितनी आमदनी है सब खर्च कर दी जाय यह कहना तो मेरा कुछ गलत सा होगा, लेकिन यह कहना सही होगा कि रामपुर की आमदनी से ज्यादा रामपुर पर खर्च किया जाय। यह ऐसा शहर है जिसका नाम भी रामपुर है और आगे मैं क्या कहूं।

हिन्दुस्थान में इस वक्त एक बड़ा सवाल काश्मीर का पैदा होगया है। रोजाना पं० जवाहरलाल जी के बयान आते हैं। मैं कांग्रेस सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और

सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पर यकीन दिलाता हूं कि जब कभी कश्मीर पर कोई बात पाकिस्तान की तरफ से होगी तो पूरा रामपुर हिन्दुस्तान का साथ देगा और वालेंटियर्स की लिस्ट में सबसे पहले मैं काश्मीर के लिये अपना नाम लिखाऊंगा। आप मुझे कभी भी पीछे नहीं पायेंगे। (चियर्स) मैं ने गोवा के लिये भी अपने को वालेंटियर की हैसियत से पेश किया था। जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उस वक्त मुझे घेबर भाई के खत ने रोक दिया। मैं आइंदा के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट से कहता हूं कि जब काश्मीर का मसला आये तो उस वक्त सबसे पहले मेरा नाम रखा जाय।

मगर मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि रामपुर की जो मांगें हैं वह पूरी की जायं। कुल कारखाने चालू किये जायं। रेल-गाड़ी जो निकाली जा रही है, वह जरूर निकाली जाय। बोगस बैंक का जरूर फैसला किया जाय ताकि रुपया वापस आवे। वाटर-टैक्स कम किया जाय और इसके अलावा जो और रियायतें हैं वे दी जायं।

डिग्री कालेज में साइंस क्लास खोलने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ७० हजार रुपया इस बजट में रखा है, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह दर्जा जल्दी खुल जायगा। उसकी इमारत बन चुकी है ताकि लड़कों के दाखिले में आसानी हो और इंटर कालेज में मैं चाहता हूं कि एक-दो सेक्शन और खुल जायं ताकि वहां के दाखिले में कोई दिक्कत न हो।

आखिर में मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बजट की ताईद करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं उनसे, जो मेरे बुजुर्ग हैं, कहता हूं कि हिम्मत से काम लीजिये।—शुक्रिया आप को।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत है वह अन्य वर्षों की अपेक्षा प्रगतिशील है, लेकिन प्रीस्टले के इन शब्दों के साथ मैं सहमत हूं कि कोई राजतंत्र कितना ही सुधार करे, फिर भी उस की गति भारी-भरकम और सुस्त होगी। उसमें कितने ही, प्रतिभाशील और रचनापटु व्यक्ति सम्मिलित हों तो भी उनकी धार मोथरी हो जाती है। परियों की कहानी और किसी आदर्श राज्य के आने की कल्पना में वक्त व्यर्थ नष्ट करना है। लेकिन हम लोग इस विश्वास से कि हम अपने प्रान्त को वहां ले जायेंगे जहां आर्थिक विषमता समाप्त हो जायगी और उसे सिर्फ एक कल्याण-कारी राज्य ही नहीं, बल्कि सर्वोदय की दृष्टि का राज्य स्थापित करेंगे, तो उस दृष्टि में मैं देखता हूं कि जो छोटी-मोटी हमारे राज्य में प्रगति हुई, वह केवल सांकेतिक है। उसमें कोई इतना कार्य नहीं हुआ है जिससे कि हम कह सकें कि हमारी दिशा स्पष्ट निश्चित हो गयी है।

आप देखेंगे कि आय-व्ययक में जो बुढ़ापे की पेंशन और बच्चों की फीस की माफी हुई है वह सर्वोदय का ही संकेत है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप दोपहर के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे। मुझे एक जरूरी सूचना देनी है।

प्रदेश की खाद्य-स्थिति पर विचारार्थ तिथि-निर्धारण की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर विशेष कर और प्रदेश में अन्न की स्थिति पर विचार करने के लिए एक दिन का समय निश्चित होने वाला था। वह तारीख २९ जुलाई, सोमवार को होगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५७–५८ के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री रामजी सहाय––श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से जो वेतन में अल्प वेतन भोगियों की बढ़ौत्तरी हुई है और मंत्रियों ने अपने वेतन में कटौती की है, वह चिरपोषित आकांक्षा रही है हर वर्ग की कि एक और दस का अनुपात हो। इसी दिशा में यह प्रयत्न है। इतना अवश्य कहा जायगा कि हमारी सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। यह सही है। हमारा आदर्श यह रहा है कि जन-सेवक जेल में जाते रहे हैं, उसमें यह नहीं था कि वह उनका त्याग काल था, बल्कि यह उनका कर्त्तव्य था और यदि वह जेल में नहीं रह सकते थे तो माफी मांगकर घर आ सकते थे। तो वह नैतिक और राजनीतिक मृत्यु होती, लेकिन आज हम मानते हैं कि यह हमारे त्याग का काल है। जब हम एक चीज प्राप्त कर सकते हैं, तो देखना यह है कि हम कितना उसमें से छोड़ सकते हैं। आज हमारे त्याग का युग है। इसी तरह से हम एक स्वस्थ राष्ट्र की रचना कर सकते हैं। इसी तरह से हम मानते हैं कि हम आराम लाना चाहते हैं, लेकिन ऐश आराम की कल्पना नहीं करते हैं, इसी तरह से हम सुख लाना चाहते हैं, लेकिन विलास को मान्यता नहीं देते हैं। इसी तरह से ये सब चीजें हैं जिनको हमें देश के लिए प्रस्तुत करना है। इन्हीं सिद्धान्तों में हमारी आस्था है। लेकिन यह ऐसे नहीं होगा, जैसे एक स्टीम रोलर को सड़क पर चलाकर छोटे-बड़े कंकरों को दबा दिया और सब बराबर हो गये। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। लोगों के मानस का स्पर्श भी करना पड़ेगा और तब आगे बढ़ना होगा।

श्रीमन्, इससे पहले कि इस आय-व्ययक के बारे में कुछ निवेदन करूं, मैं बहुत नम्रता-पूर्वक विरोधी दल के नेता के प्रति सम्मान रखते हुए गांधी जी के शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना प्रजातंत्र की खुराक है। लेकिन वह ईमानदारी और समझदारी से होनी चाहिए। जब मैं देखता हूं तो इस कसौटी पर उनके भाषण को नहीं पाता हूं। वह एक . . .

श्री उपाध्यक्ष––आपने ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं कि यह अनुचित है, समझदारी की बात आप कह सकते हैं।

श्री रामजी सहाय––श्रीमन्, मैं इसको वापस लेता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ईमानदारी से नहीं बल्कि समझदारी से था; रचनात्मक और समझदारीपूर्वक होना चाहिए, इस दृष्टि से मैं देखता हूं कि वह अपर्याप्त है।

उसमें डेफिसिट बजट के बारे में कहा गया है और मैं भी मानता हूं कि संतुलित बजट एक अच्छा बजट है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि डेफिसिट बजट सब से अच्छा है और वह इस दृष्टि से कि इसमें मंत्री सतर्क और जागरूक रहते हैं और उनको ख्याल रहता है कि कहां से साधन लायें और यह नहीं कि हमारे पास बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है और उसको जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। इस दृष्टि से जब आप एक तरफ कहते हैं कि इन छोटी नौकरियों वालों का वेतन बढ़ोत्तरी बहुत ही अल्प है और उसको बढ़ाया जाय तो आप जानते हैं कि डेफिसिट और बढ़ेगा और इसमें रचनात्मक सुझाव देने की आवश्यकता थी कि इसकी पूर्ति कैसे की जाय। आवश्यक धन लाया कहां से जाये।

इसी तरह से मैं देखता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन के बारे में कहा गया है, बेसिक एजूकेशन के बारे में भी कहा गया है कि प्रान्त में एक भी नहीं है और वह बहुत तफसील की बात है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमारे विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि वहां फर्राश लोग सफाई करने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो आधार बेसिक एजूकेशन का है, वह उसी को भूल गये। उसका आधार यह है कि बच्चे स्वयं वहां कार्य करें, स्वयं उत्पादन करें जिस से शिक्षकों की जीविका वहां तक जा सके। इस तरह से हम शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। शिक्षा का कहां तक आप राज्य पर बोझ डालना चाहते हैं? इसी लिए गांधी जी ने सूझ दी थी कि आप उत्पादन शक्ति पैदा करें और जीवन के प्रति दृष्टिकोण दें। विश्वविद्यालयों

के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने सम्भवतः कुछ ऐसा कहा था कि विश्वविद्यालय अधिक बढ़ाने से देश का लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं कि संसार में जो विश्वविद्यालय की परम्परा है वह हिन्दुस्तान से प्रारम्भ हुई है। यह बौद्ध कालीन परम्परा है। इसके पहले संसार विश्व-विद्यालयों को जानता नहीं था। हमारे यहां एक परम्परा थी, लेकिन वह अरण्य सेवी पारिवारिक वानप्रस्थियों की थी, इसलिए वह एक सीमा के अन्तर्गत थी। विश्वविद्यालयों में तो संसार के चीन, जापान, लंका के और अन्य देशों के ज्ञानपिपासु लोग आते थे। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों के स्तर को हमें कुछ ऊंचा ले जाना चाहिए बजाय इसके कि उनकी संख्या हम बढ़ायें। इस सम्बन्ध में मैं नेता विरोधी दल से सहमत हूं। विश्वविद्यालयों की जो एक मात्र योजना होनी चाहिए वह है सद्मानव बनाना, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं इतना ही कह कर बजट की दूसरी चीजों पर आता हूं।

मैं देखता हूं कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में सरकार ने इस साल ६० लाख रुपये की व्यवस्था की है जब कि गत वर्ष १ करोड़ ६० लाख रुपये की व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि लगातार की बाढ़, सूखा और अति वर्षा के कारण और इस वर्ष भी जब कि मानसून एक महीने के बाद आया है हमारे पूर्वी इलाके में बहुत सी जगह ईख ३० प्रतिशत सूख गयी है और उन्हीं क्षेत्रों में जहां के लिए यह कहा गया कि उन के पास गन्ना है, यह हालत है कि यदि आज आप सेंसस करायें तो हजारों की तादाद में लोगों को अपने सिर पर मटके लिए हुये देखेंगे जो बरेली और मेरठ में मोलैसेज के लिए खड़े रहते हैं। जिस मोलैसेज की कीमत वहां की मंडियों में साढ़े तीन रुपये मन है, वह हमारे जिलों में आज वही १० रुपये मन बिक रहा है। एक रुपये का चार सेर जब वह किसान को मिल जाता है, तो वह अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। अन्न का इतना अभाव है कि उस सम्बन्ध में मैं क्या आपसे निवेदन करूं। मैं इसी १५ तारीख का हवाला दे रहा हूं जब कि हमारे जिले में केवल ८ हजार मन गल्ले का सरकारी स्टाक था। हमारे यहां १५० दुकानें खोली गयी थीं। अगर २५ मन के हिसाब से भी उन दुकानों को गल्ला दिया जाय तो केवल दो दिन के लिए हमारे पास अनाज था। लेकिन हम यह केवल एक दोष देने की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। हम रचनात्मक सुझाव भी आप को देना चाहते हैं। हमने निवेदन किया था कि अगर हम पम्पिंग सेट लगाने और अर्ली क्राप की तरफ ध्यान देंगे तो हमें काफी सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने पत्रों में यह चर्चा देखी कि यह मानसून रेगुलर नहीं हो रहा है, मौसम के बारे में बड़ी अनिश्चितता चल रही है। ऐसी हालत में अगर पम्पिंग सेट और अर्ली क्राप की ओर उन क्षेत्रों में ध्यान दिया जाय जहां एक विशेष मात्रा में जलराशि उपलब्ध है तो बहुत लाभ होगा। पूर्वी जिलों से जहां घनत्व एक वर्ग मील में १,००५ है, स्थानान्तरण की भी योजना होनी चाहिए--जैसे पीलीभीत, बहराइच, खीरी, तराई-भाबर आदि, वहां अगर बसने की आप योजना बनायें, तो पूरब का भू-भार हल्का होगा।

मैंने बजट में देखा कि स्मृति-पत्र में अनुक्रमणिका का पृष्ठ नहीं है, जिससे हमें बड़ी कठिनाई हुई, यह देखने में कि ३२५ करोड़ रुपया कहां दिया हुआ है। लेकिन हम ने जब उस धनराशि को देखा तो उसका कहीं ब्यौरा नहीं मिला कि यह धनराशि किस तरह से व्यय की जायगी। तो आज मैं उस धनराशि के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पिछले साल हमने ३०० लाख रुपया उसमें व्यय किया था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में, जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने कहा था कि इसमें यह हो रहा है कि आज बजाय १२ फी सदी के वहां रिश्वत १७ फी सदी ली जा रही है। पहले तो १२ फी सदी लिया जाता था, लेकिन आज १७ फी सदी स्टाफ और अधिकांश ठेकेदारों के पास जा रहा है। इस तरह से हमारे पैसे को नष्ट किया जा रहा है। उनके विभाग में आज इस तरह से अराजकता फैल रही है।

सरकार की ओर से जो यह बाढ़ साहित्य बांटा गया है उसके छठे पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि "तटीय बांध राप्ती और उसकी सहायक नदी गौरा के किनारे गोरखपुर जिले में, घाघ के किनारे पीलीभीत जिले में, घाघरा और उसकी सहायक नदी शारदा के किनारे खीरी

[श्री रामजी सहाय]

जिले की निघासन तहसील और सीतापुर जिले की बिस्वां तहसील में बनाये जायेंगे"। यह जो साहित्य हमें दिया गया है, उसमें ऐसी बात है। आज गोरखपुर में जहां पर देवरिया का सीमान्त है उसके दूसरी तरफ सड़क के नाम पर बांध बांधा जा रहा है जब कि सरकार की यह योजना है। उन योजनाओं को वह इस तरह से तोड़ते हैं। इसमें क्या अनुशासन है? मैं चाहता हूं कि इस प्रान्त के चीफ इन्जीनियर या मन्त्री महोदय इसमें अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करें। इस तरह से एक तरफ तो वहां लोगों को डुबाने के लिए छोड़ दिया जाय और वही विभाग के लोग उनको जो स्पष्ट आदेश हैं, उनकी इस तरह से अवहेलना करें और दूसरी तरफ अपनी मनमानी निरंकुशता से अपना यह कार्य करते रहें।

इसलिए अब मैं आप से निवेदन करूंगा कि हम ग्राम पंचायतों को देखे हैं, कि यह हमारे प्रारम्भिक शासन की इकाई हैं, यदि वह ठीक प्रकार से नहीं चलीं, तो फिर हमारे देश का शासन अच्छा नहीं हो सकता है। जिस तरह की परिपाटी हमने चुनाव में रखी है उससे उनमें एक संघर्ष पैदा होता चला जाता है। प्राचीन युग में यह था कि सर्वसम्मति से पंचायतें हुआ करती थीं और उनका निर्णय भी सर्वसम्मत होता था। यदि हम उस तरह से करें तो हमारे ग्रामों का दृष्टिकोण रचना की तरफ जायगा और संघर्ष की तरफ नहीं जायगा। सरकार ने मुझे मालूम नहीं कि क्यों इस तरह का आदेश दिया गया है कि वृक्ष न काटे जायं। मिसाल के तौर पर उन्होंने दरख्तों के न काटने के बारे में कुछ नियम बनाये हैं। मैं जानता नहीं कि सरकार ने उनको क्यों बनाया है? आप जानते हैं कि दरख्त ऐसे नहीं हैं जो सर्वदा के लिए नष्ट हो जायं। जो उनको काटेगा तो उसको पुनः लगायेगा। किन्तु वहां पर लोगों को अधिकार होने से केवल भ्रष्टाचार को ही बल मिलता है। इससे व्यापक भ्रष्टाचार फैलता है। किसानों को छोटी छोटी लकड़ी लेने के लिए कष्ट है। आप उनको प्रोत्साहन दीजिये कि वह दरख्त लगायें लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस प्रकार की आज्ञा को वापस ले ले तो मुनासिब है।

मैं गन्ने के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमारे यहां गन्ने का क्षेत्र बढ़ता जाता है। हम व्यापारिक माल चाहते हैं, लेकिन उसमें पैदावार फी एकड़ हमारे यहां नहीं बढ़ी। क्या कम पैदावार का यह नतीजा है कि कछार एरिया को रिजर्व कर देते हैं और मिलों को गन्ना पूरा मिलता नहीं है? उस विभाग में केन कमिश्नर इस दायित्व से अलग नहीं हैं। जबकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की उन को मदद करनी चाहिए, वह गन्ने को प्रोत्साहन नहीं देते हैं और उसके एरिया को फ्री एरिया करके जनता को संकट में डाल दिया जाता है।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया उसको मैंने देखा और माननीय वित्त मन्त्री जी के भाषण को सुना। मुझे एक बात की जरूर खुशी हुई कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में इस बात का दिग्दर्शन कराया कि सरकार समाजवाद की ओर जा रही है। लेकिन साथ ही साथ इस बात की निराशा जरूर हुई कि सरकार ने समाजवाद की ओर कोई सही कदम नहीं उठाया। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, सरकार की यह परम्परा हो गयी है कि वह डेफिसिट बजट बनाती है। इस पर सरकार के पक्ष से कहा गया कि कुछ ऐसी अड़चनें हैं जिनकी वजह से यह बजट डेफिसिट में आया है। लेकिन मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि कुछ ऐसे भी जरिये हैं जिनको अपना कर सरकार इस कमी को दूर कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। मेरा सुझाव है कि सरकार इसमें अपना अपमान न समझे कि अगर वह केरल की सरकार से नसीहत ले, वह देखे कि केरल की सरकार ने कौन से रास्ते अपना कर सरप्लस में बजट पेश किया है। जरूरत इस बात की है कि टैक्सेशन की नीति में कुछ रद्दोबदल करके सरकार अपने कोष में रुपया बढ़ा सकती है। टैक्सेशन का बोझ गरीबों पर लादने के बजाय उन पर लादा जाय, जिन में टैक्स देने की क्षमता है तो जरूर सरकार के कोष में अधिक रुपया आ सकता है। पूंजीपति और उद्योगपति लोगों पर वेल्थ और प्रोफेशन टैक्स लगाकर

इस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं, क्यों तैयार नहीं होती। तब तो मैं यही कहूंगा कि यह कांग्रेस सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि उनको घटा कर वह उस नक्शे पर नहीं लाना चाहती है जिसको वह समाजवाद कहकर बात करती है।

दूसरी बात वित्त मन्त्री जी ने इकोनामी की कही कि सरकार इकानोमी कर रही है। उन्होंने एक नमूना यह पेश किया कि मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह में १० फी सदी की कमी की है। यह कमी उस समय ज्यादा अच्छी लगती, अगर हमारे मंत्रिमण्डल के लोग अपने ठाठ बाट और रहन सहन तथा अय्याशी में भी कुछ कमी करते . . .

श्री उपाध्यक्ष--'अय्याशी' शब्द को आप वापस लें।

श्री भीखालाल--मैं वापस लेता हूं।

मंत्री लोग अगर ऐशोआराम में कुछ कमी करते, तो बजट की कमी पूरी हो सकती थी। मोटरों के खर्चे पर मंत्रिमण्डल कुछ कमी करे तो शायद इस फिजूलखर्ची में कमी हो सकती है। १० परसेंट की कमी नाममात्र की है। मेरा सुझाव है कि जैसा अपने देश में एक प्रदेश की सरकार कर रही है, सिर्फ ५०० रुपये माहवार से उसके मंत्री अपना काम चलाते हैं, तो हमारे प्रदेश की सरकार क्यों नहीं ऐसा करे और अपनी तनख्वाह १,२०० या १,१०० रुपये से घटाकर ५०० रुपये पर ले आवे? इस प्रकार तनख्वाहों में कटौती की जाय, तो जरूर एक सही कदम इकानामी की ओर होगा। मंत्रियों की तनख्वाह में कमी के साथ ही साथ सदस्यों की तनख्वाहों में भी कमी की जाय और २०० से घटाकर १५० रुपये कर दी जाय, और दैनिक भत्ता १० रुपये से कम करके ५ रुपये कर दिया जाय। इसे विरोधी दल के सभी सदस्य बहुत खुशी से स्वीकार करेंगे। हमारे शासक दल के सदस्य भी, मुझे विश्वास है, इसे स्वीकार करने में हिचक नहीं करेंगे। एकानोमी की बात बड़े जोरों से कही जाती है और कहा जाता है कि हमारी सरकार फिजूलखर्ची को रोक रही है। लेकिन एक तरफ जबकि देश में इस प्रकार से पैसे की कमी की वजह से, सहायता की कमी की वजह से, साधनों की कमी की वजह से, एक तरफ भुखमरी फैली हुई है, दूसरी तरफ सरकारी खर्चे का यह आलम है कि सरकार का पूरा मंत्रिमंडल अरदलियों सहित स्पेशल ट्रेन से नैनीताल जाता है और इस प्रकार से लाखों रुपया व्यय कर दिया जाता है। इस तरह की फिजूलखर्ची रोकी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार ने इसमें केरल की सरकार से नसीहत ली होती, तो ज्यादा अच्छा होता।

सरकार ने तय किया था कि अधिकारियों के पास जो दो हजार मोटरें हैं, और जिनका उपयोग वे सही तरीके से नहीं करते हैं, तथा जिनमें २० लाख रुपया सालाना व्यय हो जाता है, हर चार साल में उनको बदल देना होता है, उन मोटरों को वापिस ले लिया जाय। लेकिन सरकार अपने इन आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं कर सकी है। मैं समझता हूं कि हमारी कांग्रेसी सरकार जनता के पास होने के बजाय अभी नौकरशाही के ज्यादा पास है। जब नौकरशाही ने उस पर ऐतराज किया तो सरकार को झुकना पड़ा। वरना इस वक्त तक उन आदेशों के पालन न होने की क्या वजह है? उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वह कम किया जाना चाहिए।

एकोनोमी को करने के लिए दूसरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश में दो सदन चलते हैं--एक विधान सभा और दूसरा विधान परिषद्, मेरी समझ में विधान परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तोड़ दिया जाय, उससे व्यय में काफी कमी हो सकती है। दूसरे हमारे प्रदेश में गवर्नर का भी एक पद है, वह बिलकुल फिजूल है, उसको तोड़ दिया जाय। यह ठोस कदम है, जिनको सरकार को अपनाना चाहिए। इस तरह सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि यह सुझाव विरोधी दल की ओर से आया है, इसलिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि इन सब बातों पर ठंढे दिल से सोच कर कांग्रेस सरकार अमल करे तो फिजूलखर्ची काफी कम हो सकती है।

[श्री भीखालाल]

समाजवादी स्टेट कायम करने की बात कही गयी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कोई सही और ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया गया है जिस से यह बात स्पष्ट हो कि यह सरकार समाजवाद की ओर प्रगति कर रही है। हमारा प्रदेश मुख्यतः खेतिहर प्रदेश है। खेतिहर प्रदेश होने के नाते जब तक किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठाया जायगा, तब तक सही माने में समाजवाद आने का नहीं। इस सिलसिले में सब से जरूरी बात यह है कि जमीनों और जोतों की हदबन्दी कायम की जाय और जोतों का बंटवारा किया जाय। और भूमिहीन मजदूरों को जमीनें दी जायं और इस प्रकार से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाय तथा उनकी आर्थिक दशा को सुधारा जाय। तभी समाजवाद की तरक्की दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपमन्त्री जी के भाषण में हरिजन उत्थान की भी अच्छी बात कही गयी है और उसमें कांग्रेस सरकार की ओर से ९५ लाख रुपया रक्खा गया है जो पंचवर्षीय योजना में खर्च करने की बात कही गयी है। लेकिन मैं यह देखता आया हूं कि सरकार की ओर से हरिजन उत्थान के लिए जो रुपया खर्च करने के लिए मंजूर किया जाता है, उसका ज्यादातर हिस्सा वेस्ट हो जाता है, सही काम में खर्चा नहीं हो पाता है। तो सरकार को इस बात की गारंटी भी करनी चाहिए कि वह रुपया जो कि हरिजनों के उत्थान के लिए दिया जाता है वह सही कामों में लगाया जाय, तभी उसका सदुपयोग हरिजनों को मिल सकता है। हरिजनों में भी ज्यादातर, अधिकांश खेतिहर हैं और उनमें से भी आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वे भूमिहीन हैं। अगर उन की दशा को सुधारने में सरकार की कुछ दिलचस्पी है और अगर सरकार वाकई उनकी दशा सुधारना चाहती है, तो वह ऐसी व्यवस्था करे, ताकि उनको जमीन प्राप्त हो और वह तभी हो सकता है, जब जमीनों की हदबन्दी करके जमीनों का बंटवारा हो और वह उन भूमिहीन काश्तकारों को, और उन भूमिहीन हरिजनों को जमीन दी जाय ताकि वे अपनी गुजर बसर कर सकें। तभी उनका उत्थान हो सकता है, वरना उत्थान नहीं हो सकता। उनके लिए स्कूल खोले गये हैं, पढ़ाई की सुविधा दी गयी है, लेकिन जिस हरिजन के घर में खाने को न हो, तो उसका लड़का जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालने को पहले सोचेगा, पढ़ना बाद में सोचेगा। यह पेट पालने का साधन भूमि ही हो सकती है, कृषि ही हो सकती है, और जब तक उसका प्रबन्ध नहीं किया जायगा, तब तक पढ़ने के लिए जितने भी साधन दिये जायेंगे उससे वे लाभ नहीं उठा सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि हरिजनों की सरकारी नौकरियों के लिए सीट्स सुरक्षित की गयी हैं, और उसके बमूजिब जहां तक हरिजन मिलते हैं उनको जगहें भी दी जाती हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनके आगे की तरक्की में जो रुकावटें पड़ती हैं उसका अनुमान न तो सरकार को है और न सरकार के पक्ष में बैठे हुए सदस्यगण को ही है। और यह मेरा जाती तजुर्बा है, क्योंकि मैं भी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ग्यारह वर्ष तक सरकारी नौकरी में रहा हूं। मुझको यह जाती तजुर्बा है कि हरिजनों के साथ जो व्यवहार अधिकारी लोग तरक्की देने में करते हैं वह उचित नहीं है। उनकी नीति है, मैं तो यही समझता हूं कि उनकी यही नीति है, कि हरिजनों को आगे न बढ़ाया जाय, उनको नीचे ही रखा जाय, नीचे के पद पर ही रखा जाय। मैं सरकार से पूछूंगा कि कितनी पोस्ट्स ऐसी हैं जिन पर हरिजनों को नियुक्त किया गया है? एक माननीय सदस्य ने प्रश्न के द्वारा पूछा था कि पुलिस विभाग में कितने सब-इंस्पेक्टर हरिजन हैं, तो जवाब मिला था कि ८६ हरिजन सब-इन्स्पेक्टर हैं। फिर पूरक प्रश्न पूछा गया कि कितने अब तक आफिसर इन्चार्ज बन गये हैं, तो जवाब मिला कि केवल ८। मैं नहीं समझता कि ८६ में केवल ८ ही ऐसे निकले जो आफिसर इन्चार्ज के योग्य हैं। और बाकी सब नालायक ही निकले। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी नौकर-

शाही को, और डिपार्टमेंट्स के हेड को, इस बात का आदेश जारी करे कि हरिजनों की आगे की तरक्की में कोई रुकावट न डाली जाय और उन से किसी किस्म का द्वेष भाव न रखा जाय।

प्लानिंग के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लानिंग में जितना रुपया जाता है, उसका ज्यादातर दुरुपयोग ही होता है। मिसाल के तौर पर उसका दुरुपयोग इस तरह से होता है कि या तो वह सरकारी कोष में ही पड़ा रह जाता है या ऐसे आदमी के पास पहुंच जाता है, जो उसको सही काम में नहीं लगाता है।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं बजट पर अपने विचार उपस्थित करते समय पहले माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और बधाई देते हुए उन्हें यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि यह बधाई केवल संसदीय परम्परा के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि बजट को यदि उस निगाह से देखा जाय, जिस निगाह से बजट को देखना चाहिए, तो उससे यह स्पष्ट है कि यह बजट सचमुच में कल्याणकारी तथा प्रगतिशील है। श्रीमन्, इस बजट को देखते समय हमें तीन बुनियादी बातों को सामने रखना होगा और उन तीन बुनियादी बातों के बैकग्राउन्ड में हम को इस बजट को जांचना होगा। पहली बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि अभी भारत को स्वतंत्र हुये केवल दस वर्ष हुये हैं और दूसरी बात यह कि भारत की एकनामी एक एग्रीकल्चर एकनामी है न कि एक इंडस्ट्रीयल एकनामी, और तीसरी बात यह है कि सदियों की गुलामी के बाद अभी हमारा देश पूर्ण लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक सेट अप के काबिल अपने को नहीं बना पाया है और जो लोकतंत्र का पूर्ण लाभ उस को उठाना चाहिये वह नहीं उठा पा रहा है।

हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा कांग्रेस की सोशलिस्टक पेटर्न आफ सोसाइटी की पालिसी पर कुछ मजाक सा उड़ाया जाता है और वह अक्सर हम से पूछते हैं कि सोशलिस्टक पेटर्न आफ सोसाइटी किस चिड़िया का नाम है और उस की व्याख्या क्या है? मैं उनसे इसके जवाब में यह पूछूंगा कि क्या उन्होंने अपनी सोशलिज्म की व्याख्या पढ़ी है? यदि उन के पास वह व्याख्या है तो उनको सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी की व्याख्या के समझने में या वह किस चिड़िया का नाम है इस के समझने में क्यों दिक्कत होती है? यदि बड़े-बड़े राजनीतिक पंडितों, राजनीतिज्ञों और उन की किताबों को पढ़ कर उन की किताबों की उलझन में पड़ जाया जाय तो वही दशा होगी जो बिरोधी दल के सदस्यों की है किन्तु जहां तक सोशलिज्म या सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी की व्याख्या का प्रश्न है, मैं एक जुमले में निवेदन करूंगा कि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मंगलकारी राज्य की स्थापना का आशय उस राज्य से है जिसमें शासन अपनी जनता के प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से मृत्यु पर्यन्त पूरी जीवन यात्रा भर पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, पालने से चिता पर्यन्त, जन्म काल से लेकर मृत्यु तक, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिये सजग और सप्रयत्न रहे। इसी दृष्टिकोण से हमको देखना होगा कि यह बजट प्रगतिशील है या नहीं। इस दृष्टिकोण से हमें देखना है कि क्या यह कांग्रेस सरकार का बजट हमें उस ओर ले जा रहा है या नहीं और यदि वह हमें उस दिशा में नहीं ले जा रहा है तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस सरकार का सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी का दावा बेकार है। यह भी कहा गया कि ले तो जा रहा है उस ओर लेकिन चाल बहुत धीमी है इसको मैं किसी हद तक मान भी लूं लेकिन बिरोधीदल के सदस्य इस भवन के अन्दर तथा बाहर रूस और चीन से इस देश की प्रगति की तुलना करते हैं। ठीक है, वहां की रफ्तार बहुत तेज है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं आप के द्वारा उन चीन और रूस के भक्तों से निवेदन करूंगा कि क्या वह इसके लिये तैयार हैं कि जैसा कानून या संविधान रूस में या चीन में है वैसा ही कानून और संविधान यहां के लिये भी बनाया जाय और उसे इस देश में लागू किया जाय?

एक बात मैं आप के द्वारा और आप की आज्ञा से माननीय विरोधी दल के सदस्यों से साफ-साफ कह दूं और वह यह कि दो चीजें साथ-साथ किसी देश में कभी न चल पायी हैं और न चल सकती हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता और भौतिक उन्नति कभी साथ-साथ एक रफ्तार से नहीं

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

चल सकतीं, यदि आप अपने देश की भौतिक उन्नति बहुत तेज चाहते हैं तो आप को राजनैतिक स्वतंत्रता का बलिदान करना होगा और यदि आप अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता को इसी तरह से कायम रखना चाहते हैं जैसी कि आजकल हमारे देश में है तो आपको कुछ संतोष करना होगा और आपको मानना होगा कि हमारी भौतिक उन्नति धीरे-धीरे और बहुत कम तेज रफ्तार से होगी। हमने इस बजट पर कुछ टिप्पणियां पढ़ी और सुनीं, खास तौर से हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने पत्रकारों से बजट पेश होने के बाद कहा कि "इट इज ए स्टेल बजट" यानी यह बजट बासी है। मैं दावा करता हूं कि अगर यह बजट बासी है तो यह बासी बजट जनता के सामने उस रूप में है जैसे किसी भरभुक्खे के सामने बासी रोटी हो। श्रीमन्, कुछ लोगों ने कहा कि बजट टालरेबिल है, "बट डज नाट टेक असटुर्ड्स सोशलिज्म"। श्रीमन्, मुझे हैरानी होती है, आखिर उनके पास सोशलिज्म की व्याख्या क्या है? वह सोशलिज्म को क्या समझे बैठे हैं। उनके पास सोशलिज्म की कल्पना क्या है? यदि समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हम भूखे को अन्न की व्यवस्था करते हैं, यदि हम नंगे को वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, यदि हम अशिक्षित को शिक्षित करने की व्यवस्था करते हैं, और जो मकान रहित हों उन के लिये आसमान के बजाय एक टूटी-फूटी छत ही सही, लेकिन छत की व्यवस्था करते हैं, हम जो रोगी हैं उनके लिये चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, हम जब गरीब की गरीबी तथा अमीर की अमीरी को कम करने का प्रयास करते हैं, हम जब लेबर की ओर उत्साह तथा आदर की भावना पैदा करने का प्रयत्न करते हैं, हम जब ऊंच और नीच के बीच जो खाई है उसको किसी कदर पाटने का प्रयत्न करते हैं, तो श्रीमन्, मैं जानता नहीं, मैं समझ नहीं पाता कि फिर सोशलिज्म की तरफ बजट नहीं जाता है तो किस ओर जा रहा है? श्रीमन्, मैं तो यहां तक कहने को तय्यार हूं कि जिस महानुभाव ने, जिस व्यक्ति ने, जिस माननीय सदस्य ने इस बजट को ठीक से पढ़ा है और आंकड़ों का अध्ययन किया है वह यदि कहें कि यह बजट हमारे देश और प्रदेश को सोशलिज्म की ओर नहीं ले जा रहा है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, श्रीमन्, मैं बाद में तर्जुमा कर दूंगा इस समय अंग्रेजी में ही कहूंगा ——सोशलिज्म इज ए यूटोपियन ड्रीम आफ़ सूडो-इंटेलेक्टुअल्स ऐंड निओ पालिटीशिन्स। क्यों कि समझ में नहीं आता कि स्वयं वह जब कहते हैं कि हमारी सोशलिज्म इस प्रकार की है और उस प्रकार की सोशलिज्म जो उनकी है उसकी झलक जब किसी बजट में आती है, जब उस की झलक आती है और यह स्पष्ट होता है कि तेज रफ्तार से न भी सही लेकिन धीरे-धीरे उसकी ओर जा तो रहा है तो कहा जाता है कि यह सोशलिस्टिक स्टेट नहीं है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट बजट नहीं, ब्यूरोक्रेटिक बजट है, आटोक्रेटिक बजट है। बहरहाल, बहुत से नाम लिये जायंगे लेकिन सोशलिस्ट बजट नहीं कहा जायगा।

माननीय नेता विरोधी दल जब अपना बजट भाषण कर रहे थे मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। माननीय नेता विरोधी दल को कुछ आपत्तियां और बड़ी आपत्तियां इस बजट में दिखायी दीं। मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूं। मैं यह जानता हूं कि वह एक बहुत अनुभवी, कुशल और योग्य राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मैं यह नहीं जानता था, श्रीमन्, कि उनकी कुशलता या योग्यता इस ऊंचे पैमाने की है कि वह जब चाहें आंकड़ों से खेल कर के जैसा जब चाहें वैसा चित्र भवन के सामने रख दें।

श्रीमन्, उन्होंने यह कहा है कि जब कि सरकार सिंचाई पर और उत्पादन पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है वह क्या कारण है कि उत्पादन घट रहा है। श्रीमन्, उन्होंने आंकड़े "उत्तर प्रदेश फ़ीगर्स" जो किताब बांटी गयी है, इकोनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें से पढ़कर बताया कि १९५३–५४ से १९५५–५६ में जो उत्पादन था उस में बहुत कमी हुई। क्यों हुई? उन्होंने आंकड़े ठीक बतलाये, उत्पादन में कमी हुई। किन्तु वह यह बतलाना भूल गये कि उसी पृष्ठ पर जहां आंकड़े दिये हुये हैं एक नोट लिखा हुआ है और यह लिखा है कि अधिक एवं असमय वर्षा एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ५५-५६ में कृषि उत्पादन कम रहा।

श्रीमन्, उन्होंने दूसरी बात यह कही कि गंगा नहर तथा शारदा नहर का सिंचाई का पानी जब २५ प्रतिशत केवल बढ़ा है, तो यह कैसे हुआ कि सिंचाई की भूमि की बढ़ोतरी शत प्रतिशत हो गई। उन्होंने जिक्र किया कुछ नहरों का कि वे कहां से निकली हैं, उन्होंने जिक्र किया पानी का कि केवल २५०० क्यूसेक्स गंगा नहर में बढ़ा है और २००० क्यूसेक्स शारदा नहर में बढ़ा। तो आखिर सिंचाई वाली भूमि शत प्रतिशत कैसे बढ़ गई? श्रीमन्, उन से क्षमा मांगता हुआ मैं यह कहूंगा इस सम्बन्ध में वह यह बतलाना भूल गये कि यह जो सिंचाई की भूमि बढ़ी है वह केवल शारदा और गंगा नहर के पानी से नहीं बढ़ी, झीलों से नहरें निकाली गईं, बांधों से नहरें निकाली गईं, ट्यूब वैल्स न मालूम कितने लगे, और न मालूम कितनी छोटी-छोटी सिंचाई की व्यवस्थायें की गई जिनके द्वारा जो वृद्धि हुई है वह भी आंकड़ों में शामिल है।

माननीय वित्त मंत्री ने यह दावा किया था कि यू० पी० में इंसीडेंस आफ़ टैक्सेशन और बड़े प्रदेशों से कम है। उसको चैलेन्ज करते हुये नेता विरोधी दल ने बंगाल की मिसाल रखते हुये कहा कि बंगाल हालांकि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है और चूंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है इसलिये वहां पर टैक्सेशन ज्यादा है किन्तु इंसीडेंस आफ टैक्सेशन यू० पी० से ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐग्रीकल्चर लेबर यू० पी० में ७४ फ़ीसदी है बंगाल में ५७। इंडस्ट्रियल लेबर की इन्कम यू० पी० में १० बंगाल में २०। अन्य रोजगार की इनकम यू० पी० में १६ बंगाल में २३। वहां के इंडस्ट्रियल लेबर की इन्कम यू० पी० से दुगुनी है तो टैक्स दुगुना होना चाहिये, किन्तु दुगुने से अधिक है।

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ा ऐतराज किया हमारे डेफ़िसिट बजट पर। उन्होंने कहा कि डेफ़िसिट बजट इसलिये नहीं ठीक है कि इससे गवर्नमेंट की साख घटती है। लेकिन वह यह भूल गये कि अभी कुछ ही साल हुये हैं जब कि पी० एस० पी० की सरकार ट्रावनकोर कोचीन में थी वहां के बजट का क्या हाल था उस समय। उस समय परिस्थिति दूसरी थी सेकेन्ड फ़ाइव ईयर प्लान चालू नहीं थी फिर भी वहां १.३२ करोड़ का डेफ़िसिट बजट था और जब यह उत्तर प्रदेश के अनुपात में लगाया जाय तो ७.९२ करोड़ होता है, हमारे जबकि बजट में केवल ११ करोड़ का डेफ़िसिट है।

समय मेरे पास कम है, इसलिए अब मैं केवल एक बात और निवेदन करूंगा कि मैं यदि सरकार के शासन के बारे में कुछ सुझाव नहीं रख सका तो इसके यह माने नहीं हैं कि शासन में सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैंने यह सोचा कि अन्य बातों का जिक्र कर दूं। आखिर जहां तक सुझाव का प्रश्न है और शासन के सुधारने का प्रश्न है शायद शिकायतें सुनते-सुनते मंत्री जी के कान पक गये होंगे। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक मर्तबा फिर सरकार को धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर कुछ कहने से पहले हमारे मित्र जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनकी एक बात सुनकर मुझे आनन्द भी हुआ। परन्तु ठीक उसके विपरीत, उनकी घोषणा के विपरीत, उन्होंने जो कृत्य किया उस पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने घोषणा की कि विरोधी दलों में जो लोग बैठे हुए हैं वे बड़े-बड़े अर्थ नीति शास्त्रियों की पुस्तकें पढ़कर अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। बड़ा आनन्द था कि चलो भाई, उधर ही सही, पट्टी खुली तो कहीं। परन्तु श्रीमन्, ठीक उसी के बाद प्रोफेसर कीज के जो कोटेशन उन्होंने दिये उन्हें अंग्रेजी में देते तो ज्यादा अच्छा होता, हिन्दी में तर्जुमा करने की कोशिश की व जो उन्होंने तर्जुमा किया उससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने शायद एक ही अर्थ-शास्त्री की पुस्तक पढ़कर अपनी आंख पर पट्टी बांध ली . . .

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—वह भी नहीं पढ़ी मैंने।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अच्छा तो आई स्टैंड टु करेक्शन। "security from womb to tomb" तो एक ही पट्टी क्यों न हो, पर लगी तो जरूर है और

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

उस पट्टी के आधार पर उन्होंने इस बजट को देखने का प्रयास किया है। मैं तो श्रीमन्, इस बजट को देखने का प्रयास केवल अर्थ मन्त्री के भाषणों के द्वारा ही करूंगा। मैं आज जनसंघ का क्या दृष्टिकोण है और अन्यान्य दलों का क्या दृष्टिकोण है इस बजट के ऊपर अभी उसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा। केवल एक ही बात कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में जो स्टैन्डर्ड रखा है उसी कसौटी पर कसकर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि इस बजट की वास्तविकता क्या है।

हमारे अर्थ मन्त्री ने यह कहा है कि हमारा बजट सोशलिस्टिक पैटर्न और कामनवेल्थ की ओर जा रहा है। बड़े आनन्द का विषय है। श्रीमन्, थोड़ा विचार करें कि सोशलिस्टिक पैटर्न की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा कोई नहीं की। कहा गया है कि उस पैटर्न के आधार पर हमने अपने प्रान्त में अन-एम्प्लायमेंट को ४ परसेंट कम किया है। ११ परसेंट था, ७ परसेंट कर दिया है। बड़ा आनन्द है। परन्तु अनएम्प्लायमेंट किस सेक्टर के द्वारा कम हुआ है उसके आंकड़े कहीं भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने नहीं दिये हैं। यह चार परसेंट क्या पब्लिक सेक्टर में कम किया गया है? सोशलिस्टिक पैटर्न के अन्दर एक बड़ा लक्षण हुआ करता है कि अन-एम्प्लायमेंट में कमी होनी चाहिए और पब्लिक सेक्टर के द्वारा होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर की एम्प्लायमेंट की फिगर बढ़नी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लायमेंट की फिगर घटनी चाहिए। परन्तु हमारे अर्थ मन्त्री ने पब्लिक सेक्टर में इस एम्प्लायमेंट के बढ़ने की फिगर नहीं दी और देते भी तो कैसे देते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। पब्लिक सेक्टर बढ़ता है इन्डस्ट्रियल डेवलवमेंट करने से। कौन सी फैक्टरी खोली गयी। एक, चुर्क फैक्टरी को छोड़ दिया जाय तो और कौन सी फैक्टरी है। आशा करते हैं कि एक अल्मोनियम की फैक्टरी खोलेंगे। परन्तु क्या यही बता सकते हैं कि अल्मूनियम की फैक्टरी हैवी इन्डस्ट्री है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हैवी इन्डस्ट्रीज बढ़ाई जानी चाहिए और जब तक हैवी इन्डस्ट्रीज नहीं खड़ी की जायंगी तब तक प्रान्त की आर्थिक उन्नति या राज्य की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। जब तक हैवी इन्डस्ट्रीज नहीं खड़ी की जायंगी, तब तक अनएम्प्लायमेंट की समस्या नहीं हल हो सकती, क्योंकि हैवी इन्डस्ट्रीज श्रीमन्, बाकी सारी इन्डस्ट्रीज का बेस हुआ करती हैं। जिस मकान की नींव नहीं है वह मकान खड़ा कब तक रहेगा और यह नींवविहीन मकान है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस नींवविहीन मकान की परिभाषा हमारे अर्थ मन्त्री ने सोशलिस्ट पटर्न करके की है।

अगर श्रीमन्, इसको दूसरी दृष्टि से देखें कि जो चार परसेंट की कमी हुई है वह पब्लिक सेक्टर के द्वारा नहीं हुई है तो प्राइवेट सेक्टर ने की होगी और अगर प्राइवेट सेक्टर ने इस अन-एम्प्लायमेंट को कम करने में सहायता की है तब तो श्रीमन्, कहना होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का यह लक्ष्य है। वास्तव में मुझे यह लगता है कि हमारा दृष्टिकोण है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, कैपिटलिस्ट समाज रचना को हम प्रोत्साहित करते हैं, उसका रक्षण करते हैं परन्तु हंगामा कर रहे हैं सोशलिस्ट पैटर्न का। इस हंगामे से काम नहीं चलेगा श्रीमन्।

आगे हमारे अर्थ मन्त्री ने यह कहा है कि इस सोशलिस्ट पैटर्न में सोशल सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। बड़ा सुन्दर है। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन सोशल सिक्योरिटी पर खर्चा हमारे इस बजट के अन्दर कितना किया जाता है श्रीमन्, ७० लाख रुपये। अब जरा हिसाब लगाकर देखा जाय। अगर इस ७० लाख रुपये को प्रान्त की आबादी में बांट दिया जाय तो दस नये पैसे फी आदमी आता है। बड़ा हास्यास्पद है। यह आप सोशल सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं। आपके मन में यह भावना भरी हुई है कि आप दान कर रहे हैं। समाज के कल्याण का प्रयास नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि समाज कल्याण का प्रयोग हारे हुये एम० पीज० व एम० एल० एज० के लिए किया जा रहा है। पराजित लोगों के लिए समाज कल्याण रक्खा जा रहा है और उनका कल्याण किया जा रहा है। यह समाज कल्याण हो रहा है उनका जिनको समाज ने तिरस्कृत करके छोड़ दिया है।

इतने बड़े सोशल सिक्योरिटी का काम, इतना बड़ा विभाग एक मंत्री संभाल नहीं सकता, लेकिन वह सोशल सिक्योरिटी का विभाग जेल मन्त्री को दिया गया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इस सोशलिस्टिक पैटर्न राज्य के अन्दर सेकुलर सिक्योरिटी जेलखाने में पायी जाती है, बाहर नहीं पायी जाती है। यह समाजवादी राज्य नहीं कहा जा सकता, टोटलिटेरियन राज्य अवश्य कहा जा सकता है।

सोशलिस्टिक पैटर्न के लिए कहा जाता है कि हम ज्यादा आमदनी से टैक्सेज वसूल करते हैं। परन्तु, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारे अर्थ मन्त्री यह भूल जाते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न जिसका वह नारा लगाते हैं उसका अर्थ केवल टैक्स रियलाइज करना नहीं है, उसकी यह भी पालिसी होनी चाहिए कि समाज में आमदनी का वितरण समता के आधार पर, ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होनी चाहिए।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—तैयार हैं आप ?

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—मेरे तैयार होने का प्रश्न ही नहीं। आचार्य लोग आगे चलें, हम लोग पीछे चलने को तैयार हैं।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि यह डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है इसको आप देखें। इसी सरकार ने जो फाइव इयर प्लानिंग कमीशन नियुक्त किया है उसने एक सर्वे कराया। मैं माननीय नेकराम शर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिलकुल एक स्टेरियोटाइप भाषण नहीं दिया और अपनी स्पष्टवादिता के कारण कुछ स्पष्ट बातें सदन के सामने रक्खीं। तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा सर्वे करने के लिए कमेटी नियुक्त हुई थी उस कमेटी ने आपके लखनऊ शहर के—जो इस प्रान्त की राजधानी है— बारे में स्पष्ट कहा था कि ५२ फीसदी लोग आधे पेट और मुफलिसी में रहते हैं। यही सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का सुन्दर स्वरूप है ? हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है कि मकान, कपड़े व छप्पड़ की व्यवस्था कर दी है। किसके लिए कर दी है ? जब कि इस राज्य के अन्दर ५२ फीसदी लोग हाफ स्टार्वेशन में रहते हैं ? ये आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि ईक्विटेबिल डिस्ट्रीब्युशन आफ इन्कम जो होना चाहिए वह नहीं हुआ है। हो कैसे, श्रीमन् ? टैक्सेशन, श्रीमन्, जिनकी आमदनी कम हो उन पर ज्यादा और जिनकी आमदनी ज्यादा हो उन पर कम लगाया जाता है। इसके मैं आगे उदाहरण दूंगा।

श्रीमन्, सरकार यह सोच सकती है कि विरोधी दल के लोग टैक्सेज के खिलाफ तो बड़ा बोलते हैं, परन्तु, श्रीमन्, यह कभी सरकार ने सोचने का प्रयास किया है कि टैक्सेज लगाने के आधार के पीछे भावना क्या होनी चाहिए ?

भावना तो यह है, श्रीमन्, कि टैक्स भी मनुष्य को देने के लिए, उसकी सेवापूर्ति के लिए हुआ करते हैं। आप लोगों से बहुत सा टैक्स ले सकते हैं। मान लो, अगर मैं उदाहरण दूं, किसी की आमदनी सौ रुपया है, उससे ५० रुपया टैक्स लो, लेकिन साथ ही उसको सारी जीवन की सुविधाएं मुफ्त प्राप्त हों तो टैक्स देने में मनुष्य को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु होता क्या है कि रिटर्न आज कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि आप टैक्स तो हम से लेते हैं और जो हमारे समाज का आधार है, कृषि, खेती और किसान, उसका रिटर्न आप क्या उस को दे रहे हैं ? उस पर जो टैक्स लग रहा है उस रुपये से उसको क्या रिटर्न मिल रहा है ?

हमारी सरकार हल्ला करती है कि हमने बड़े सिंचाई के साधन उपस्थित किये हैं—दिये हैं सिंचाई के साधन। हमने नयी जमीनें भी तोड़ी हैं—तोड़ी हैं। हमने खेती की व्यवस्था की—वह भी है। परन्तु श्रीमन्, अर्थशास्त्र में इन सारी चीजों के मापदण्ड का आधार दूसरा है। किसी गिविन सेक्टर में खाद और पानी के साथ अगर बीज इतना होगा तो पैदावार इतनी होगी। मैं उदाहरण दूं कि जैसे तोड़ी हुई जमीन है, जिसे नौतोड़ जमीन कहा जाता है, तो उससे एक एकड़ में .२२ टन नयी उपज होनी चाहिए।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

इसी प्रकार से पैडग्री सीड, जिसका हमारे कृषि मंत्री बहुत हल्ला करते रहते हैं और सूचना विभाग की ओर से हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में पोथे के पोथे आते हैं--भले ही वह गोमती नदी में बहते हुए दिखायी पड़ें--उसमें कहा जाता है कि नया पैडिग्री सीड दिया जाय तो एक एकड़ में १.२५ टन अधिक पैदावार होनी चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अगर अमोनियम सल्फेट की खाद दी जाय तो उपज १.६० टन बढ़नी चाहिए। और श्रीमन्, अगर नये इम्प्लीमेंट्स, नये औजार, प्रयोग किये जायं, नये ढंग से खेती की जाय, जिसके लिए कि बहुत बड़ा स्टाफ, बहुत ज्यादा कर्मचारी हमारी सरकार ने एकत्रित किये हैं, बहुत ज्यादा साधन एकत्रित किये हैं, तो १५ परसेंट खेती की उपज में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

अब श्रीमन्, जरा हिसाब लगा लें, अगर इन फैक्टरों को अलग अलग ले लें, तो हमारी टोटल बढ़ोत्तरी पांच वर्ष में ३.३२ मिलियन टन होनी चाहिए थी। परन्तु हमारी इस सरकार के विभाग द्वारा प्रकाशित--जिसको मैं समझता हूं ठीक ही होना चाहिए--मैगजीन के अन्दर यह आता है कि जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई, १९५०-५१ में, उस समय अनाज का आउट-पुट इस प्रान्त का १०.७९ मिलियन टन्स था। अब ५ वर्ष में भीषण प्रयास किया गया खेती की उपज बढ़ाने का, अब ३.३२ मिलियन टन अगर उसमें जोड़ दिये जायं तो १४.११ मिलियन टन उपज होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना आपकी समाप्त होती है १९५५ और ५६ में, ५ वर्ष के अन्दर बढ़कर उपज ११.३५ टन हुई है अर्थात् इन ५ वर्षों में कुल ५६ मिलियन टन की बढ़ोत्तरी हुई है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--मैं आप की इजाजत से कहना चाहता हूं कि यह तो ऐसा हिसाब लगा रहे हैं जैसा कि उद्योग-धंधों में लगता है, लेकिन ऐग्रीकलचर में वेदर भी फैक्टर होता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, चौधरी साहब के लिए क्या कहूं, बड़े बुजुर्ग हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष--नियम यह है कि जब किसी की बात सुनना चाहें तो खुद बैठ कर सुनें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बधाई तो दे ही दूं। आप बोले तो अवश्य ही, परन्तु मुझे लगता है कि दूसरों की बात सुनने में चौधरी साहब को धैर्य नहीं। पहले, जरा पूरी बात सुन लेते, फिर कहते तो आनन्द भी था। मुझे माफ करेंगे यह तो ऐसी बात हुई कि किसी स्कूल में कोई "वेरी ब्राइट, बट वेरी इग्नोरेंट ब्वाय" हाथ उठाकर जवाब देना चाहे, मगर जवाब देना उसको न आये।

आप ने कहा है कि मौसम भी फैक्टर होता है। तो बाढ़ तो १९५५ में आयी। केवल एक मौसम गड़बड़ हुआ है और ४ वर्ष क्या बराबर गड़बड़ रहा है? और अगर चार वर्ष गड़बड़ी रही तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए श्रीमान्, चौधरी साहब ने जो खाद्य समस्या पर भाषण दिया था, उसमें कहा था कि कोई स्कैसिटी नहीं है तो फिर यह क्या हुआ? एक साल की मौसम की गड़बड़ी से १६ लाख टन के बजाय १२ लाख टन उपज हो सकती थी। लेकिन ११.३५ टन बढ़ी और अगर हिसाब लगायें तो .५६ टन बढ़ी है और इतने खर्चे के बाद बढ़ी है। यह क्या है? इस टैक्स के रुपये का सदुपयोग होना चाहिए था, बरबाद नहीं होना चाहिए था।

आज श्रीमन्, आंकड़ों से कुछ भी साबित करने की कोशिश की जाय और कुछ भी साबित कर दिया जाय, लेकिन हमारा समाज तो देखता है कि आज हमारी उपज दिन ब दिन घटती चली जा रही है, बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है तो वह कैसे आपकी बात पर विश्वास करेगा और आपको टैक्स देने के लिए तैयार होगा? अगर प्रतिशत का हिसाब लगायें तो जहां १०० प्रतिशत होनी चाहिए थी, वहां २३.१ प्रतिशत हुई है। यह क्या है? मैं यही कहूंगा कि इस सरकार को मानो एक्सट्रावेगेन्स की बीमारी है और श्रीमन्, यह एक्स्ट्रावेगेन्स की बीमारी सोशलिस्टिक पैटर्न का मुख्य लक्ष्य हो तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान हम को ऐसे राज्य से बचाने की दया करेगा।

श्रीमन्, आप देखें कि इस टैक्सेशन का बोझ किस पर पड़ता है ? हमारे अर्थ मन्त्री जी ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की है कि हमारे राज्य के टैक्सेशन के आंकड़े सब प्रान्तों से कम हैं और यह भी कहा गया कि इसमें लैन्ड रेवेन्यू को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, मैं पूछूंगा कि लगान क्या है ? क्या यह भूमि का टैक्स नहीं है ? क्या वह सरकार नजराना लेती है या ब्रह्म भोज में भूयसी दक्षिणा पाने की इच्छा रखती है ? श्रीमन्, यह भी एक टैक्स है तो फिर इसको इसमें क्यों न जोड़ा जाय ? हमारे अर्थ मन्त्री जी बैठे-बैठे, धीरे-धीरे सिर हिलाकर कह रहे हैं नहीं। लेकिन श्रीमन्, मैं उनकी बात मानूं या बड़े-बड़े अर्थ शास्त्र के शास्त्रज्ञों की बात मानूं जिन्होंने साबित कर दिया है कि लगान भी भूमि का टैक्स है। इसलिए अगर इसको जोड़ दिया जाय तो ४.३ जिस के ऊपर हमारी सरकार बड़ा गर्व करती है, वह वास्तव में १०.३ हो जाता है। २२ करोड़ रुपये का लगान है और ४ करोड़ लोग देते हैं। मैंने गलत कहा था और आशा है कि चौधरी साहब मुझे क्षमा करेंगे। अगर २२ को ४ से भाग दे दिया जाय तो कितना पर कैपिटा आता है ? ५.६ पड़ेगा और इसमें अगर ४.७ जोड़ दिया जाय तो १०.३ होता है। अब आप देखिये कि किस प्रांत का टैक्स ज्यादा हुआ ? आपके प्रांत का टैक्स कोई कम नहीं है और वह किस पर पड़ रहा है ? इसका बोझा आप के देहात के किसानों पर पड़ रहा है और इधर आप देखिये कि उसकी बेचारे की पर्चेजिंग पावर कहां बढ़ी ?

श्रीमन्, आप देखें कि १९४८-४९ के प्लानिंग कमीशन के मेम्बर जिनको आप प्रोफेसर सरीन कहते हैं, उन्होंने हमारे यहां सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद उन्होंने यह कहा था कि अरबन एरिया पर टैक्स का जो बोझा पर कैपिटा पड़ रहा है वह ५.३ है और रूरल पर वही १०.३ है। इससे हमको यह पता चलता है कि उन्होंने बतलाया कि आप का यह टैक्सेशन शहरों में देहातों के बनिस्बत बहुत कम है। शहरों में वकील लोग रहते हैं, चाहे उनको मुकदमें में मिलते हों, लेकिन वह मन्त्री बन सकते हैं। लेकिन गांवों में रहते हैं हमारे देश के किसान। उससे आप सब से अधिक टैक्स वसूल कर रहे हैं लेकिन उसको उसका कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हैं। टैक्स बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारे चौधरी साहब यह कह सकते हैं कि लगान जो किसानों पर पड़ता है वह १९००-१९०२ का रेट ही चला जाता है जब कि अब गल्ले के दाम बहुत बढ़ गये हैं। लेकिन चौधरी साहब इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि १९००-१९०२ से आज रुपये की वैल्यू कितनी घट गयी है। १९०० तथा १९०२ में यदि रुपये की वैल्यू आठ आने थी तो आज उसकी वैल्यू केवल दो आने ही रह गयी है।

(व्यवधान)

मुझे एक अंग्रेजी में कहावत याद आती है :

"I am talking to the organ grinder, I shall talk to the monkeys later on."

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--श्रीमन्, मैं एक प्वांइट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। क्या यह उचित है कि सदन में मंकीज का जिक्र किया जा सके और यह कहा जा सके कि मंकीज से मैं बाद में बात करूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप लोग बैठे-बैठे आपसी संबाद में लगे हुये थे। ऐसी हालत में उसको बुरा नहीं मानना चाहिये। और अगर आप उस को बुरा समझ ते हैं तो मैं समझता हूं कि श्री यादवेन्द्रदत्त जी.....

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--श्रीमन्, मैंने जो अभी अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किये हैं ये ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स में भी प्रयोग हो चुके हैं और यही प्रयोग प्राइम मिनिस्टर मैकमिलन के लिये श्री अन्योरन बेवन ने भी किया है। तो अगर वहां यह पार्लियामेंटेरियन है तो यहां भी पार्लियामेंटेरियन समझा जाना चाहिये क्योंकि वहां की पद्धति से ही हम गाइड होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि यदि उनको आपत्ति है तो ऐसे शब्दों का सदन की शोभा कायम रखने के लिये व्यवहार नहीं होना चाहिये।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे—तो मैं यह कह रहा था श्रीमन् कि आज यह टैक्स का बोझा समाज के उस हिस्से पर पड़ रहा है जिस की पर्चेजिंग पावर घट रही है और जिसके जीवन की आवश्यक चीजों के दाम बढते चले जा रहे हैं। आज से १५ वर्ष पूर्व जो बैल पूर्वी उत्तर प्रदेश में २५ और ५० रु० में मिल जाते थे वे आज २००, २५० और ३०० रुपये के मिलते हैं। जो धोती का जोड़ा पहले डेढ और पौने दो रुपये का मिलता था आज वह ७ और ८ रुपये में हो रहा है। तो गल्ले के दाम बढ जाने से उस की रियल इन्कम नहीं बढ़ रही है बल्कि वह घटती चली जा रही है। अगर सोशलिस्टिक पेटर्न का राज्य बनाने का इन्टेन्शन है, मैं इन्टेन्शन नहीं डाउट करता हूं तो उस इन्टेन्शन को कार्यरूप में परिणत करना चाहिये जिसके लिये उस गरीब किसान के ऊपर से करों का बोझा घटाना चाहिये। परन्तु इस की ओर किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अब आप दूसरी ओर देखिये। अगर हम टैक्सेशन के बोझ को आमदनी के क्लासवाइज हिसाब से बांट दें तो आप देखेंगे कि शहरों में ५०० रुपये तक की जिनकी आमदनी है उनके ऊपर ८ प्रतिशत् टैक्सेशन का बोझ है और जिनकी आमदनी २,००० से ३,००० रुपये तक है उन के ऊपर ३.९ या ४ प्रतिशत टैक्सेशन का बोझ पड़ता है। तो यह किस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर है? इसी तरह अगर आप गांवों में देखिये तो ५०० रुपये तक की आमदनी वालों पर इन्सीडेन्स आफ़ टैक्सेशन १२.६ परसेंट है। देहात में दो-तीन हजार रुपये की आमदनी वाले बहुत ही कम हैं, लेकिन जो २,४,१० होंगे उन पर ६.७ परसेंट का बोझ पड़ता है। यह कौन सा रूप है सामाजिक न्याय का? आज तो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी टैक्सेशन के आधार पर विभेद और विभिन्नता खड़ी की जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर यही दो बातें हम लोग ध्यान में ले लें तो इस बजट पर बधाई देने का कार्य हमारे देश के पूंजीपति श्री पद्मपति सिंहानिया आदि को करना चाहिये। वह अधिक सही होगा। आज कामन मैन की ओर से हमारे अर्थ मंत्री को बधाई नहीं दी जा सकती है।

दूसरी ओर यदि आप सेल्स टैक्स को देखें तो यह रिग्रेसिव टैक्सेशन है और खासतौर पर फूड के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा हुआ यह तो और भी रिग्रेसिव है। आखिर उसका इन्सीडेन्स पड़ता किस के ऊपर है? आपके शहर में मजदूरवर्ग है। शहर के अन्दर जिसको आप निम्न या मध्यम वर्ग कहते हैं और जिसके पास पैसा नहीं है और जिस की आमदनी १५०,२०० और २५० तक है, इस गल्ले का भार ज्यादा उस के ऊपर ही पड़ता है। जिसके पास पैसा है और गल्ला कम मात्रा में खा सकता है उस पर गल्ले के टैक्स का भार ज्यादा नहीं पड़ता है। मैं तो यह समझता था कि इस सोशलिस्टिक पैटर्न स्टेट के अन्दर इस बजट के अन्दर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये परन्तु यहां मैं देखता हूं कि इस पर लगा हुआ है। चाहे वह एक पदी हो या बहुपदी हो लेकिन वह लगा हुआ है। वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री को इस टैक्स को हटा देना चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि मैं विरोध के लिये इस को कहता हूं कि टैक्स हटाया जाय किन्तु मेरा निवेदन यह है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्स लगाइये। क्यों नहीं आप Purchase टैक्स को लगाते? क्यों नहीं आप लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाते? आप सोना चांदी या और इस तरह की चीजें हैं उन पर टैक्स लगाइये। मोटर हैं, मोटर साइकिल हैं, क्यों नहीं इनके ऊपर लगाते? आप कह सकते हैं कि वह चीजें इस प्रांत के बाहर से खरीदकर आती हैं। हो सकता है वे टैक्स इवेड करते हों तो आप उन से इस टैक्स को लें। यदि आप ऐसा करते तो हम कह सकते थे कि माननीय अर्थ मंत्री ने अपनी घोषणा के अनुरूप इस बजट का निर्माण किया है परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

यदि ध्यान से इस बजट को देखा जाय तो सारे बजट में एक बात दिखाई पड़ती है और वह यह कि यह राज्य केवल कर्जे के आधार पर खड़ा हुआ है। डैफिसिट फाइनेन्सिंग कर रहे हैं क्योंकि आमदनी कम है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस डैफिसिट फ़ाइनेन्सिंग का परिणाम एक दिन इस राज्य पर जरूर पड़ेगा। आपके पास कैपिटल फार्मेशन नहीं रह जायेगा आपकी जो यह अल्प बचत योजना है वह भी स्पष्ट है। डैफिसिट फाइनेन्सिंग को पूरा करने

के लिये आप कैपिटल से रुपया निकाल कर रेवेन्यू में ले आते हैं, यह बात आप के पिछले साल के आंकड़ों से स्पष्ट होती जाती है। मैं आंकड़ों पर नहीं आता क्योंकि मेरे पास समय कम है परन्तु इतना निवेदन करूंगा कि कैपिटल डैफिसिट बजट के लिये आवश्यक है। उस के लिये आप रेवेन्यू क्रिएट करके उस खर्चे को रेवेन्यू रिजर्व में ले जाकर बजट में पूरा करते हैं। आप डैफिसिट को छिपाना चाहते हैं; यह आप के बजट के अन्दर हर साल देखने को मिलता है। अन्दाजा कुछ होता है और वर्ष के खतम होने पर फिर दिखाई पड़ता है कि खर्चे के अन्दर इतनी सेविंग हो गयी और उस से इतना डैफिसिट पूरा हुआ। इसके माने यह हैं कि आप के बजट के अन्दर आंकड़ों की समानता नहीं है और आपने आंकड़ों की एक लगजरी की है।

जहां तक कांम्पीटेन्सी का प्रश्न है, मैं समझता हूं यह सरकार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में असमर्थ रही है। लखनऊ नगर में उस के उदाहरण दिखलाई पड़ते हैं। मैं तो समझता हूं कि जब मंत्रीगण अपने मकानों से निकलते होंगे तो उन को जरूर दिखाई देता होगा कि इसी सरकार के ४,५ बड़े-बड़े अफसर, जो कहे जाते हैं, उनकी कोठियां बन रही हैं। कहां से उनके पास सीमेंट आया और कहां से लोहा आया जब कि साधारण आदमी को इस बरसात के मौसम में अपने मकान की रिपेयर के लिये एक बोरा सीमेंट का मिलना असम्भव है। वहां उन को वैगन की वैगन मिल जाती है। सूचना विभाग से लाखों की संख्या में डायरी छपती हैं, क्लेन्डर छपते हैं और हजारों किताबें पंचवर्षीय योजना के प्रचार के लिये बहा दी जाती हैं। श्रीमन्, आज दशा यह है कि कोयला बचाने के लिये अशर्फियां लुटाई जा रही हैं। आप ने प्रान्त में सीमेंट और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो अपनी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री को करने का प्रयोग किया है तो क्या उस से आप की आमदनी बढ़ी है? मैं देखता हूं कि आज मंत्रियों और उपमंत्रियों और सदस्यों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कागज लाखों की संख्या में छापे जाते हैं असे म्बली के लोगों का पैड अलग रंग का और अपर हाउस के लोगों का अलग रंग का रखने की क्या आवश्यकता है? अलगअलग रंग के पैड छाप कर कितने लाख रुपया बेकार खर्च किया गया है? क्यों नहीं एक ही रंग के पैड छपवाये जा सकते हैं? मैं तो समझता था कि अर्थ मन्त्री ने अर्थपूर्ण बजट बनाया होगा लेकिन यह तो निरर्थक मंत्री का निरर्थक बजट है, ऐसा मुझे लगता है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दूसरा वित्तीय वर्ष है। इसका बजट यहां विचाराधीन है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को उनके बजट भाषण पर बधाई देने के लिए तथा अपने कुछ नम्र सुझाव पेश करने के लिए खड़ी हुई हूं। श्रीमन्, आज देश में और प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का दौर जारी है। पुरानी मान्यतायें नष्टप्राय होती चली जा रही हैं और नयी मान्यताओं का आधार भी ठीक नहीं हो पा रहा है। अब नयी और पुरानी मान्यताओं के बीच संघर्ष है। इसमें आज हमारे देश और प्रदेश की जनता उलझन में पड़ी हुई है। वह नहीं समझ पा रही है कि हमारे समाज का भावी स्वरूप क्या होगा। सदियों से राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हमारे प्रदेश में अनेक विकास योजनायें चल रही हैं। ऐसे समय में जनता में असन्तोष, रोष, क्रोध और उद्विग्नता का होना किसी हद तक स्वाभाविक है। इस समय हमारे देश और प्रदेश में समाजवाद की विचार धारा नये समाज को जन्म देने के लिए आन्दोलित कर रही है। हमारी सरकार ने भी समाजवाद के लक्ष्य को अपनाया है और हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें शान्तिपूर्ण और वैध तरीकों से उस लक्ष्य के अनुसार देश में परिवर्तन लाने में लगी हुई हैं। उस दिशा में हमारा प्रस्तुत बजट सदन के सामने पेश है।

इस बजट में ७० से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए २५ लाख रुपये की धनराशि रखकर हमारी सरकार ने सामाजिक क्रान्ति की ओर एक सुदृढ़ पग उठाया है। क्या ही अच्छा होता, यदि विधवा और परित्यक्ता स्त्रियों के लिए भी एक धनराशि हमारे बजट में रक्खी जाती! उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं और परिवार का भार होता है।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

इस बजट में हमारे केन्द्रीय और प्रदेशीय कार्यालयों में एक सा काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में जो भारी विषमता थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। जिस विषमता के कारण हमारे प्रदेश के कर्मचारियों में क्षोभ और रोष का होना स्वाभाविक था। इसलिए १०० रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए ५ रुपये की वृद्धि करके हमारी सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। श्रीमन्, मेरा नम्र निवेदन यह है कि यदि संभव हो सके तो राजस्व कोष और केन्द्रीय सरकार की सहायता से जो यह २० रुपये का अन्तर कर्मचारियों के वेतन में है, उसको भी भविष्य में आने वाले ३ सालों में दूर कर दिया जाय।

श्रीमन्, शिक्षा के विषय में भी हमारी सरकार ने कक्षा ६ से ८ की शिक्षा को निःशुल्क करके निरक्षरता को दूर करने की ओर बड़ा अच्छा कदम उठाया है। परन्तु मेरे विचार में उचित यह होगा कि दसवीं कक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाय तो अज्ञानता को दूर करने की दिशा में सरकार का अच्छा एक कदम होगा।

श्रीमन्, प्रस्तुत बजट में मजदूरों की बीमा योजना को बढ़ाया गया है, गर्भवती स्त्रियों के दूध के लिए अधिक धन रक्खा गया है, अंधे, गूंगे, बहरों की शिक्षा के लिए रुपया रक्खा गया है, भिखारियों के लिए कार्यशालायें खोली गयी हैं, निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिए after care home और प्रोटेक्शन होम्स की व्यवस्था की गयी है और कुष्ठियों के लिए कुष्ठाश्रम की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार हमारी सरकार ने जनकल्याणकारी दिशा में एक बहुत ही सुदृढ़ कदम उठाया है। मैं इसे अन्त्योदय और सर्वोदय की दिशा में कदम मानती हूं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय बढ़ी है। सन् १९४८-४९ में हमारे प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय २२३.६ थी जो १९५४-५५ में बढ़ कर २७६.७ हो गयी। लेकिन श्रीमन्, राज्य की औसत आय और देश की प्रत्येक व्यक्ति की आय में आज भी ४५ रुपये का अन्तर प्रतीत होता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्तिकाल तक हमारी औसत आय और राष्ट्रीय औसत आय में १०० रुपये का अन्तर हो जायगा। श्रीमन्, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश देश का ६वां भाग होते हुए भी केन्द्र ने हमारे प्रदेश के लिए केवल ढाई अरब की योजना ही दी है जब कि ४० लाख जनता वाले सौराष्ट्र के लिए ६३ करोड़ रुपये की योजना रक्खी है। इस अनुपात से हमारे वृहद् प्रदेश के लिए लगभग १० अरब रुपये की योजना होनी चाहिए थी। इस दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश, बम्बई, मद्रास और बंगाल से हर दिशा में पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। अतएव हमारी सरकार के सामने एक बड़ा भारी धर्मसंकट आ गया है। वह बेकारों को कार्य देना चाहती है, दीन हीनों की सही दिशा में सहायता करना चाहती है, लेकिन उसकी दशा सर्प छछूंदर जैसी हो रही है। टैक्स अगर बढ़ाया जाता है तो हमारे विरोधी दल के भाई उसका विरोध करते हैं। यह बड़ा आसान होता है। दूसरे केन्द्र की ओर से भी हमें उतनी सहायता नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकें।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश का बिहार और उड़ीसा के बाद गरीबी में तीसरा स्थान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जमीन पर से भार कम नहीं हुआ है और उस को करने का एक मात्र साधन औद्योगीकरण है। बड़े दुःख का विषय है कि केन्द्र हमारे प्रदेश को बड़े-बड़े उद्योग न देकर दूसरे ही प्रदेशों में उनको दे रहा है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश के लिये केन्द्र ने दो चार बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये आश्वासन दिया था, लेकिन मुझको तो उसमें भी कुछ निराशा की झलक आती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्रीमन्, सन् ४८, ४९ की अपेक्षा सन् ५४-५५ में १२१ प्रतिशत कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन दुख का विषय है कि कृषकों के उत्पादन का मूल्य ५४-५५ में १५६२ करोड़ से घट कर १४०१ करोड़

रुपया रह गया। श्रीमन्, १२१ प्रतिशत कृषि के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी १६१ करोड़ रुपया साल का कृषकों की क्रयशक्ति का ह्रास हमारे प्रदेश में हुआ है। दूसरे शब्दों में श्रीमन्, कृषकों की पैदावार का दाम जो सन् ४८–४९ में १०० था, वह सन् ५४–५५ में घट कर ८४.३ रह गया और ५५–५६ में घट कर केवल ७०.३ रह गया है। श्रीमन्, जब हमारे प्रदेश में १६१ करोड़ रुपये सालाना कृषकों की क्रयशक्ति का ह्रास होता है और वे अपनी खेती सम्बन्धी चीजों को खरीदने में अधिक दाम देते हैं तो मुझको तो इस क्रयशक्ति का असर अपने प्रदेश की आर्थिक नीति पर भयानक कुप्रभाव डालता हुआ नजर आता है।

श्रीमन्, सन् ५१ में हमारे यहां कृषि और सिंचाई पर ८२ हजार किलोवाट बिजली व्यय होती थी लेकिन सन् ५४, ५५ में घटकर ७२ हजार किलोवाट ही विद्युत् शक्ति का व्यय रह गया है। श्रीमन्, १२ प्रतिशत बिजली का घटना कृषि के उत्पादन और प्रदेश के हित की किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता।

(इस समय ३ बजकर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, बजट को देखने से मालूम होता है कि बिजली पर जो २५ प्रतिशत सरचार्ज था उसको उद्योगों के लिये ५ प्रतिशत घटा दिया गया है लेकिन कृषि पर जो २५ प्रतिशत सरचार्ज था उसको नहीं घटाया गया है। श्रीमन् मेरा निवेदन है कि कृषि के ऊपर से भी २५ प्रतिशत बिजली का सरचार्ज पूर्णतया हटा दिया जाय ताकि हमारे प्रदेश की उन्नति हो सके।

श्रीमन्, अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं कि उन्होंने अपने बजट में एक करोड़ रुपये की बचत की योजना का निर्णय किया है। यदि थोड़ी सी फजूल खर्ची में और सतर्कता बरती जाय तो मेरा विश्वास है कि हमारे बजट की कमी की पूर्ति हो सकेगी।

श्रीमन्, सन् १९४६ में जहां सचिवालय का खर्चा केवल २७ लाख था वहां आज बढ़कर एक करोड़ २२ लाख हो गया है। हमारे सचिवालय में जो इतने सचिवों और उपसचिवों की संख्या बढ़ गयी है उनको ढाई-ढाई सौ और तीन तीन सौ भत्ता देने का क्या औचित्य है? जब ब्रिटिश राज्य की हुकूमत थी तब तो उनके ख्याल से उसका कुछ औचित्य हो सकता था। लेकिन जब आज हम स्वतंत्र हैं तो फिर ऐसी सूरत में उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहां के जिलाधीश जो उसी योग्यता के हैं बिना भत्ते के अपने कार्य-भार का योग्यता पूर्वक वहन करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ५७–५८ का बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके ऊपर बहस होते हुये आज तीसरा दिन है। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना और उसके बाद विरोधी दल के नेताओं के भाषणों को भी सुना और समझने की कोशिश की। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके इस भाषण के ऊपर बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो कदम उन्होंने उठाया है, जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं उसी रास्ते पर वह चलते रहेंगे, परन्तु इसके साथ ही विरोधी दल के नताओं ने जो-जो आलोचनायें की हैं और जो कटु आलोचना की है वह उसको भी उन्हें ध्यान में रखना होगा। मैं सदन के सम्मुख यह चीज रखना चाहता हूं कि जिस समय महात्मा गांधी भारत में स्वराज्य के लिये आंदोलन कर रहे थे उस समय एक अमेरिकन महिला विटिश लोगों की तरफ से यहां भेजी गई थीं, वह स्वतंत्रता के मूवमेन्ट को डिसकरेज करने के लिये यहां भेजी गई थीं, उनका नाम था "मिस केथेरिन मेयो"। उन्होंने यहां के समाज म जहां कहीं भी जितनी गलतियां या कुरीतियां पाईं वह ढूंढ कर अपनी किताब में लिखीं और उनको बहुत ही विस्तार दिया और इस देश को और यहां के निवासियों को बहुत कुछ डिसक्रेडिट करने की कोशिश की। उसके बाद उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बड़ी–बड़ी पुस्तकें लिखीं 'अनहैपी इंडिया,' 'Uncle Sham' आदि अनेक पुस्तकें लिखी गई लेकिन जब महात्मा गांधी के सामने वह पुस्तकें प्रस्तुत की गईं और उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने उस पर केवल एक ही बात कही और वह यह थी कि "इट इज ए ट्रेन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट व्हिच नो फारेनर बट एवरी इंडियन मस्ट रीड" उन्होंने इतने में ही अपनी तमाम बातें कह डालीं। इस का आशय यह था कि

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

जो ट्रेन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट लिखेगा उसमें वह जहां पर भी गन्दगी, नालियां, कीड़े आदि होंगे उन्हीं को बतलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जो कटु आलोचना हमारे विरोधी नेताओं की ओर से हुई है वह मैं महात्मा गांधी के शब्दों में, जो कटु आलोचना उधर से हुई है, उसके जवाब में कहूंगा कि "इट इज़ ए ट्रेन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट" हमें इससे भी लाभ उठाना चाहिये और इस तरफ के जो बैठने वाले हैं उनको उस आलोचना को गौर से देखना चाहिये और उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

एक चीज माननीय विरोधी दल के नेता और दूसरे लोग भूल जाते हैं और ध्यान दिलाने पर भी वह नहीं सोचते क्योंकि उन्हें तो उसका विरोध करना ही है और वह यह है कि यह देश अंग्रेजों का लूटा हुआ देश है। जिस वक्त वह इस देश से गये हैं यहां की इकानोमी बिलकुल जर्जर हो चुकी थी। यहां पर मेंटल स्लेवरी पूरी तरह से अधिकार पा चुकी थी। उस गिरे हुये मकान को, उस टूटे हुये मकान को हम को फिर से बनाना है, ठीक करना है। कुछ तो बिलकुल उसकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देनी हैं। कुछ उस मकान की जो पुरानी दीवारें हैं या खस्ता दीवारें हैं उनकी मरम्मत करनी है। देश की इकानोमी इस वक्त तक अच्छी नहीं है। अच्छी होने की कोशिश की जा रही है। तो जब नया मकान बनेगा, जब नये मकान में पुराने ध्वस्त मकान का मलवा इकट्ठा होगा तो गंदगी अवश्य होगी। लेकिन जो देखना है वह यह है कि जो नये मकान की बुनियादें डाली जा रही हैं वह बुनियादें कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, कच्ची हैं या पक्की हैं?

हमारी जो सरकार है उसका मंतव्य है "सोशलिस्ट पैटर्न आफ स्टेट" बनाना। बजट को विरोधी लोगों ने पढ़ा है, समझा नहीं है, समझने की कोशिश नहीं की है। लेकिन मेरे ख्याल से लोग उसको मिसअंडरस्टैन्ड कर रहे हैं। बजट अभी उस उच्च आदर्श रूप में नहीं पहुंचा है। आइन्दा चल कर बजट उस रूप में आयेंगे जबकि सामने बहुत चीजें नजर आयेंगी। इस वक्त बजट में केवल एक ही चीज देखनी है और वह यह है कि आया उसकी जो रूपरेखा है वह उस का लक्ष्य पूरा करने की तरफ है या नहीं, जो लक्ष्य हमारी स्टेट ने हमारे सामने रखा है। अब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमको धन की जरूरत है, बड़े सामान की जरूरत है, समय की जरूरत है, जैसी कि कहावत है कि "रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे"। हम हर चीज को आदर्श रूप में इसी समय देखना चाहते हैं। लेकिन वह आदर्श कब होगा इसके लिये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिये हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिये। इसमें शक नहीं है कि जो हमारे विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कुछ चीजें सामने रखी हैं उन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वह चीजें खासतौर से जो मैं नोट कर सका वह करप्शन है। ठीक है, मैं समझता हूं कोई भी इस सदन में बैठे हुये माननीय सदस्य इस बात को मानने के लिये एक मिनट के लिये भी तैयार नहीं हो सकते कि करप्शन नहीं है। उसे दूर करने के लिये हमारा और आप का सभी का कर्त्तव्य है। कोई सरकार करप्शन रहते हुये कामयाब नहीं हो सकती अधिक दिनों तक। करप्शन तो हमारे नैतिक पतन पर निर्भर है। हमारा नैतिक पतन भी हो चुका था और अब भी नैतिक पतन का होना बन्द नहीं हुआ है। उस ओर अब सब को जरूर ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरी चीज जो उन्होंने बतायी वह नेपोटिज्म और फेवरिटिज्म है। हम को अपने आप को जांचना चाहिए और जांच कर देखना चाहिए कि हमारे अन्दर वह चीज है या नहीं। अगर है तो बुरी है और उसको दूर करने की कोशिश करने की जरूरत है।

तीसरी चीज जो उन्होंने बतलायी वह पुलिस की और ब्योरोक्रैसी की उत्पत्ति है। पुलिस के जुल्म और अत्याचारों की तरफ हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं इसमें किसी के पक्षपात की बात नहीं है, यह चीज मौजूद है और जो चीज मौजूद है उसको दूर करने की आवश्यकता है।

चौथी चीज जो बतलायी वह जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन। मैं जुडिशियरी में रह चुका हूं और वहां से अवकाश प्राप्त किया है और फिर पब्लिक लाइफ में घुसने की कोशिश की है। किसी आदमी को सन्तोष, धैर्य और विश्वास उस वक्त तक नहीं हो सकता जुडिशियरी में जब तक कि वह एक्जीक्यूटिव से बिलकुल अलग न हो। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि उस के लिए मेरे पास कुछ प्रमाण भी हैं कि न केवल जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव सेपरेट हो, बल्कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन और प्राजिक्यूशन से ताल्लुक रखती है, वह भी उस पुलिस से जो कि शान्ति रखने के लिए है उससे बिलकुल अलग होनी चाहिए, वर्ना जस्टिस जिस फार्म में हम देखना चाहते हैं देखने को नहीं मिलेगी। एक प्रजातन्त्र राज्य में, एक स्वतन्त्र जुडिशियरी की सख्त जरूरत है और यदि यह नहीं है तो लोगों के अन्दर प्रजातन्त्र में से विश्वास दिन प्रति दिन कम होता जायगा। मैं यह समझता हूं कि इन्डिपेंडेंट जुडिशियरी की बड़ी जरूरत है और जिस चीज को हम पहले अच्छी कहते थे उसको अब हम खराब समझें यह मेरे समझ के बाहर की बात है।

इसके साथ मैं और बातें कहना चाहता था, लेकिन समय कम है और लाल बत्ती मुझे दिखायी जा चुकी है। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा में जो कमियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। मैं जिस कांस्टीटचुएंसी से आया हूं उसकी आबादी करीब ढाई, तीन लाख है और आज तक मैं यह कहने को तैयार हूं कि उस कांस्टीटचुएंसी में, जिसमें तहसील का हेडक्वार्टर शामिल है, आज तक एक हाई स्कूल नहीं है। मैंने बहुत से गांव देखे हैं जिनकी आबादी डेढ़, दो हजार है वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। इसकी बहुत सख्त कमी है। जिस इलाके से आया हूं वह बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें अभी तक कुयें नहीं हैं, न पानी सींचने के साधन हैं, वहां पर कुओं की व्यवस्था की जाय। मैंने सुना है कि कुछ कुयें मंजूर हुए हैं, लेकिन १०, ५ बनने के बाद फिर रुक गये। काश्तकार को इस बात के कहने की जरूरत नहीं है कि वह अन्न ज्यादा पैदा करे। वह तो करेगा ही। मैं वित्त मन्त्री तथा सिंचाई मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उस पिछड़े हुए इलाके की तरफ ध्यान दें।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के उस ओर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वे इस बजट पर माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देने के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं सदन के इस ओर से यह तो नहीं कहूंगा कि मैं शाप देने के लिए खड़ा हुआ हूं मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं बधाई देने में असमर्थ हूं। इस बजट के लिए यह कहा जाता है कि यह सन् १९५७–५८ का सोशलिस्टिक 'पैटर्न आफ सोसाइटी' का बजट है। श्रीमन्, हम को क्षमा करें, यदि हम इस सदन में यह कहें कि जब कोई कांग्रेस का सदस्य सोशलिज्म की बात करता है तो शेक्सपीयर को कोट करने की तबियत होती है और कहने को जी चाहता है कि 'डेविल कोटिंग दी स्क्रिप्चर्स'। सोशलिज्म और कांग्रेस दोनों में श्रीमन्, बड़ा भारी भेद है। केवल कह देने से यह "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी" का बजट नहीं होगा। दो बातें उसके लिए अत्यन्त आवश्यक थीं। इस बजट के द्वारा श्रीमन्, यह देखा जाता कि सत्ता के विकेन्द्रीयकरण, डीसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ इस बजट ने कौन सा कदम उठाया है। अगर इस बजट में केवल सत्ता का केन्द्रीयकरण ही है तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी से यह बजट बहुत दूर है। श्रीमन्, दूसरी बात जो इसमें और देखनी चाहिए थी वह यह कि इस उत्तर प्रदेश के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए प्रजातांत्रिक पद्धतियों को स्थापित करने के लिए इस बजट में क्या है? श्रीमन्, हमारा यह दावा है कि इन दोनों कसौटियों पर यह बजट कसा जायगा तो यह बजट खरा नहीं उतरेगा। इन दोनों कसौटियों पर यह बजट खोटा उतरेगा। और इस तरह से हमारा निवेदन यह है कि यह बजट किसी भी तरह से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का बजट नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक बात और श्रीमन्, आपकी आज्ञा से निवेदन करूं कि माननीय विरोधी दल के नेता ने जब माननीय वित्त मन्त्री के भाषण के पश्चात्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

प्रेस वालों से कहा कि यह एक स्टेल बजट है, और अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्टेल के मानी बासी होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से यह कहूं कि केवल यह स्टेल ही नहीं है यह तो राटेन बजट है, सड़ा हुआ बजट है। स्टेल बजट इस बजट के कहने के लिए कहना यह इस बजट की जितनी भर्त्सना करनी चाहिए थी उस से नरम लफ्ज होगा। इससे भी कड़ा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लियामेंटरी लैंग्वेज में इस से कड़ा लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना इससे और स्ट्रांगर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती तो उचित होता।

श्रीमन्, इस बजट में जो सब से बड़ी कमी है वह यह कि मैं समझता हूं कि जब से कांग्रेस गवर्नमेंट इस प्रदेश में आयी है तब से इस प्रदेश के चार जिले झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर जो बुन्देलखण्ड के जिले कहलाते हैं, जो इस सूबे के बड़े पिछड़े हुए जिले हैं, जिसमें गरीबी भी बहुत है, जहां उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों के अनुपात में तरक्की के साधन नहीं हैं, उन के लिए श्रीमन्, कुछ नहीं किया गया है। विशेष रूप से श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि इस बजट में इस बुन्देलखन्ड के लिए जो कि मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की शान है, जिस बुन्देलखण्ड के लिए आज यह कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश की ग्रेनरी है, जहां के किसान इतनी मेहनत करते हैं, गल्ला उत्पादन करते हैं, उस बुन्देलखण्ड के लिए कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। कोई सड़कों की व्यवस्था नहीं। सदन के अनेक सदस्यों को मालूम होगा कि मध्य भारत स अथवा मध्य प्रदेश से लगे हुए जो इलाके हैं उनमें सड़कों कन होने के कारण न जाने कितनी डकैतियां पड़ती हैं। मैं तो समझता हूं कि जब से कांग्रेस पार्टी पावर में आई है, इस प्रदेश में तब से बराबर बुन्देलखंड को इगनोर किया है और बुन्देलखंड के जिलों की ओर कोई भी ध्यान इस सरकार ने नहीं दिया। जब प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह बुन्देलखंड से भी इस सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि बुन्देलखंड की समस्याओं पर यह सरकार गौर न करे।

बुन्देलखंड के चार जिले हैं—हमीरपुर, जालौन, झांसी व बांदा। झांसी व हमीरपुर को छोड़ कर किसी भी जिले में बिजली के साधन नहीं हैं। मैं चाहता था कि इस बजट में इस बात का उसी तरह प्राविजन होता जिस प्रकार नैनीताल, अल्मोड़ा में या अन्य पहाड़ी इलाकों की तरक्की की बात कही गई है। मैं चाहता था कि बुन्देलखंड वालों को भी उसी तरह से लाभ होता। इससे प्रदेश को भी लाभ होता। चित्रकूट की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित होता। जिनको चित्रकूट जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है वे जाकर उसे देखें कि चित्रकूट क्या है। जो लोग स्वीट्जरलैण्ड होकर आये हैं वे भी जब सती अनुसुइया पर पहुंचते हैं तो स्वीट्रजरलैण्ड भूल जाते हैं। लेकिन इस सरकार का ध्यान चित्रकूट की तरफ नहीं गया कि उसकी भी तरक्की की आवश्यकता है।

इस बजट के सम्बन्ध में एक बात मैं निजी जिम्मेदारी पर कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से नहीं, मैं चाहता था कि जैसे इंगलैण्ड में लीडर आफ अपोजीशन के साथ व्यवहार होता है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार वैसी ही परम्परा यहां कायम करती। ये परम्परायें तभी कायम हो सकती हैं जहां मिनिस्टर्स की डेफिनीशन है उस डेफिनीशन में लीडर आफ अपोजीशन की भी डेफिनीशन होती। जहां मिनिस्टर्स के एमालुमेंट्स का सवाल होता वहां लीडर आफ अपोजीशन के एमालुमेंट्स का भी सवाल होता। अगर सरकार यह समझती है कि डेमोक्रेसी में अपोजीशन का काम कांस्ट्रक्शन का है, डेमोक्रेसी में अपोजीशन अनसेपरेबिल अंग है, तो सरकार की इस बात की जिम्मेदारी है कि जब वह बजट प्रोपोजल्स हाउस के सामने रक्खे तो यह प्राविजन करे कि लीडर आफ अपोजीशन को मिनिस्टर की हैसियत दी गई है। यह बात मैंने इसलिये रक्खी है कि मुल्क को यह मालूम हो सके कि डेमोक्रेसी में लीडर आफ अपोजीशन की और अपोजीशन की कोई पोजीशन होती है। लेकिन होता क्या है? जब लीडर आफ अपोजीशन या अपोजीशन के मेम्बर्स कहीं किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं तो सरकारी अधिकारी डरते हैं कि अगर वे उनके पास जाकर कोई

बात करेंगे तो सरकारी पक्ष के लोग उनसे नाराज हो जायंगे, कोई कांग्रेसमैन देख लेगा। अपोजीशन पार्टी के लीडर अगर इस प्रदेश की समस्याओं का अनुसंधान करना चाहें तो चूंकि अपोजीशन का कोई रिकग्नीशन इस प्रदेश की सरकार में नहीं है, हिन्दुस्तान में नहीं है, तो उनको कोई अनुसंधान की सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए यह डेमोक्रेटिक बजट तभी होता जब इसमें यह प्रावीजन होता कि अपोजीशन को आफिशियल रिकग्नीशन होगा और पब्लिक एक्सचेकर से लीडर आफ अपोजीशन के एमाल्यूमेंट्स दिये जायंगे, कुछ सहूलियतें दी जायंगी, यह इस बजट में जरूर होना लाजमी है।

यह स्लोगन "देश को उठाने का" दिया जाता है। एक दिन बैठे-बैठे बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो टैक्स लगाया जाता है वह २०० रुपया सालाना की आमदनी पर, यानी ८ आने रोज की भी अगर आमदनी है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उस पर टैक्स लग जाता है। उस सिलसिले में भी वही नारा जो रोज सुनने को मिलता है, सुनने को मिला कि अगर देश को उठाना है तो ८ आने आमदनी वाले पर भी टैक्स लगायेंगे। यही नारा सदन के इस ओर से मैं दे रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देश के निर्माण का सवाल है तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिगण, जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने देश के निर्माण में काफी भाग लिया है, जब वह यह उम्मीद करते हैं कि ८ आने रोज कमाने वाला भी खर्चा करे, तो क्या १०० रुपये महीने की कटौती उत्तर प्रदेश में काफी होगी? मेरा निवेदन है कि यह कटौती बिलकुल नाकाफी है।

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह कहा गया नाम लेकर कि फलां मंत्री अगर मंत्रित्व छोड़ेंगे तो उनके पास ५०,००० रुपया भी नहीं होगा जिससे अपना मकान बना लें। एक तो इस बात का प्रश्न पैदा नहीं होता, दूसरी बात यह है कि अगर मंत्री न होते तब अगर मकान बना लेते तो मंत्री होने के बाद भी बना सकते हैं। कोई मंत्री होने की वजह से कोई बात कही गयी तो बेजा है। तो हमारा कहना यह है कि इस बजट के प्रपोजल्स में जो मिनिस्टर्स की तनख्वाहें हैं, उनके एमाल्यूमेंट्स का सवाल है, वह उस स्लोगन के हिसाब से, जैसा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाता है और राज्य की गरीबी को देखते हुए, बहुत ज्यादा है। क्या वजह है कि जब दो लेजिस्लेटर्स एक कमरे में रहते हैं, दो आफिसर्स एक बंगले में रहा करते हैं, दो जजेज एक बंगले में रहते हैं, दो मैजिस्ट्रेट रहते हैं तो दो मिनिस्टर्स नहीं रह सकते? यह जो लखनऊ की हाउस प्राब्लम है, वह मिनिस्टीरियल लेबिल पर अक्सर रहा करती है। मेरा सुझाव है कि इसको साल्व करने के लिए जो बड़ी-बड़ी कोठियां हैं उनमें एक-एक में दो-दो मिनिस्टर रहें, आपस में एक दूसरे को एकमोडेट करें।

इस सिलसिले में हरिजन वाली बात कही गयी और यह कहा गया कि हरिजनों को सहूलियत फलां-फलां दी जाती है, फलां-फलां नहीं दी जाती। मैं क्या निवेदन करूं, हरिजनों का सवाल तो मिनिस्टीरियल लेबिल पर कैबिनेट में मौजूद है, हरिजन मिनिस्टर के पास बंगला नहीं, और जो मिनिस्टर्स हैं उन सबके पास बंगले हैं। हरिजन मिनिस्टर के पास नहीं है और वह दारुलशफा में रहते हैं। मिनिस्टीरियल लेबिल पर कांग्रेस पार्टी के अन्दर कैबिनेट में हरिजन के साथ यह व्यवहार होता है और कहा जाता है कि हम हरिजनों के बड़े शुभचिन्तक हैं।

अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात सम्मुख है। जैसा आचार्य दीपंकर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का सब से बड़ा अड्डा है। उसका तजुर्बा थोड़ा सा हमारे जिले को है। मैं उदाहरण के रूप में एक बात पेश करूं कि एक पटवारी की शिकायत हुई कांग्रेस जनों की तरफ से। एस० डी० ओ० ने लिख दिया कि कोई शिकायत नहीं है और कलेक्टर ने भी लिख दिया कि एलिगेशन्स झूठे हैं। लेकिन वाह रे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वाह रे

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

माल विभाग, उस को अलग कर दिया गया। माल विभाग की बाबत उत्तर प्रदेश में एक पुस्तिका तैयार हो सकती है, बड़ी किताब तैयार हो सकती है। जमींदारी अबालिशन के कानून में अमेंडमेंट किये तो करते चले गये।

श्री उपाध्यक्ष--आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में कुछ समय हुआ तब जन-संघ के एक भाई ने सोशलिज्म की परिभाषा पूछी थी। आज देश में जब जन-संघ का भी एक सोशलिज्म हो गया है, जब देश में ब्लैक मार्केटियर्स का भी एक सोशलिज्म हो गया है, जब देश में सिंहानिया और बिड़ला भी अपने जेब में सोशलिज्म की एक योजना रखते हैं, तब मैं उन को सोशलिज्म की क्या परिभाषा बतलाऊं ? मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का सोशलिज्म तो एक ही है और वह यह है कि देश की गरीबी को दूर करें, देश में उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े और उसका न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाय। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों में इस से ज्यादा अच्छी और कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती है।

मेरा ख्याल यह है और मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि जरा शान्ति से सुनें। हमने शान्ति से उनकी गरमागरम बातें सुनी हैं और आक्षेप भी सुने हैं तो मेहरबानी करके दूसरों को भी आजादी से बोलने की इजाजत दें। मैं यह कहना चाहता था कि कई मित्रों ने कहा कि इस बजट में तो समाजवाद का कोई संकेत नहीं है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के अनिवार्य करने में, छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ाने में, मालियत की रजिस्ट्रेशन पर दुगना टैक्स करने में, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने में और इस तरह की चीजों में यदि समाजवाद का संकेत नहीं है तो किस चीज का संकेत होगा ?

माननीय विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि यह जो बजट है वह तो एक डेफिसिट बजेटिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है और इस से इन्फ्लेशन जैसी चीज पैदा होती है। मैं अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, यदि उन्होंने अर्थ शास्त्र के उन पहलुवों को भी देखा है और योरोप आदि देशों के औद्योगीकरण द्वारा विकास के इतिहास को देखा है, तो उन को मालूम होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग अनुत्पादक कामों के लिए, देश के लिए बुरी साबित होती है, लेकिन उत्पादक कामों के लिए, देश की गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वह देश के लिए हितकर होती है। देश में इन्फ्लेशन अधिक चीजों के उत्पादित होने से नहीं बढ़ती है। असली चीज तो यह है कि देश में चीजें अधिक उत्पादित हों और उनके खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा हो। जिस देश में गरीबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा हो, वहां डेफिसिट फाइनेंसिंग अनिवार्य और वांछनीय हो जाती है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हाउस से लोग आप के पास बार-बार चले आते हैं यह कायदे के खिलाफ है या कायदे के मुताबिक ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कायदे में इसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह क्या कोई लिस्ट बन रही है या क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--आप अपनी सीमा के अन्दर बात करें, कैसे कार्य संचालन होता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप चुपचाप बैठ जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय उपाध्यक्ष जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि ज समय मेरा ले लिया गया है उसका ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--जी हां।

श्री देवकीनन्दन विभव--तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस सदन में इज्म की बहुत सी बातें हुआ करती हैं। हमें रूस का सस्ता साहित्य यहां प्राप्त होता है और अब तो अमरीका से भी प्रचार का सस्ता साहित्य आने लगा है। आज देश को इन्टेलेक्चुअल ऐप्रोच की जरूरत है। इन प्रचार की सस्ती पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान संचित किया जाता है उस से देश में कोई इज्म पैदा होने वाला नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मार्क्स ने आज से कोई सौ वर्ष पहले जिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का जिक्र किया था तो उस समय Industrialization और mechanization से यूरोप में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थीं जब कि उस को वह पुस्तक लिखनी पड़ी थी। लेकिन उस पुस्तक में जिस कैपिटलिस्ट समाज का चित्रण किया गया है, देश का सौभाग्य है कि हमारे यहां न तो वह कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, न वह समस्यायें हैं और जब बीमारी नहीं है, तो हमें उस इलाज की भी आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जो आज तीन साल से बराबर सदन में कहता रहा हूं कि इस देश की एक ही समस्या है और वह यह है कि देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए काम ढूंढा जाय। माननीय मन्त्री जी ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में ५ लाख आदमियों के लिए काम प्राप्त किया जायगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन पांच साल में हमारे प्रदेश की कम से कम ४० लाख आबादी बढ़ जायगी और उसमें अगर ४० परसेंट पोटेन्शल लेबर भी समझी जाय, तो कम से कम हम को १५-२० लाख आदमियों के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी। माननीय पालीवाल जी ने प्रेशर आन लैन्ड की बात कही। उन्होंने एक सवाल पूछा और वह उनका सवाल अधूरा रहा। यह जो बढती हुई आबादी का प्रश्न है उसके लिये यदि काम नहीं दिया जायगा तो हमारी भूमि का भार बढ़ जायगा जब कि भूमि पर अवलम्बितों की संख्या पहले ही अधिक है जिससे उनकी हालत पहले ही जितनी जल्दी गिरती चली जा रही है।

इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे देश का समाजवाद एक ही है और वह यह है कि छोटे-छोटे काम की लोगों के लिये नयी योजनाएं बनायी जायं और उनको अधिक से अधिक काम पर लगाया जाय। इस वक्त सुपीरियर टैक्नालाजी के एडवान्स का टाइम है। मैं हैवी इंडस्ट्रीज का विरोध नहीं करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम की बड़ी आवश्यकता है जब कि हम उन बड़े-बड़े उद्योगों के साथ इस बात का ध्यान रखें कि अधिक से अधिक हम काम हाथ से करा सकें। तो मैं अपने भाइयों से जो मुझसे समाजवाद की व्याख्या पूछना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समाजवाद की व्याख्या यह है कि हम अपना प्रोडक्शन अधिक से अधिक करें और वह प्रोडक्शन इस नीति से करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को कारोबार मिल सके और इससे ज्यादा सम्पत्ति उत्पन्न हो। उसका वितरण अधिक से अधिक न्याययुक्त आधार पर किया जाय। मुझे अफसोस है कि आज जो मुझसे समाजवाद की डेफिनिशन पूछना चाहते हैं, आज समाजवाद की डेफिनिशन सुनने के लिये इस सदन में उनके पास समय नहीं है।

अब मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्फ्लेशन को रोकना है और डेफिसिट फाइनेन्सिग के दुष्परिणामों को रोकना है तो आपकी योजना बहुत लम्बे समय की नहीं होनी चाहिये। बहुत बड़ी योजना में भी ३ साल से अधिक न लगाया जाय। मैं चीन का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर यांग्सी नदी का बांध वहां के २० लाख लोगों ने मिलकर थोड़े समय में पूरा कर दिया। तो मेरा ख्याल यह है कि आज जो बड़ी योजनायें १०,१२ साल तक चलने वाली तैयार की जा रही हैं उनका समय थोड़ा होना चाहिये जिनको हम अभी जल्दी पूरा नहीं कर सकते हम उनको अभी अपने हाथ में न लें। उतनी योजना ही हम अपने हाथ में लें जिन को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हों। तो इस देश में जो धन पूंजीगत व्यय होगा उसका रिटर्न हमको जल्दी मिलेगा और हम देश को अधिक प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। बस यही मुझे निवेदन करना था।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से एक सवाल है.....

श्री उपाध्यक्ष--जिस समय माननीय उद्योग मंत्री भाषण दे रहे हों उस समय जानकारी के लिये यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं या प्रातःकाल प्रश्नों के समय प्रश्न कर सकते हैं, बीच में कोई सवाल नहीं किया जा सकता ।

*श्री असलम खां (जिला रामपुर)--सदरे मुहतरम, सालेरवां का बजट जेरे बहस है । इस बजट पर बहस हाउस के हर गोशे से मुख्तलिफ़ जाविये निगाह से हो रही है । मेरी गुजारिश यह है कि ख्वाह वह किसी फर्द का बजट हो, ख्वाह वह किसी खानदान का बजट हो और या किसी स्टेट का बजट हो खसारे का बजट बहुत ज्यादा काबिले मुबारकबादी नहीं । मुझे अपनी ईमानदारी के साथ यह अहसासे इल्म है कि जिस बजट में इन्तहाई फजूलखर्ची बगैर जरूरी अखराजात के, और वह अखराजात जिनसे जनता को कोई फायदा नहीं बल्कि दरहक़ीकत फायदे के बजाय नुकसान हो, उससे हमारी और आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है ।

जहां तक कि मेरा सवाल है, मैं इस बजट के सिलसिले में न मुख्तलिफ पोलिटिकल या इकानामिक थियोरीज लेकर बात करूंगा और न कंपिलक्टिंग आइडियालोजी लेकर बात करूंगा । सोसाइटी की आरगेनिक ग्रोथ का सहारा लेकर भी कोई तजकरा नहीं करूंगा । डाइटैटिक्स का सहारा लेकर भी कुछ नहीं पेश करूंगा । वाक़या यह है कि अपनी कम इल्मी और एकेडैमिक गुफ़्तगू से जहां तक होगा गुरेज करूंगा । डाक्टर राधाकृष्णन के अलफ़ाज में कि "World is so much in need of preliminary truth today" मैं चीजों को इस तरह से कहने की जो पहले ही उन के दिल में है कोशिश करूंगा । मेरा मरकज सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक डिपार्टमेंट की मशीनरी रहेगी । बहुत से डिपार्टमेंट इस में फ़जूल और गैरजरूरी हैं । बड़े-बड़े अफसरान यही नहीं कि ज्यादा तादाद में हैं बल्कि गैरजरूरी भी हैं । जहां उनके फ़रायज हैं कि वे नीचे के लोगों की देखभाल करें, वे इस से क़तई तौर पर बेबहरा हैं । इन लोगों का सेटअप जनता को बजाय फ़ायदा पहुंचाने के नुक़सान पहुंचा रहा है । मैं अपनी बात को इस तरह से वाजेह करूं कि बच्चों से लेकर एक गांव के बे पढ़े लिखे आदमी की समझ में आ जाय । अगर मैं टेलीफोन डाइरेक्टरी उठाकर यहां के मेम्बर साहबान में से किसी एक का इम्तहान लूं तो मुझे यकीन है कि किसी एक आफ़िसर का भी न वे डेजिगनेशन बता सकेंगे और न नाम । मैं अपनी बात को जरा सा और वाजेह करूं । कल मैं सुबह के वक्त टहलने जा रहा था । मेरी आंख एक बंगले के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था पोटैटो 'डेवलपमेंट आफ़िसर' । एकदम से मुझ पर यह रिएक्शन हुआ कि हमारी सरकार ने ऊंच नीच के उसूल को तसलीम कर लिया है । जहां तक इधर और उधर के बैठने वाले मुअज्जिज मेम्बरान का ताल्लुक है, गरीब और अमीर सभी हैं, और यह ह्यूमन ऐक्टिविटीज से हैं । बहरहाल, अच्छे हों या बुरे, यह दीगर बात है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जब पोटैटो डेवलपमेंट आफ़िसर हो तो अरबी और लौकी ने क्या खता की है कि सरकार की उनकी डेवलपमेंट की ओर कोई तवज्जह नहीं है ? इस से जाहिर है कि जहां डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये वहां सेन्ट्रलाइजेशन है और जहां सेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये वहां डिसेन्ट्रलाइजेशन है ।

हर महकमे में बड़े आफ़िसरों का काम कतईतौर पर गवर्नमेंट के अहकामात के तहत में अपने मातहतों के काम की निगरानी करना है । डी० आई० जी० की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐग्रीकल्चर में डिप्टी डाइरेक्टर वगैरह की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन सुपरविजन का काम कम होता जा रहा है । क्यों हम मिशनरी स्प्रिट से दूर होते चले जा रहे हैं ? जैसा कि इस ऐवान को अच्छी तरह से इल्म है, पुलिस कान्सटेबिल से लेकर आई० जी० तक बड़े अफ़सर मौजूद हैं । सब-इंसपेक्टर हैं, इन्सपेक्टर हैं, डी० एस० पी० हैं, डी० आई० जी० और आई० जी० हैं । इनका काम निगरानी करना है । ये अपने फ़रायज से क़तई तौर पर बेगाना हैं । मैं अर्ज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करूं कि रामपुर में एक मुसलमानों की जमात 'जमाअते इस्लामी' के नाम से है, जो वहीं की नहीं बल्कि कुल हिन्द की मरकजी जमाअत है। ज्यादातर रामपुर के रहने वाले जमाअते इस्लामी के खिलाफ हैं और उनका यह ख्याल है कि वह जनता के सामने खुमूरे जिद्दत पेश करके लोगों के ईमान को खराब करते हैं, इसलिये उसके खिलाफ हो गये हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह लोग जो बाकायदा उसके खिलाफ हैं, उनके मुताल्लिक अगर एक सिपाही या सी० आई० डी० कानिस्टेबिल यह रिपोर्ट कर देता है कि वह जमाअते इस्लामी का मेम्बर है तो यह सीधा आई० जी० तक जाता है बजाय इसके कि इसके बारे में कोई जांच की जाय। एक और अजीब बात है। सब लोग जानते हैं कि जमाअते इस्लामी एक फैनेटिक मुसलमान जमाअत है। उसके और कम्युनिस्टों के उसूलों में कशमकश है। कम्युनिस्ट उनको रिएक्शनरी कहते हैं और जमाअते इस्लामी के लोग उनको लामजहब, लाईमान कहते हैं और फिर भी सी० आई० डी० के कानिसटिबिल्स मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ यह रिपोर्ट फरमाते हैं कि यह शख्स कम्युनिस्ट पार्टी में भी है और जमाअते इस्लामी का मेम्बर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कन्ट्रोवर्शियल इन इट सेल्फ बातें न हुआ करें।

अब जो दूसरी बात मैंने अर्ज की उसको सबटेंशियेट करने की कोशिश करूंगा कि बहुत से महकमेजात कतई तौर पर ऐसे हैं जो निहायत जरूरी हैं लेकिन जिस तरह से वे हैं या जिस तरह से उनमें काम हो रहा है, उससे बजाय फायदे के नुकसान ही ज्यादा हो रहा है।

बड़े अर्से से मांग चली आती है कि ऐक्जीक्यूटिव को जुडीशियरी से अलहदा किया जाय लेकिन हुआ यह कि एक हाथ से जनता की मांग को पूरा किया गया और दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया गया। जुडीशियल मजिस्ट्रेट्स मुकर्रर तो किये गये लेकिन डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज या हाई कोर्ट के अण्डर रखने के बजाय उनको डी० एम० के अण्डर रख दिया गया। इसके मुताल्लिक बहुत से मेम्बरान बारहा कह चुके हैं, मैं उससे आगे जाना चाहता हूं। उसके नतायज क्या हैं? हाल यह है कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के पास ५०० दफात के मुकदमे आते हैं लेकिन एस० डी० एम० के पास दफा १०८, १०९ और ११० के मुकदमात आते हैं। इस तरह उनके पास कतई तौर पर फुल टाइम वर्क नहीं है। गेनफुल एम्प्लायमेन्ट होना तो दूर रहा फुल एम्प्लायमेंट भी नहीं है। इसके नतीजे में दो शक्ल बरामद होती हैं। एक तो यह कि जहां फुल एम्प्लायमेंट है वहां जुडीशियल मजिस्ट्रेट ५-६ घंटे काम करते हैं। एक बजे रिसेस करते हैं तो बजाय २ बजे वापस आने के डेढ़ बजे ही वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ जहां काम कम है वहां १ बजे के बजाय साढ़े बारह बजे ही रिसेस कर देते हैं और साढ़े तीन बजे वापिस आते हैं और इन तमाम चीजों का भार बजट पर पड़ता है। एक तरफ तो जुडीशियल मजिस्ट्रेटों को बढ़ाया गया है दूसरी तरफ एस० डी० एम० की तादाद को कम नहीं किया गया। जहां एस० डी०एम० को फुल एम्प्लायमेंट देने की कोशिश भी की जाती है वहां पुलिस की तरफ से मुकदमे-बाजी का काम किया जाता है। दफा १०९ और ११० के मुकदमे बनाये जाते हैं। इस तरह के मुकदमें अंग्रेजों के जमाने में भी पेश किये जाते थे। होता यह था कि बाजार से आवारा लोग पकड़े जाते थे लेकिन उनमें होते वही थे जो हिस्ट्रीशीटर थे, जो वहां जाकर सजायाफ्ता साबित होते थे लेकिन फी जमाना एस० डी० एम० के लिये काम लाने के लिये गरीबों पर मुसीबत लादी जा रही है और दफा १०९ के मुकदमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। मैं सरकार के सामने एक मारूजा पेश करना चाहता हूं वह यह कि अगर ५-१० मुकदमे दफा १०९ के हों तो एक मुकदमा तो ११० का होना चाहिये। उन मुकदमों में ऐसे गरीब लोगों को फंसाया जाता है जो अपना डिफेंस करने के काबिल भी नहीं होते। जब दफा १०९ मुकदमा अदालत में पेश होता है तो उस वक्त कोर्ट इंस्पेक्टर हंस करके अपनी आंख दिखा कर यह बतलाने की कोशिश करता है कि देखो, मैं गलत शहादत पेश कर रहा हूं, झूठी बात पेश कर रहा हूं। जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट साहबान होते हैं वे भी वाजेह तौर पर इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और यह कैसा मुकदमा है। इस तरह से एक तरह से जस्टिस का मजाक उड़ाया जाता है।

[श्री असलम खां]

इसी तरह से एक दूसरी मिसाल एंटी करप्शन के सिलसिले में है। उस डिपार्टमेंट के मुताल्लिक जो गवर्नमेंट की पालिसी है उस को मैं थोड़ा सा ट्रेस करना चाहता हूं। डी० आई० जी० एक सीनियर पुलिस आफ़िसर हैं जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हेड बनाये गये लेकिन उन का नाम रखा गया डी० आई० जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन। मैं समझ नहीं सका कि इस का मतलब क्या है? मेरा खयाल तो यह है कि अगर कोई प्राबलम हो, कोई तकलीफ़ सामने आवे तो उस का डट कर मुकाबला किया जाय और जो हकीकत हो उस से गुरेज न किया जाय। अगर कोई हकीकत से गुरेज करता है तो वह हकीकत उसका पीछा करती है। डी० आई० जी०, एंटी करप्शन, जिनका नाम डी० आई० जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है, उन्होंने हर जिले में एक-एक कम्प्लेंट आफिसर मुकर्रर किया है। बदकिस्मती से वे कम्प्लेंट आफिसर लोग इंन्सपेक्टर के रैंक से ही आये हैं जो अंग्रेज बहादुर के जमाने में खूब रिश्वतें खाते थे। फिर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि वे बजाय इस के कि डी० आई० जी० के अंडर रहें, या किसी मुअज्जिज मिनिस्टर साहब के अंडर होते, उन को जिले के एस० पी० के अंडर ही रखा गया। इस का नतीजा यह होता है कि मुख्तलिफ किस्म के मुकदमें कांस्टेबिल या हेड कांस्टेबिल के खिलाफ चलाये जाते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत कम्पलेंट आफ़िसर की नहीं होती कि वह किसी जिम्मेदार बड़े अफ़सर के खिलाफ मुकदमा चलावे। मैं जनाबवाला की इजाजत से, इस ऐवान के वसीले से मुअज्जिज मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि सही मसले पर, सही बातों पर जब बड़े-बड़े आदमियों के खिलाफ़ मुकदमे चलाये जायं तब यहां से सही माने में करप्शन दूर हो सकेगा। आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि "ऐक्चुअली हू इज रूलर आफ दि कंट्री?" आपकी जो पलिसी है वह आस्ट्रिच लाइक पालिसी है।

मैं बड़े अदबसे अर्ज करूंगा कि जैसा कि कांग्रेस बेंच की तरफसे कहा गया कि आपका कोई कांकरीट प्रपोजल होना चाहिये। शेक्सपियर का एक ड्रामा है जिसका नाम है "ऐज यू लाइक इट" जिस में शेक्सपेरियन, टच स्टोनियन और जैक्सियन ने काम किया है। उस में एक मसखरा था। मैं आपसे बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने मुलाजमीन के ऊपर ऐसी निगाह रखें जिससे कोई प्रोग्रेस नहीं रुक सके। जब सेक्रेटरीज से आप मिलें तो उनसे अंग्रेजी में बात न करें। इसका नतीजा यह होता है कि काम के लिये आदमी नहीं ढूंढ़े जा रहे हैं बल्कि आदमियों के वास्ते महकमे खोले जा रहे हैं और पोस्ट क्रियेट की जा रही हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह तीसरा दिन है कि लगातार उठने-बैठने के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसलिये मैं पहले आपको ही इसके लिये बधाई देता हूं। इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बजट सदन के सामने रख कर इस प्रदेश की गरीबी, भुखमरी दूर करके निस्सहाय जनता को एक सहारा दिया है। इसके बाद मैं अपने जिले की ओर आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाय। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो सदन में भाषण किया था, उन्होंने उसमें पूर्वी जिलों की बात कही लेकिन माननीय गेंदासिंह या श्री झारखंडे राय किसी के मुंह से गोंडा जिले का जिक्र नहीं आया, गोंडा भी एक जिला है वहां को भी रेल चलती है, जो सोशलिस्ट या प्रजा सोशलिस्ट नेता हैं वह भी रेल से, पैसेंजर से, मेल से या पार्सल से किसी न किसी ट्रेन से चलते हैं लेकिन गोंडे का हाल उनको पता नहीं चलता और न दिखलाई देता है कि कहां भुखमरी है, अन्न का अभाव है। उन्होंने तो गजब कर दिया, घाघरा, गोरखपुर, बलिया, बस्ती सब जगह बहती है और बहुत नुकसान करती है लेकिन गोंडा में उनकी नजर में कोई नुकसान नहीं होता, वहां उसके जरिये से कोई तबाही नहीं आती जो कुछ तबाही आती है वह उन्हीं के जिले देवरिया, गोरखपुर, बलिया और बस्ती आदि में ही आती है और गोंडे की १८ लाख की जन आबादी वह समझते हैं, बहुत सुख से रहती है, वहां की आवाज वह क्यों नहीं उठाते?

इसका कारण यह है कि उनका कोई मेम्बर भी गोंडे से चुनकर नहीं आया है इसलिये वहां की आवाज उठाने का उनको हक नहीं है। इसलिये वहां की हालत मुझे बतानी है, वहां अन्न की कमी है और लोग वहां भूख से मर रहे हैं, अभी १४ तारीख की बात है, मैंने अपने यहां कुछ गांवों का दौरा किया था उसमें मैं बड़े-बड़े गांवों में गया, मैं कोई गरीब हरिजन की बात नहीं कहता, वहां मैं बड़े-बड़े प्रधान और सरपंचों के यहां गया लेकिन इस वक्त वहां जो सम्पन्न हैं, जिनके पास खेत हैं उनके यहां अनाज नहीं है। तीन फसलों से वहां बराबर नुकसान हो रहा है और आज वहां के लोग अन्न के बिना त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मुझे विशेष तौर से यही कहना है कि इस अन्न संकट की ओर हमारी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जमींदारी उन्मूलन का जो कदम हमारी सरकार ने इस सूबे में उठाया था उससे किसानों को हमारे जिले में जो राहत मिली लेकिन अब भी वह पुराने जमींदार हमारे निर्बल भाइयों पर जुल्म करते हैं। वहां पर २ साल का शिकमी दर्ज कराने के बाद अधिवासी के रूप में कब्जे कर रहे हैं और वही जानते हैं कि आज वहां के लोगों पर क्या बीत रही है। औरतों की चीज जबरदस्ती अमीन निकलवा लेते हैं और उसके बाद उनको खड़े-खड़े नीलाम कर दिया जाता है और उनको सुनार वगैरा जो वहां होते हैं वह मनमाने दामों में खरीद लेते हैं। जो गल्ले के खेत लोगों के पास सौ-सौ रुपये के हैं उनको तीस-तीस, चालीस-चालीस और पचास-पचास रुपये में गिरों रखा जाता है लेकिन फिर भी सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देखता हूं सदन में बड़ी अशान्ति है। माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं। आप लोग शान्त रहें।

श्री गंगाप्रसाद—दूसरी तरफ आज खेतिहर मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय है। हमारे यहां के भूतपूर्व जमींदार आठ आने रोजाना देते हैं, पन्द्रह रुपये महीने। आप बताइये आठ आने रोज, और पन्द्रह रुपये महीने में एक हलवाहा या मजदूर अपने बाल बच्चों को खाना कैसे दे सकेगा, जब कि दो छटांक कम दो सेर का धान बिक रहा है और ढाई सेर का बाजरा बिक रहा है। यह हालत है उस जिले की।

अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है। हमारे यहां गोंडा और बहराइच के बीच का जो हिस्सा है जिसमें टेढ़ी नदी और उससे मिला हुआ हिस्सा है वह इतना गरीबी से परेशान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वह दुभट्टा बाजार का क्षेत्र गांजर है। वह टेढ़ी और घाघरा की बाढ़ से तबाह है। वहां एक ही सड़क जाती है कर्नलगंज से कुकुर-भुंखवा लेकिन वह न पहली पंचवर्षीय योजना में और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही है। वहां चार महीने बरसात में यातायात बिल्कुल ठप्प हो जाता है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस इलाके की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

आज ट्यूबवेल लग रहे हैं। ट्यूबवेल तो लगे लेकिन मई और जून में जब गन्ने के लिये पानी का वक्त आया तो बन्द हो गये और सैकड़ों बीघा गन्ना सूख गया। वह काश्तकार परेशान हैं। उनका कोई पूछनेवाला नहीं।

अब मैं हरिजन विभाग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हरिजनों के लिए धन का भंडार खुला हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जन संघ कहते हैं कि तुम्हारे लड़कों के लिए फीस माफ है, वजीफा मिलता है और नौकरियों में सुविधा है। लेकिन क्या हालत है? हमारे कितने ही लड़के बगैर वजीफा के रह जाते हैं। किसी जिले के पांच या छः लड़के इंटर में वजीफा पाते हैं। वहां पर पचास या ६० लड़के पढ़ते होंगे। लेकिन पांच, छः लड़के वजीफा पाते हैं।

[श्री गंगाप्रसाद]

होंगे। लेकिन पांच, छः लड़के वजीफा पाते हैं। उससे क्या हरिजनों की भलाई हो सकती है ? यही हाल आप हाई स्कूल का ले लीजिये। और लोग कहते हैं कि रुपये का भंडार खुला हुआ है। लेकिन हमें आशा है कि आज नहीं तो कल, सरकार ने, कांग्रेस ने एक सिद्धान्त मंजूर किया है समाजवादी ढांचे का। माननीय गोविन्द-नारायण जी ने कहा कि यह सरकार समाजवादी ढांचा नहीं चाहती है। हमें सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे, उच्च वर्ग के लड़के, मिडिल क्लास के लड़के, मैं ललकार कर कहता हूं कि इस कांग्रेस ने जमींदारी खत्म किया, पूंजीवाद को खत्म करेगी, यही कांग्रेस ऊंचे सिद्धान्तों का आगे चल कर पालन करेगी, जिन सिद्धान्तों की महात्मा गांधी ने शिक्षा दी है। कल पालीवाल जी ने कहा हरिजनों के लिए कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप तो पुराने कांग्रेस के नेता हैं। आप जिस सोसाइटी को लेकर बैठे हैं यही हमारा खून चूस रही है। यही समाजवादी सामन्तशाही के लोग खून चूस रहे हैं। इनको आप सुधार लीजिये। अगर यह सुधर जायं और इनकी लाठी बन्द हो जाय, तो हमारी खेती की रक्षा हो सकती है, अगर यह हमारे ऊपर जुल्म करना छोड़ दें। गोंडा जिले में जमींदारी की धूम आज भी चारों तरफ छायी हुई है। गरीब जनता आज भी हरी बेगारी देती है। माननीय पालीवाल जी नहीं हैं। वह मैं उनसे कहना चाहता था। दूसरी तरफ आज मुझे नियोजन विभाग के बारे में कहना है। इस विभाग में सरकार जितना रुपया देती है हरिजनों के कुओं के लिए हरिजनों के लिये, मकानों के लिए २० फीसदी खुल्लमखुल्ला सुपरवाइजर, इन्स्पेक्टर और पंचायत सेक्रेटरी ले लेते हैं। इस बात को मैंने कई मीटिंगों में कहा कि इस को रोका जाय। हमारे जिले में एक बांध बन रहा है परसपुर से धरौरा तक ६० लाख की कीमत से। मैं दावे से कहता हूं कि उस के ऊपर इन्क्वायरी कमेटी बैठायी जाय कि उसके ठेकेदार कौन हैं। सब डिवीजनल आफिसर के मामा, नाना हैं, हमारे जिले का एक भी ठेकेदार नहीं है। पैसा इस बुरी तरह से लूटा जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता।

अन्त में मैं बजट के बारे में कहना चाहता हूं। नौकरियों में कहा जाता है कि १८ फीसदी हरिजन लिये जायेंगे। मैं दो, तीन विभागों की बात कहना चाहता हूं। माननीय फूलसिंह जी जब थे, तो उन्होंने कह दिया था कि नियोजन विभाग में चपरासी हरिजन रखे जायेंगे। परसपुर एन० ई० एस० ब्लाक और मनकापुर ब्लाक में दो चपरासी भेजे गये वहां के बी० डी० ओज० साहब ने जो एक ब्राह्मण थे, और एक ठाकुर थे, पूछा कि तुम कौन जाति के हो, एक ने कहा चमार और दूसरे ने कहा पासी। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे बर्तन कैसे मांज सकते हो। पानी कैसे पिला सकते हो वगैरह-वगैरह। हुआ यह कि चौथे दिन दोनों खदेड़ दिये गये। यह हालत है, सरकार ढिंढोरा पीटती है कि १८ फीसदी नौकरी दी जा रही हैं। इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी हमारे राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा कि देहातों में परचेजिंग पावर नहीं रह गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में आज हर गरीब की लेन-देन की शक्ति है जब कि आप के जमाने में हम को हिकारत की नजर से देखा जाता था, आप की जूठन हम को खाने को मिलती थी, बच्चे हमारे नहीं पढ़ सकते थे। महात्मा गांधी जी की बदौलत हम को यह शक्ति मिली है कि हर चीज पैसे से खरीद सकें। अगर आप धर्म का नारा देते तो हम मानते। आप की ही वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग नहीं जाने पाते। आप की नीति से समाजवाद कैसे आ सकता है जब तक कि जाति-पांति का नारा खत्म नहीं होगा तब तक इस देश में समाजवाद नहीं आ सकता।

गोंडा नगरपालिका ने ५ साल हुए १० हजार रुपया वाटर वर्क्स और १० हजार ड्रेनेज के लिए जमा कर दिये थे, जब बाबू ईश्वर सरन उसके चेयरमैन थे और बोरिंग भी हो गयी थी.

लेकिन वाटर वर्क्स नहीं लग रहा है। एक वहां गंदा नाला भी है जिस की वजह से शहर में मच्छरों की भरमार है। अगर स्वास्थ्य रिपोर्ट मंगायी जाय तो पता चलेगा कि वहां की दशा क्या है ?

उससे वहां की यह हालत मालूम हो जायगी। मुझे आशा है कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोंडा नगर को भी एक अच्छा और स्वस्थ शहर बनाने के लिए सरकार वाटर वर्क्स और ड्रेनेज की स्कीम मंजूर करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२४ जुलाई, १९५७।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)]

इलाहाबाद जिले तथा नगर में चोरी, डाके तथा नकबजनी और जुए के १९५५, १९५६ तथा ८ फरवरी, १९५७ तक जितने मुकदमें दर्ज किये गये और जितने चालान किये गये उनका विवरण —

	१९५५		१९५६		८ फरवरी, १९५७ तक	
	दर्ज किये गये	चालान किये गये	दर्ज किये गये	चालान किये गये	दर्ज किये गये	चालान किये गये
देहाती क्षेत्र						
चोरी	४२७	१२८	५२२	१४७	५८	१६
डाका	९	८	१८	११	२	१
नकबजनी	४१२	१०१	५१२	११८	४७	१५
जुआ	४०	४०	५८	५८	६	६
नगर क्षेत्र						
चोरी	५९५	१५१	७२८	१७८	८१	१५
डाका	१	१	१	१	१	१
नकबजनी	२४४	५९	२५२	५५	१७	३
जुआ	१३६	१३६	१५४	१५४	८	८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४८ पर)

मुकीम पुर ग्राम में संघर्ष में मारे गये व्यक्तियों के नाम और पते की सूची

१--साधू एवं उसके साथियों द्वारा निम्नलिखित पुलिस पार्टी के व्यक्ति मारे गये :

२१-१-५७ को--

(१) श्री विश्वनाथ बहुगुना, सब इन्स्पेक्टर, बछराऊं ।
(२) श्री घनानन्द, कांस्टेबिल, बछराऊं।
(३) श्री नन्द किशोर।

२२-१-५७ को--

(१) श्री पी० एस० गिल, थानेदार, बछराऊं ।
(२) श्री हाफिज मन्सूर, बन्दूक के लैसंसदार, बछराऊं ।

२२-१-५७ को--

संघर्ष में निम्नलिखित ४ पुरुष व तीन स्त्रियां मृतक हुईं :

(१) भोला पुत्र काले, बागबान, साकिन मुकीमपुरा, थाना बछराऊं ।
(२) डूंगर पुत्र दौलत, बागबान, साकिन मुकीमपुरा, थाना बछराऊं ।
(३) निहाला पुत्र हरदेवा, बागबान, साकिन मुकीमपुरा, थाना बछराऊं ।
(४) मबासी पुत्र मंगला, बागबान, साकिन मुगरा पट्टी, थाना बछराऊं ।
(५) श्रीमती समपिया, स्त्री सुखुआ, बागबान, साकिन मुकीमपुरा, थाना बछराऊं।
(६) रिसमु पत्नी यादराम, बागबान, साकिन मुकीमपुरा, थाना बछराऊं ।
(७) श्रीमती सोमती पत्नी श्रीराम, बागबान, साकिन गौनी, थाना बछराऊं।

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

मुजफ्फरनगर जिले में सन् १९५५ व १९५६ में हुये अपराधों का विवरण

१ जनवरी, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक		१ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक	
डकैती	८	डकैती	२६
चोरियां	३६४	चोरियां	६६७
राहजनी	८	राहजनी	१०
बलवे	२८	बलवे	४९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५३ पर)

थाना फीरोजाबाद, जिला आगरा में १९५४, १९५५ व १९५६ में हुये कत्ल, डकैती तथा चोरियों का विवरण

	कत्ल		डकैती		चोरी	
	रिपोर्ट हुई	पता चला	रिपोर्ट हुई	पता चला	रिपोर्ट हुई	पता चला
१९५४	१	१	२	२	१२१	५१
१९५५	३	२	१	१	१३१	४०
१९५६	५	३	१	१	१२३	४२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर)

राजनीतिक पेन्शन उन व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है जिन के मामले निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :--

(१) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जो अपाहिज और जो बीमारी अथवा शारीरिक अयोग्यता के कारण जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं। इस सम्बन्ध में सिविल-सर्जन का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, इसमें वय आदि की कैद नहीं है।

(२) वे विधवायें जिनके कि पतियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है। वे विधवायें, जोकि वृद्ध हैं और जिनके कोई पुत्र नहीं है। उनको आजीवन पेन्शन स्वीकृत की जा सकती है। वे विधवायें जोकि अल्प वयस्क हैं और जिनके नाबालिग पुत्र हैं, उनको उस समय तक पेन्शन स्वीकृत की जाती है जब तक कि उनके पुत्र की २२ वर्ष की अवस्था न हो जाय।

(३) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९२०-२१, १९३०-३२, और १९४०-४२ के आन्दोलनों में जेल यात्रा कर चुके हैं।

(४) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका वय ५० वर्ष से अधिक है और जो स्वतंत्रता आन्दोलन में ४ वर्ष से अधिक जेल में रहे हों।

(५) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका वय ७० वर्ष से अधिक है।

(६) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और १९४० और १९४२ दोनों में जेल यात्रा कर चुके हों।

(७) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९४२ के आन्दोलन में १ वर्ष की जेल यात्रा कर चुके हों।

(८) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक हो और जो सन् १९३० और १९३२ के दोनों आन्दोलनों में जेल यात्रा कर चुके हों।

(९) वे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक जिनका कि वय ५० वर्ष से अधिक है और जो सन् १९२० और १९२२ में दो बार जेल गये हों।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५९ पर)

जिला बदायूं में सन् १९५५, १९५६ व १९५७ में १५ जून तक हुई डकैती और कत्लों का विवरण

	डकैती	कत्ल
१९५५	१८	५१
१९५६	३७	५०
१९५७—१५ जून तक	१३	२२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम की सूची जहां हरिजन सब इंस्पेक्टर कार्य कर कर रहे हैं

क्रम-संख्या	जिलों के नाम	हरिजन सब इन्स्पेक्टरों की संख्या	हरिजन सब-इन्स्पेक्टर की संख्या जो एस० ओ० का पद धारण किये हुए हैं
१	आगरा	३	..
२	देहरादून	२	.
३	मैनपुरी	२	..
४	सहारनपुर	३	..
५	इलाहाबाद	३	..
६	कानपुर	१४	२
७	इटावा	४	..
८	फर्रुखाबाद	३	..
९	फतेहपुर	१	..
१०	हमीरपुर	२	..
११	झांसी	४	१
१२	बिजनौर	३	..
१३	खीरी	१	..
१४	नैनीताल	२	१
१५	मुरादाबाद	१	..
१६	पीलीभीत	१	१
१७	रामपुर	१	१
१८	बहराइच	२	१
१९	बाराबंकी	१	..
२०	फैजाबाद	२	..
२१	हरदोई	१	..
२२	लखनऊ	६	..
२३	प्रतापगढ़	१	..
२४	रायबरेली	१	..
२५	सीतापुर	४	..
२६	सुल्तानपुर	२	..
२७	उन्नाव	१	..
२८	आजमगढ़	१	..
२९	बलिया	२	१
३०	बस्ती	२	..
३१	वाराणसी	२	..
३२	गाजीपुर	१	..
३३	गोरखपुर	२	..
३४	देवरिया	१	..
३५	पौडी गढ़वाल	३	..
३६	सी० आई० डी०	१	..
	कुल योग ..	८६	८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

तालिका जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या १०० के उत्तर में किया गया है

क्रम-संख्या	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई	विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें अनावर्त्तक अनुदान दिया गया
१	२	३	४
१	देहरादून	९	५
२	सहारनपुर	१६	२
३	मुजफ्फरनगर	४	२
४	मेरठ	२९	१०
५	बुलन्दशहर	१४	४
६	आगरा	१९	११
७	अलीगढ़	१८	८
८	मथुरा	१३	९
९	मैनपुरी	८	८
१०	एटा	१३	६
११	बरेली	२	५
१२	बिजनौर	९	२
१३	बदायूं	३	२
१४	मुरादाबाद	२४	१२
१५	शाहजहांपुर	३	३
१६	पीलीभीत	१३	३
१७	रामपुर	..	..
१८	नैनीताल	३१	११
१९	अल्मोड़ा	२५	१०
२०	पौड़ी गढ़वाल	५	१
२१	टेहरी गढ़वाल	१	३
२२	फर्रुखाबाद	७	६
२३	इटावा	३५	१२
२४	कानपुर	५९	२४
२५	फतेहपुर	१	१
२६	इलाहाबाद	७७	३०
२७	बांदा	२	३
२८	हमीरपुर	१४	२
२९	झांसी	१७	३
३०	जालौन	१२	४
३१	वाराणसी .. .	९२	४१
३२	मिर्जापुर	८	६

विधान सभा पुस्तकालय

क्रम-संख्या	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई	विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें अनावर्तक अनुदान दिया गया
१	२	३	४
३३	जौनपुर	२१	१४
३४	गाजीपुर	१८	१२
३५	बलिया	४९	१३
३६	गोरखपुर	५	३
३७	बस्ती	४	७
३८	आजमगढ़	१६	१०
३९	देवरिया	१३	८
४०	लखनऊ	७५	२७
४१	उन्नाव	४	३
४२	रायबरेली	५	..
४३	सीतापुर	२४	९
४४	हरदोई	११	२
४५	लखीमपुर खीरी	३	१
४६	फैजाबाद	१४	७
४७	गोंडा	८	५
४८	बहराइच	५	७
४९	सुल्तानपुर	३	१
५०	प्रतापगढ़	२	..
५१	बाराबंकी	३	२
५२	प्रदेश के बाहर अध्ययनार्थ ..	..	४
	योग ..	८६६	३८४

मोहन चन्द्र पन्त,
अनुसचिव।

विधान सभा सचिवालय

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

विवरण 'बी'

साल जिसमें डकैती या कत्ल हुए	डकैतियों की संख्या	स्थान और तहसील	लूटी गई सम्पत्ति की राशि	कत्ल की संख्या	स्थान और तहसील	मारे गये अथवा कत्ल किये गये व्यक्तियों का नाम व पता
			रु० आ० पा०			
१९५२ ..	२	कैलवारा और हंसारी (१)	२,६४१ ० ०	४	कैलवारा–ललितपुर	(१) नवजात शिशु
		खुर्द तहसील ललितपुर (२)	८०२ ११ ६		पैरोल ,,	(२) ,,
						(३) भगवंत सिंह
					पाली ,,	(४) मोहनलाल काछी
१९५३ ..	२	कारी तोरन त० ललितपुर (१)	६७६ ८ ०	४	कारी तोरन ,,	(१) हीरालाल ब्राह्मन
		नौहर कलां ,, (२)	१,०४८ ० ०		खैराडंग ,,	(२) दुर्जन
					बार ,,	(३) मौजी भीमर
					शहापुरा ,,	(४) मोहन लाल
१९५४ ..	३	टोरी ,, (१)	९०० ० ०	२	खैरडन ,,	(१) बलदेव सिंह
		खैरडंग ,, (२)	२,००० ० ०		अर्जुन खिरया ,,	(२) छत्रौता तेली
		चीराकोरा ,, (३)	२ राइफल			
१९५५ ..	६	हंसारी कलां ,, (१)	६२८ ० ०	२	सरसिंदा ,,	(१) ललंजू काछी
		पैरोन ,, (२)	६,००० ० ०		चौंसा ,,	(२) बाबू बक्श
		सिमराडंग ,, (३)	६२२ ८ ०			
		चमरवां ,, (४)	४,००० ० ०			
		चौसा ,, (५)	१५० ० ०			
		सिमरा ,, (६)	१,३६३ ० ०			
१९५६ ..	६	भलौनी लोध ,, (१)	१,२७९ ८ ०	२	बिरधा ,,	(१) मकन्दी कुरमी
		गडईया ,, (२)	१,००७ ८ ०		मातातीला ,,	(२) नत्थू राम लोहार
		सिगरवाहा ,, (३)	१,२०० ० ०			
		पटवा ,, (४)	२,००० ० ०			
		गौना ,, (५)	१,४५२ ० ०			
		बिरधा ,, (६)	१,२३६ ० ०			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

साल जिसमें डकैती या कत्ल हुए	डकैतियों की संख्या	स्थान और तहसील	लूटी गई सम्पत्ति की राशि	कत्ल की संख्या	स्थान और तहसील	मारे गये अथवा कत्ल किये गये व्यक्तियों का नाम व पता
१९५७ ..	१	मलौनी ललितपुर (१)	५९० ० ०	..	..	..
		तहसील महरौनी				
१९५२ ..	१	बरोखरा तहसील महरौनी (१)	६१३ ० ०	..	..	..
१९५३ ..	१	बक्सपुर ,, (१)	७४६ ० ०	१	बहादुरापुर महरौनी	(१) झल्ला चमार
१९५४ ..	२	बिलईपुरा पाठा ,, (१)	१०६ ८ ०	५	महरौनी ,,	(१) बाबूलाल बिरही
		इमलिया ,, (२)	१,७६३ ० ०		पिपरिया ,,	(२) बल्लो अहीर
					पिरार ,,	(३) जागू लोध
					पिरार ,,	(४) बड़े बीर जैन
					उदयपुरा ,,	(५) रत्न सिंह
१९५५ ..	७	मुडिया ,, (१)	१,२६३ ४ ०	४	सरकोरा ,,	(१) निनआ
		गदरापुरा ,, (२)	१,४६५ ६ ०		,,	(२) केशोदास
		मदारा ,, (३)	३,५०० ० ०		,,	(३) मुजिया
		कामरेठा ,, (४)	१,४२० ० ०		,,	(४) टुंडा
		नीमतोरिया ,, (५)	२,४२६ ० ०			
		रजला ,, (६)	१,२४८ ० ०			
		गर्गचारी ,, (७)	९०७ ० ०			
१९५६ ..	४	बमहोरी खुर्द ,, (१)	१,२९६ ४ ०	२	,,	(१) पहारसिंह
		धरबारा ,, (२)	१,६१४ ० ०		,,	(२) हसनू चौकीदार
		लुधौरा ,, (३)	१०,००० ० ०			
		कैलगवां ,, (४)	१,२१३ ८ ०			
१९५७ ..	१	उलदाना खुर्द ,, (१)	२४० ० ०	३	,,	(१) नन्हा अहीर (२) बिग्गा काछी (३) चेतराम अहीर

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—८२ एल० ए०—१९५७—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा